1W 2903-23225

महावीर प्रसाद शर्मा
Mahaveer Prasad Sharma

प्रमुख सचिव
राजस्थान विधान सभा
जयपुर - 302005
Principal Secretary
Rajasthan Legislative Assembly
Jaipur - 302005
Telefax : 0141-2744326 (O)
0141-2701801 (R)
Mobile : 94142 51528

IDMS No. 4222
Date 29/3/2023
Sent To ....

EDMS
DYS
29/03/2023

अ.शा. पत्र क्रमांक- एफ 9(30) स्थानीय नि.प.राज/विस/2023/ 10027

जयपुर, दिनांक 28 मार्च, 2023

प्रिय श्री डा० जोगारामजी,

पन्द्रहवीं विधान सभा की स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2022-23 का 20वां प्रतिवेदन, जिसका उपस्थापन सदन में दिनांक 15.03.2023 को हो गया है, की दो कम्प्यूटराइज प्रति इसके साथ प्रेषित कर लेख है कि इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की क्रियान्विति विषयक सूचना महालेखाकार (स्थानीय निकाय) (लेखा परीक्षा-ii), राजस्थान, जयपुर से संवीक्षा कराकर 30 प्रतियाँ निर्धारित प्रारूपानुसार जिसकी प्रति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प.(2) वित्त/ अंकेक्षण/96, दिनांक 11 अप्रैल, 1996 द्वारा प्रेषित की गई है, के प्रपत्र - ।। के अनुसार भिजवाने की व्यवस्था कराने का श्रम करें ।

FA
29-3-2023

सिफारिशों की परिपालना के संबंध में जारी किये गये आदेशों/ परिपत्रों आदि की प्रतियां भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें ।

निर्धारित प्रक्रियानुसार इन सिफारिशों की क्रियान्विति उक्त प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापित किये जाने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर अपेक्षित है। यदि इस अवधि में इसकी परिपालना नहीं हो सके तो इसकी पूर्व सूचना संबंधित कारणों का उल्लेख करते हुए समिति के अवलोकनार्थ इस सचिवालय को प्रेषित करायें।

उक्त प्रतिवेदन की मुद्रित प्रतियां प्राप्त होने पर यथासमय प्रेषित कर दी जायेगी ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

सदभावी,
27.3.23
(महावीर प्रसाद शर्मा)

डॉ. जोगा राम,
शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

31/3/23

pls discuss today
Related AAO/ II
5/4/23

सत्यमेव जयते

राजस्थान विधान सभा

स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2022-23

(पन्द्रहवीं विधान सभा)

20 वाँ प्रतिवेदन

(भारत के नियंत्रक –महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 3.1 से 3.13 एवं 4.1 से 4.8) पर समिति का प्रतिवेदन)

(यह प्रतिवेदन सदन में दिनांक 15 मार्च 2023 .....को उपस्थापित किया गया)

राजस्थान विधान सभा सचिवालय,

जयपुर

राजस्थान विधान सभा

स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2022-23

क्रं.सं	माननीय सदस्य का नाम	पद
1.	डॉ. राजकुमार शर्मा (136)	सभापति
2.	श्री अमित चाचाण (5)	सदस्य
3.	श्री नारायण सिंह देवल (79)	सदस्य
4.	श्री पृथ्वीराज (90)	सदस्य
5.	श्री बलवान पूनियाँ (98)	सदस्य
6.	श्री बिहारी लाल (104)	सदस्य
7	श्री रफीक खान (130)	सदस्य
8.	श्री राजकुमार रोत (135)	सदस्य
9.	श्री राम लाल मीणा (147)	सदस्य
10	श्री सुभाष पूनिया (185)	सदस्य
11.	श्री सुरेश टांक (198)	सदस्य
12.	श्री हरेन्द्र निनामा (196)	सदस्य

विधान सभा सचिवालय

1. श्री महावीर प्रसाद शर्मा	प्रमुख सचिव
2. श्री संजीव कुमार शर्मा	उप सचिव (सदन)
3. श्री बनवारी लाल मीणा	सहायक सचिव (स्था.निकाय)
4. श्री नरेश कुमार जैन	अनुभाग अधिकारी

विषय-सूची

क्र.सं.	पैरा संख्या	विषय	पृष्ठांक
		प्रस्तावना	
		प्रतिवेदन	
		अध्याय-I	
1.		अनुच्छेद सं.3.1 से एवं 4.1 से 4.8 3.13 तक	
2.		सिफारिशों का सार (परिशिष्ट-1)	

प्रस्तावना

मैं, स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2022-23 का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर समिति का यह 20.वाँ प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

इस प्रतिवेदन का संबंध वर्ष 2014-15 के लिये महालेखाकार के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) में समाविष्ट स्वायतत शासन विभाग से संबंधित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 3.1 से 3.13) पर समिति का प्रतिवेदन) से हैं।

यह प्रतिवेदन शासन द्वारा प्रेषित लिखित सूचना तथा समिति की दिनांक 15.09.2022 को प्राप्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अनुपालना के आधार पर आधारित है ।

इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर समिति द्वारा दिनांक 20.12.2022.की बैठक में विचार–विमर्श कर अभिस्वीकृत किया।

समिति शासन सचिव, सवायत्त शासन विभाग के प्रतिनिधियों को समिति को उपलब्ध करवायी गई सूचना के लिए धन्यवाद देती है ।

समिति स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति एवं महालेखाकार कार्यालय, के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी धन्यवाद देती है, जिन्होंने समिति को समय-समय पर सहयोग दिया ।

विधान सभा भवन
जयपुर,
दिनांक 20.12.2022

(डॉ राज कुमार शर्मा)
सभापति,
स्थानीय निकायों और पंचायत राज
संस्थाओं संबंधी समिति, 2022-23

प्रतिवेदन

स्वायत्त शासन विभाग

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन

(स्थानीय निकाय) वर्ष 2014-15

अनुच्छेद संख्या 3.1: प्रस्तावना

सन् 1992 में 74वें संविधान संशोधन के अनुसरण में भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड़ जी जोड़े गए, जिससे राज्य विधान मंडल नगर पालिकाओं को निश्चित शक्तियां एवं कर्त्तव्य प्रदान कर सके ताकि वे स्वायत्तशासी संस्थाओं की तरह कार्य करने के योग्य बन सके और संविधान की बारहवीं अनुसूची में वर्णित मदों सहित उनको प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। शहरी स्थानीय निकायों को सरकार के तृतीय स्तर के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने हेतु सभी प्रचलित नगर पालिका कानूनों एवं अधिनियमों को निरस्त करते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया गया।

मार्च 2015 को 188 शहरी स्थानीय निकायों[1] अर्थात् सात नगर निगम[2], 34 नगर परिषद[3] और 147 नगर पालिका मंडल[4] थे। 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान राज्य के महत्वपूर्ण आँकड़े नीचे सारणी 3.1 में दिया गये है :

सारणी 3.1

सूचक	इकाई	राज्य स्तर
जनसंख्या	करोड़	6.85
जनसंख्या (शहरी)	करोड़	1.70
जनसंख्या घनत्व	व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर	200
दशकीय वृद्धि दर	प्रतिशतता	21.30
लिंग अनुपात	1,000 पुरूषों के मुकाबले महिलाएं	914

---

1. नगर पालिका मंडल, रूपवास (अगस्त 2014), डेगाना (दिसम्बर 2014), किशनगढ़बास (मार्च 2015) और इटावा (मार्च 2015) को वर्ग-IVके रूप में गठित की गई थी। ये नवगठित नगर पालिका मंडल के रूप में मार्च 2015 तक कार्यरत नहीं थी
2. नगर निगम, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर
3. नगर परिषद : अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगापुरसिटी, हनुमानगढ़, हिन्डौनसिटी, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, करौली, किशनगढ़, मकराना, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, सुजानगढ़ और टोंक
4. नगर पालिका मंडल : वर्ग-II (50,000-99,999 जनसंख्या वाले): 13, वर्ग-III (25,000-49,999 जनसंख्या वाले): 58 और वर्ग-IV (25,000 से कम जनसंख्या वाले): 76

कुल साक्षरता दर		प्रतिशतता	पुरूष 87.90 महिला 70.70
शहरी प्रति व्यक्ति आय		रूपये प्रति वर्ष	65,974
नगर निगम		संख्या	7
नगर परिषद		संख्या	34
नगर पालिका मंडल	(वर्ग-II)	संख्या	13
	(वर्ग-III)		58
	(वर्ग-IV)		76

स्त्रोत : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2014-15

विभागीय अनुपालना : संवैधानिक प्रावधान है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी : अनुच्छेद परिचयात्मक है, अतः कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं ।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना : संवैधानिक प्रावधान है।

समिति की सिफारिश : कोई टिप्पणी नही।

अनुच्छेद संख्या 3.2 : संगठनात्क ढांचा

शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों को देखने वाला प्रशासनिक विभाग स्वायत्त शासन विभाग है। शहरी स्थानीय निकायों के साथ राज्य सरकार की प्रशासनिक मशीनरी का संयुक्त संगठनात्मक ढांचा चार्ट 3.1 में नीचे दिया गया है :

चार्ट 3.1

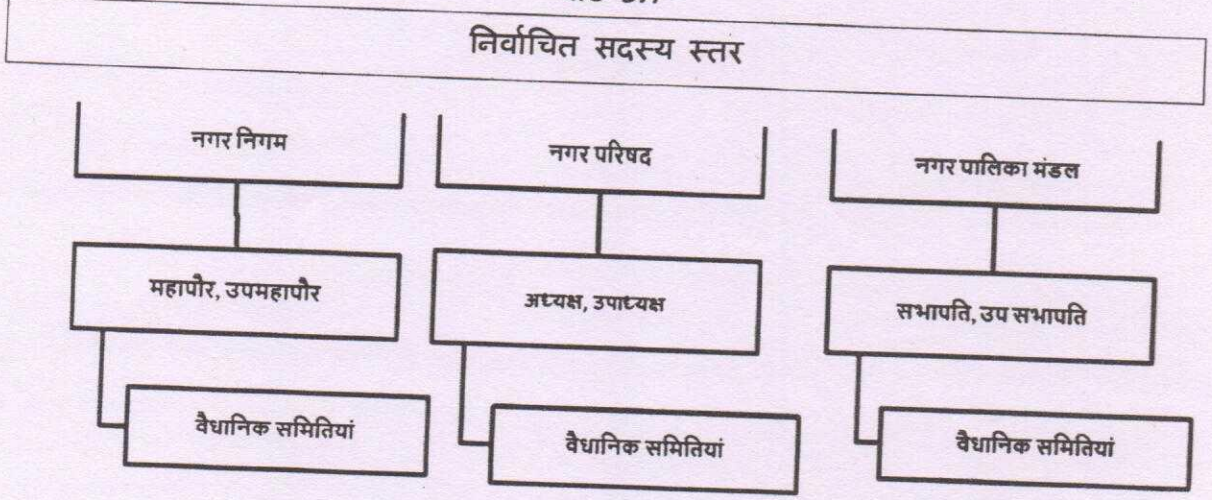

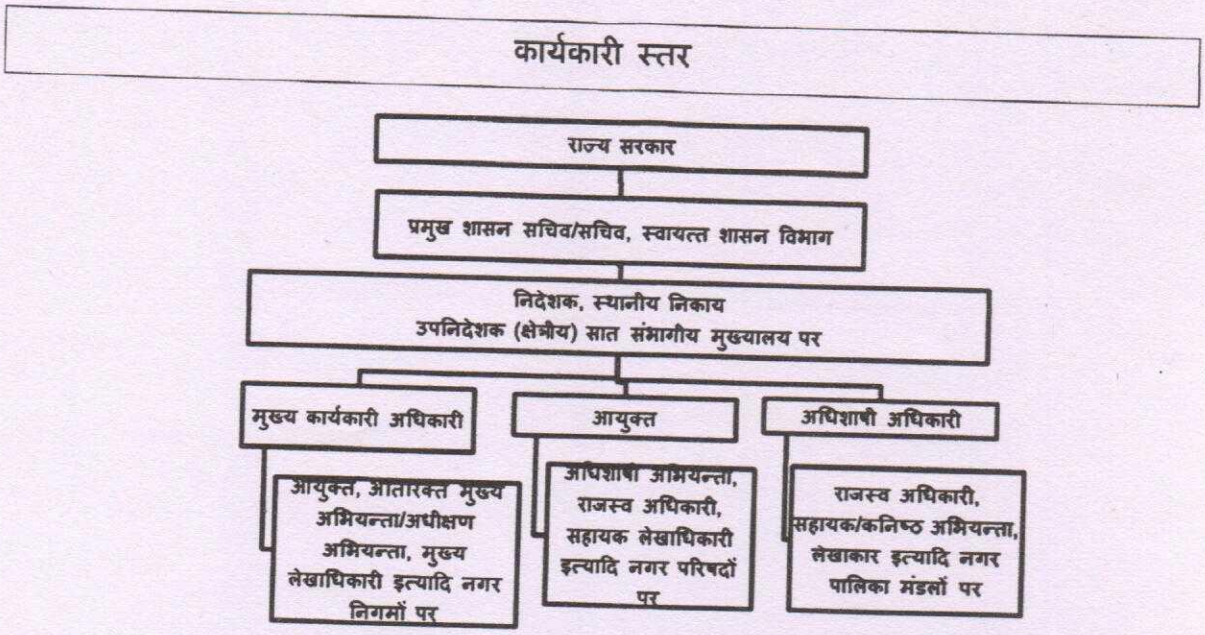

कार्यकारी स्तर

विभागीय अनुपालना : अनुपालना अपेक्षित नही।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी : अनुच्छेद परिचयात्मक है, अतः कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना : अनुच्छेद परिचयात्मक है, अतः कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं।

समिति की सिफारिश : समिति की कोई टिप्पणी नही।

अनुच्छेद संख्या 3.3 : शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति

शहरी स्थानीय निकायों के मूलभूत कार्यों[5] के रूप में कार्यपद्धति का उल्लेख राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के धारा 45 से 47 और 101 से 103 में किया गया है, अन्य

---

[5]. सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस कचरा प्रबंधन, जल निकासी और सीवरेज, सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और नाली और सभी रिक्त स्थान की सफाई, सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और इमारतों पर प्रकाश, आग बुझाने और जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए जब आग लगी हो, आदि

कार्यों में पर्यावरण की सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा और संस्कृति, लोक कल्याण, सामुदायिक संबंधों और सरकार[6] द्वारा सौंपे गए कार्य।

- *शहरी स्थानीय निकायों को निधियों, कार्यों और कार्मिकों का हस्तान्तरण*

चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन द्वारा अन्तर्निर्दिष्ट धारा 243 डब्ल्यू में संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों के संबंध में नगरपालिकाओं को शक्तियां एवं उत्तरदायित्व का हस्तांतरण चाहा गया था। निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, द्वारा दी गई सूचना (फरवरी 2016) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 16 विषयों (*परिशिष्ट-X* से संबंधित कार्य पहले से ही किए जा रहे हैं। शेष दो कार्यों के संबंध में 6 फरवरी 2013 की अधिसूचना के अनुसार आठ[7] शहरी स्थानीय निकायों मे 'जल आपूर्ति' के कार्य किए जा रहे है जबकि 'नगर नियोजन' कार्य को अभी शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किया जाना शेष है।

विभागीय अनुपालना

राजस्थान सरकार द्वारा 74वें संविधान संशोधन की मंशा के अनुसार स्थानीय निकायों को 12 अनूसूची अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में प्रावधानों में 18 में से 16 विषय हस्तान्तरित किए जाकर स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जा रहा है। स्थानीय निकायों द्वारा मुख्यतया पब्लिक से जुड़ी आवश्यक सेवाओं जैसे सफाई, स्वास्थ्य, सावर्जनिक रोशनी, सीवरेज, फायर जैसी महत्वपूर्ण सेवायें आदि उपलब्ध कराने का कार्य प्रभावी रूप से किया जा रहा है। अन्य विषयों जिनकों स्थानीय निकायो के स्थान पर राज्य सरकार के विभागों द्वारा प्रभावी रूप से सम्पादित किए जा रहे है तथा इसके लिए राज्य सरकार के विभाग पूर्णतया सक्षम है। विभागों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन, एवं कार्यो का संपादन स्थानीय निकाय विभाग के जनप्रतिनिधियों मेयर/अध्यक्ष एवं अधिकारियों के मध्य समन्वय एवं उनके सूझावों के अनुसार ही किए जा रहे है तथा विभिन्न जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय कमेटियां में स्थानीय निकाय विभागों के जनप्रतिनिधियों/अधिकारी आवश्यक रूप से सदस्य होते है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

---

6. राज्य सरकार ने सामान्य या विशेष आदेश हो सकते है, एक नगरपालिका इसी तरह की अन्य नगरपालिका के कार्यो का निष्पादन करना आवश्यक होगा जैसा कि सरकार चाहे, नगरपालिका की आवश्यकता और संसाधनों के ध्यान में रखते हुए, नगरपालिका द्वारा किए गए निष्पादित कार्य को उचित समझना
7. बूंदी, चौमू, जैसलमेर, करौली, नागौर, नाथद्वारा, नोखा और श्रीगंगानगर

'74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता' विषयक निष्पादन लेखापरीक्षा पर पृथक से तैयार किये गये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वर्ष 2021 का 5वां प्रतिवेदन) में समाविष्ट 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अन्तर्निर्दिष्ट धारा 243 डब्ल्यू में संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों के सबंध में नगरपालिकाओं को शक्तियों एवं उत्तरदायित्व के हस्तान्तरण संबंधी अनुच्छेदों पर विभागीय प्रत्युत्तर (दिनांक 06.07.2022) पर की गई संवीक्षा टिप्पणी (18.07.2022) अनुसार क्रियान्विति एवं अनुपालना से समिति को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

राजस्थान सरकार द्वारा 74वें संविधान संशोधन की मंशा के अनुसार स्थानीय निकायों को 12 अनूसूची अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में प्रावधानों में 18 में से 16 विषय हस्तान्तरित किए जाकर स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जा रहा है। स्थानीय निकायों द्वारा मुख्यता पब्लिक से जुड़ी आवश्यक सेवाओं जैसे सफाई, स्वास्थ्य, सावर्जनिक रोशनी, सीवरेज, फायर जैसी महत्वपूर्ण सेवायें आदि उपलब्ध कराने का कार्य प्रभावी रूप से किया जा रहा है। अन्य विषयों जिनकों स्थानीय निकायो के स्थान पर राज्य सरकार के विभागों द्वारा प्रभावी रूप से सम्पादित किए जा रहे है तथा इसके लिए राज्य सरकार के विभाग पूर्णतया सक्षम है। विभागों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन, एवं कार्यो का संपादन स्थानीय निकाय विभाग के जनप्रतिनिधियों मेयर/अध्यक्ष एवं अधिकारियों के मध्य समन्वय एवं उनके सूझावों के अनुसार ही किए जा रहे है तथा विभिन्न जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय कमेटियां में स्थानीय निकाय विभागों के जनप्रतिनिधियों/अधिकारी आवश्यक रूप से सदस्य होते है।

समिति की सिफारिश : कोई टिप्पणी नही।

अनुच्छेद संख्या 3.4: विभिन्न समितियों का गठन

अनुच्छेद संख्या *3.4.1: जिला आयोजना समिति*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 158 के अनुसरण में, राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में जिला आयोजना समिति का गठन करती है। जिला कलेक्टर, जिला आयोजना समिति का सदस्य है और वह या उसके द्वारा नामित अधिकारी जिला आयोजना समिति की बैठक में उपस्थित होता है।

जिला आयोजना समिति की बैठक के कोरम के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों में से 33 प्रतिशत की उपस्थिति आवश्यक है।

जिला आयोजना समिति का मुख्य कार्य पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा जिले में तैयार की गई वार्षिक योजनाओं को समेकित करना और सम्पूर्ण जिले के लिए एक विकासात्मक योजना का प्रारूप तैयार करना और इसे राज्य सरकार को अग्रेषित करना है।

जिला आयोजना समिति की कार्यपद्धति विभाग द्वारा सूचित नहीं की गई थी (जनवरी 2016)।

विभागीय अनुपालना

उक्त कमेटी का गठन जिला स्तर पर गठन किया जाता है। अधिकांश जिलो में कमेटियां कार्य कर रही है। जिनमें स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों का भी निर्वाचन किया जाता है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

सभी जिलों में जिला आयोजना समिति का गठन किया जाकर इनकी नियमित रूप से बैठकों का आयोजन एवं इन बैठकों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच सामान्य हितों के मामलों को उठाया जाना तथा कोडल प्रावधानों के अनुसार विकास योजनाओं के मसौदों को तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिनका अनुश्रवण/पर्यवेक्षण विभागीय स्तर पर अपेक्षित है। इसकी अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

उक्त कमेटी का गठन जिला स्तर पर गठन किया जाता है। अधिकांश जिलो में कमेटियां कार्य कर रही है। जिनमें स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों का भी निर्वाचन किया जाता है।

समिति की सिफारिश : कोई टिप्पणी नही।

अनुच्छेद संख्या 3.4.2 : स्थायी समितियां

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 में निहित प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा और कार्यकारी समिति

के अतिरिक्त, प्रत्येक नगरपालिका दस से अनाधिक सदस्यों से मिलकर निम्नलिखित समितियां का भी गठन करेगी, (i) वित्त समिति, (ii) स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति (iii) भवन अनुज्ञा और निर्माण समिति (iv) कच्ची बस्ती सुधार समिति (v) नियम और उपविधिक समिति (vi) समझौता और अपराधों का शमन समिति और (vii) एक नगरपालिका के कार्यों की देखरेख के लिए कमेटी, नगर निगमों के मामले में आठ से अनाधिक, नगर परिषद के मामले में छह से अनाधिक और नगर पालिका मंडलों के मामले में चार से अनाधिक, ऐसी समितियां गठित कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे[8]।

निदेशालय, स्थानीय निकाय ने अवगत (जनवरी 2016) कराया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अनुसार सभी स्थानीय निकायों में समितियां गठित की जा रही है। मौजूदा स्थायी समितियों की वास्तविक स्थिति की सूचना चाही गई थी, तथापि, विभाग द्वारा इसको उपलब्ध नहीं करवायी गयी (जनवरी 2016)।

विभागीय अनुपालना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 की उपधारा 5 में दिये गये प्रावधानानुसार समितियों का गठन किया जाता है। नगरपालिका द्वारा समिति गठन किन्ही अपरिहार्य कारणों से समितियां 90 दिवस में गठित नहीं की जाती है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रावधानुसार नगरपालिका को समितियां गठित करने के निर्देश दिये जाते है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अन्तर्गत गठित स्थायी समितियों के विवरण निदेशालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारणों एवं वर्तमान में गठित समितियों के विवरण से समिति को अवगत करावें।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 की उपधारा 5 में दिये गये प्रावधानानुसार समितियों का गठन किया जाता है। नगरपालिका द्वारा समिति गठन किन्ही अपरिहार्य कारणों से समितियां 90 दिवस में गठित नहीं की जाती है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रावधानुसार नगरपालिका को समितियां गठित करने के निर्देश दिये जाते है।

समिति की सिफारिश : कोई टिप्पणी नही।

---

8. राज्य सरकार, नगरपालिका के कार्यों को देखते हुए, इस धारा में निर्दिष्ट समितियों की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकेगी

अनुच्छेद संख्या 3.5 : लेखापरीक्षा व्यवस्था

अनुच्छेद संख्या *3.5.1 : प्राथमिक लेखापरीक्षक*

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा 4 और राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा नियमावली, 1955 के अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय के खातों की लेखापरीक्षा के लिए प्राथमिक/सांविधिक लेखापरीक्षक है। राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा 18 के अन्तर्गत, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग उसका वार्षिक समेकित प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजेगा और सरकार इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान का वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के पटल पर क्रमशः 22 मार्च 2013, 20 फरवरी 2014 और 25 मार्च 2015 को प्रस्तुत कर दिया गया। वर्ष 2014-15 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन था (जनवरी 2016)।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने मार्च 2015 तक शहरी स्थानीय निकायों की केवल 43 इकाइयों लेखापरीक्षा में आवृत की (नगर निगम : दो, नगर परिषद : सात और नगर पालिका मंडल : 34) और शेष शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा किया जाना शेष था। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने अवगत कराया (मई 2015) कि लेखापरीक्षा में कमी का कारण रिक्त पद और कार्मिकों का सामान्य, शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में लगे होना था।

विभागीय अनुपालना

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को निर्धारित समयावधि में अंकेक्षण कार्य कराने हेतु विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने हेतु स्थानीय निकायों को निर्देशित किया जा चुका है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

मार्च 2015 को 188 शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम : 7, नगर परिषद : 34, नगरपालिका मंडल : 147) में से केवल मात्र 43 इकाइयों (नगर निगम : 2, नगर परिषद : 7, नगरपालिका मंडल : 34) की लेखापरीक्षा आवृत किये जाने के कारणों से एवं वर्ष 2022-23 में लेखापरीक्षा के लिये लक्षित इकाईयों/योजना से समिति को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पर्याप्त शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा निर्धारित समयावधि में आयोजित करने हेतु वार्षिक कार्ययोजना बनाना एवं उसकी क्रियान्वती सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को निर्धारित समयावधि में अंकेक्षण कार्य कराने हेतु विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने हेतु स्थानीय निकायों को निर्देशित किया जा चुका है।

समिति की सिफारिश

(1) **समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपानुसार 188 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 43 इकाइयों की ही लेखापरीक्षा आवृत किये जाने के कारणों से एवं वर्ष 2022-23 में लेखापरीक्षा के लिये लक्षित इकाईयों/योजना से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें ।**

अनुच्छेद संख्या 3.5.2: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक किसी राज्य की संचित निधि से अनुदान या ऋण द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित निकायों की लेखापरीक्षा सम्पादित करता है। इसके अलावा, 2011 में यथा संशोधित[9], राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 99-क, नगरपालिकाओं के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किए जाने का प्रबन्ध करता है।

स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच और चर्चा करने के लिए स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति 1 अप्रैल 2013 से राजस्थान विधानसभा में गठित की गई है।

- ***तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता/पर्यवेक्षण का क्रियान्वयन***

---

[9]. नगरपालिकाओं के खाते नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंकेक्षित किए जाऐगें

तेरहवें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार, वित्त (लेखापरीक्षा) विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण/सहायता के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की सभी स्तरों की लेखापरीक्षा के तहत 13 मापदंडों को अपनाने के लिए अधिसूचना जारी (2 फरवरी 2011) की।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा मार्च 2015 तक अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित 58 तथ्यात्मक विवरणों/प्रारूप अनुच्छेदों तथा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के 12 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण/सहायता के अन्तर्गत प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान द्वारा की गई टिप्पणियां से निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को अवगत कराया गया।

विभागीय अनुपालना

स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा सीएजी प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 तक एवं प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के आक्षेपों की अद्यतन अनुपालना महालेखाकार को प्रेषित करने की कार्यवाही की गयी है। भविष्य में समयबद्ध रूप से अनुपालनाएं प्रेषित कर दी जावेगी।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

उप सचिव (सदन), राजस्थान विधानसभा के अ.शा. पत्रांक एफ.9 (02)/स्था.नि.पं.स/राविस/2009-10/21636 दिनांक 26 अगस्त 2020 में अवगत कराया गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2004-05 से 2012-13 तक में समाविष्ट अनुच्छेद काफी पुराने हो जाने के कारण इन पर अग्रेतर कार्यवाही की जिम्मेदारी महालेखाकार कार्यालय पर छोड़ दिया गया है, तद्नुसार उक्त वर्षों के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों पर विभाग की अद्यतन अनुपालना इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है, जिससे कि अनुच्छेदों पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा सीएजी प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 तक एवं प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के आक्षेपों की अद्यतन अनुपालना महालेखाकार

को प्रेषित करने की कार्यवाही की गयी है। भविष्य में समयबद्ध रूप से अनुपालनाएं प्रेषित कर दी जावेगी।

समिति की सिफारिश

(2) **समिति सिफारिश करती है कि वर्ष 2004-05 से 2012-13 तक में समाविष्ट अनुच्छेदों (जिन पर अग्रेतर कार्यवाही की जिम्मेदारी महालेखाकार कार्यालय पर छोड़ दी गई है), पर विभाग की अद्यतन अनुपालना महालेखाकार कार्यालय को शीघ्रताशीघ्र प्रेषित करावें।**

अनुच्छेद संख्या 3.6: लेखपरीक्षा आक्षेपों के प्रत्युतर

लेखापरीक्षा आक्षेपों के शीघ्र निपटान के लिए, लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाए जाने और/अथवा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बताए जाने पर कमियों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शीघ्र प्रयास किए जाने चाहिए थे।

अवधि 2010-15 के लिए, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी 377 निरीक्षण प्रतिवेदन के, रुपये 5,853.92 करोड़ की मौद्रिक राशि के 3,700 अनुच्छेद शहरी स्थानीय निकायों के संतोषजनक अनुपालना के अभाव में 31 मार्च 2015 तक समायोजन के लिए लम्बित थे। इन लम्बित में से, 128 निप्र के 1,495 अनुच्छेदों की प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन भी नीचे सारणी 3.2 में दिए गए विवरणानुसार प्रेषित नहीं की गई :

सारणी 3.2

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	मौद्रिक मूल्य (रुपये करोड़ में)	बकाया प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन	
				निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद
2010-11	37	347	584.89	02	19
2011-12	65	478	512.45	-	-
2012-13	79	925	1,408.08	28	345
2013-14	103	957	1,862.99	38	426
2014-15	93	993	1,485.51	60	705
योग	377	3,700	5,853.92	128	1,495

इसने शहरी स्थानीय निकाय प्राधिकारियों के त्वरित प्रत्युत्तर देने के अभाव को इंगित किया है, परिणामस्वरूप पूर्व में बताई गई कमियों एवं चूकों की पुनरावृत्ति हुई।

• वर्ष 2010-11 से मार्च 2015 की अवधि में, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी 20,353 निरीक्षण प्रतिवेदन के 2,38,165 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे। लेखापरीक्षा आक्षेप रुपये 0.12 करोड़ मौद्रिक राशि के 33 गबन के प्रकरण निपटान के लिए लम्बित थे। अग्रेतर, 37 निरीक्षण प्रतिवेदन के लिए प्रथम अनुपालना अभी भी निम्न सारणी 3.3 में दिए गए विवरणानुसार लम्बित थी :

सारणी 3.3

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	इकाईयों की संख्या जिनकी प्रथम अनुपालना बकाया	गबन के प्रकरण	
				संख्या	मौद्रिक मूल्य (रुपये लाख में)
2010-11	5,027	57,967	08	16	2.32
2011-12	5,544	59,549	07	06	0.10
2012-13	4,870	59,920	14	05	0.05
2013-14 (मार्च 2015 तक)	4,912	60,729	08	06	9.85
योग	20,353	2,38,165	37	33	12.32

स्त्रोत : निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

इसने नगरपालिका/विभागीय प्राधिकारियों के त्वरित प्रत्युत्तर देने के अभाव को इंगित किया जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में बताई गई कमियों एवं चूको की पुनरावृत्ति हुई।

• विभाग द्वारा फरवरी 2013 से लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई थी जबकि लेखापरीक्षा समिति की बैठक हर तिमाही में आयोजित की जानी आवश्यक है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के प्रत्युत्तर

गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों[10] में शामिल रूपये 871.25 करोड़ मौद्रिक राशि के 15 अनुच्छेद 31 दिसम्बर 2015 को राज्य सरकार के जवाब की प्रतीक्षा में समायोजन के लिए लम्बित थे।

लेखापरीक्षा का प्रभाव

[10]. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008-10 (चार अनुच्छेद : रूपये 659.65 करोड़), 2012-13 (पांच अनुच्छेद : रूपये 48.77 करोड़) और 2013-14 (छः अनुच्छेद : रूपये 162.83 करोड़)

वर्ष 2014-15 के दौरान, लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर सात प्रकरणों में रूपये 0.90 करोड़ की वसूली की गई।

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर लेखापरीक्षा द्वारा जारी (जून 2015) किए गए प्रारूप अनुच्छेदों के आधार पर नगर परिषद, भीलवाड़ा द्वारा गैर-वाणिज्यिक से वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के लिए रूपान्तरण शुल्क के रूप में राशि रूपये 0.50 करोड़ की वसूल की। अग्रेतर, नगर परिषद, श्रीगंगानगर ने संविदाकारों से रूपये 0.35 करोड़ श्रमिक कल्याण उपकर के रूप में वसूल किए।

विभागीय अनुपालना

विभाग द्वारा महालेखाकार के निर्देशानुसार ठोस कार्यवाही किये जाने एवं कार्य योजना तैयार की जाकर प्रकरणों का निस्तारण की कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

यह प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा के पटल पर दिनांक 02.09.2016 को उपस्थापित किया गया था। जिसके लगभग $5^{1/2}$ वर्षों के पश्चात दिनांक 03.08.2022 को इस प्रतिवेदन के अध्याय-III पर विभाग द्वारा प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया है। निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्रेषित करने के संबंध में किये गये प्रयासों से समिति को अवगत करावें।

लम्बित अनुच्छेदों के निपटान के लिए नियमित रूप से लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के संचालन के लिए निदेशक, स्थानीय अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रयास किये जाने एवं लेखापरीक्षा में इंगित अनियिमितताओं को ठीक करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा भी त्वरित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

विभाग द्वारा महालेखाकार के निर्देशानुसार ठोस कार्यवाही किये जाने एवं कार्य योजना तैयार की जाकर प्रकरणों का निस्तारण की कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिय गया है।

समिति की सिफारिश

(3) समिति सिफारिश करती है कि अनुच्छेदान्तर्गत निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्रेषित करने के संबंध में एवं लेखापरीक्षा में इंगित अनियिमितताओं को ठीक करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु किये गए प्रयासो से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद संख्या 3.7: लोकायुक्त

राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973, राज्य में 3 फरवरी 1973 को अस्तित्व में आया जो कि नगर निगम के महापौर एवं उप-महापौर, नगर परिषद के सभापति एवं उप-सभापति, नगरपालिका मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 द्वारा या अधीन गठित या गठित मानी गई किसी भी कमेटी के अध्यक्ष के कार्यों को शामिल भी करता है।

विभागीय अनुपालना

नीतिगत निर्णय होने पर अवगत करा दिया जावेगा।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

लोकायुक्त के गठन की स्थिति से समिति को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नीतिगत निर्णय होने पर अवगत करा दिया जावेगा।

समिति की सिफारिश

(4) समिति सिफारिश करती है कि लोकायुक्त के गठन की स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद संख्या 3.8: सम्पत्ति कर बोर्ड

तेरहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को संपत्ति कर का स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया से आंकलन करने में सहायता के लिए एक राज्य स्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की। आयोग ने बोर्ड को राज्य में, शहरी स्थानीय निकायों की समस्त सम्पत्तियों की गणना करने या गणना कराने तथा एक डाटा बेस विकसित करने, सम्पत्ति कर तन्त्र की समीक्षा करने एवं सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त आधार का सुझाव देना, सम्पत्तियों

के मूल्यांकन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और डिजाइन तैयार करना, राज्य में शहरी स्थानीय निकायों में सत्यापन के लिए निरीक्षण की भी सिफारिश की।

राज्य सरकार ने एक राज्य स्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड का गठन (फरवरी 2011) किया।

सम्पत्ति कर बोर्ड की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचना विभाग से (जनवरी 2016) चाही गई, थी, लेकिन प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2016) था।

विभागीय अनुपालना

प्रोपर्टी टैक्स बोर्ड का गठन फरवरी 2011 में किया गया था। नगरीय विकास कर से संबंधी निर्णयों एवं सुझावों का कार्य लगातार प्रशासनिक विभाग स्तर पर किया जा रहा है। प्रशासनिक विभाग द्वारा नगरीय विकास कर की वसूली के सन्दर्भ में निकायो को तकनीकी जानकारी नगरीय विकास कर के रिविजन के संबंध में आवश्यक अधिकार एवं शक्तियाँ तथा मार्गदर्शन विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से दिये गये है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

फरवरी 2011 में गठित राज्य स्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड द्वारा आयोजित बैठकों के विवरण, इसके कार्यकाल एवं सम्पत्ति कर बोर्ड के गठन की वर्तमान स्थिति से समिति को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

प्रोपर्टी टैक्स बोर्ड का गठन फरवरी 2011 में किया गया था। नगरीय विकास कर से संबंधी निर्णयों एवं सुझावों का कार्य लगातार प्रशासनिक विभाग स्तर पर किया जा रहा है। प्रशासनिक विभाग द्वारा नगरीय विकास कर की वसूली के सन्दर्भ में निकायो को तकनीकी जानकारी नगरीय विकास कर के रिविजन के संबंध में आवश्यक अधिकार एवं शक्तियाँ तथा मार्गदर्शन विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से दिये गये है।

समिति की सिफारिश

(5) समिति सिफारिश करती है कि राज्य स्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड गठन उपरांत आयोजित बैठकों, कार्यकाल एवं सम्पादित कार्यों के विवरण से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद संख्या 3.9 : अग्नि जोखिम प्रतिक्रिया

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के जारी एवं उपयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार दस लाख से अधिक जनसंख्या (जनगणना 2001) वाले सभी नगर निगमों को अपने अधिकार क्षेत्र में एक अग्नि जोखिम प्रतिक्रिया और शमन योजना स्थापित करनी चाहिए। संबंधित राज्य सरकार के राजपत्र में इन योजनाओं का प्रकाशन शर्त के साथ अनुपालना का वर्णन करेगें।

2011 की जनगणना के अनुसार, केवल नगर निगम, जयपुर ने एक अग्नि जोखिम प्रतिक्रिया और शमन योजना तैयार की है और इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित (21 मार्च 2011) किया गया था।

विभागीय अनुपालना

2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के तीन शहरो की जनसंख्या दस लाख से अधिक है किन्तु केवल नगर निगम जयपुर ने अग्नि जोखिम प्रतिक्रिया और शमन योजना तैयार की है और इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित (21 मार्च 2011) किया गया था। शेष निकायों में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। शेष शहरों में अग्नि जोखिम प्रतिक्रिया और शमन योजना लागू करने के लिये निर्देशित किया जा रहा है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

21 मार्च 2011 को नगर निगम, जयपुर में तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के निर्गम एवं उपयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक अग्नि जोखिम प्रतिक्रिया और शमन योजना अधिसूचित करने के 10 वर्षों के उपरान्त वर्तमान में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों (जोधपुर एवं कोटा) में अग्नि जोखिम प्रतिक्रिया और शमन योजना को स्थापित किये जाने के संबंध में किये गये प्रयासों से समिति को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के तीन शहरो की जनसंख्या दस लाख से अधिक है किन्तु केवल नगर निगम जयपुर ने अग्नि जोखिम प्रतिक्रिया और शमन योजना तैयार की है और इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित (21 मार्च 2011) किया गया था। शेष निकायों में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। शेष शहरों में अग्नि जोखिम प्रतिक्रिया और शमन योजना लागू करने के लिये निर्देशित किया जा रहा है।

समिति की सिफारिश

(6) समिति सिफारिश करती है कि तेरहवें वित्त आयोग अनुदान द्वारा निर्देश जारी किये जाने के 12 वर्ष के उपरान्त भी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों (जोधपुर एवं कोटा) में अग्नि जोखिम प्रतिक्रिया और शमन योजना को स्थापित नहीं किये जाने के कारणों से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें ।

अनुच्छेद संख्या 3.10 : उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण

वर्ष 2014-15 के दौरान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत क्रमशः रू. 692.23 करोड़ और रू. 200.26 करोड़ के अनुदान प्राप्त हुए थे और वही वित्त विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी किए गए थे। शहरी स्थानीय निकायों ने रू. 351.37 करोड़ (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग) एवं रू. 201.30 करोड़ (तेरहवें वित्त आयोग) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के संबंध में रू. 340.86 करोड़ (49 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे।

विभागीय अनुपालना

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के तहत वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक आवंटित कुल राशि 1620.55 करोड़ के विरुद्ध लगभग पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

13वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक आवंटित कुल राशि रु0 1267.86 के विरुद्ध रुपये 1160.99 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं (91.57 प्रतिशत)

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों हेतु किये जाने एवं उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समयावधि में प्रेषित करने पर प्रभावी नियंत्रण/पर्यवेक्षण विभागीय स्तर पर किया जाना अपेक्षित है।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के तहत वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक आवंटित कुल राशि 1620.55 करोड़ के विरुद्ध लगभग पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

13वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक आवंटित कुल राशि रु0 1267.86 के विरुद्ध रुपये 1160.99 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं (91.57 प्रतिशत) ।

समिति का अभिमत

समिति अपेक्षा करती है कि विभाग द्वारा आक्षेपानुसार शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु किये जाने एवं उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा ।

अनुच्छेद संख्या 3.11

शहरी स्थानीय निकायों की आन्तरिक लेखापरीक्षा व आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 99 के अनुसार राज्य सरकार या नगरपालिका, नगरपालिका के दैनिक लेखाओं की आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए विहित रीति में उपबन्ध कर सकेगी। निदेशालय स्थानीय निकाय ने सूचित किया (जनवरी 2016) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कोई व्यवस्था नही थी, जबकि शहरी स्थानीय निकायों का आन्तरिक नियंत्रण विभाग और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जा रहा था।

विभागीय अनुपालना

शहरी स्थानीय निकायों के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था नहीं है। महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा नगर निकायों के लेखों का अंकेक्षण किया जाता है।

इसके अलावा सर्टीफाईड सनदीलेखाकारों के माध्यम से निकायों के लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य रूप से किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

महालेखाकार स्थानीय निकायों की नमूना जांच करता है। अतः उचित होगा कि नगरपालिकाओं के दैनिक लेखों की विहित रीति/व्यवहारिक रूप से एक आन्तरिक लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित किया जावे।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

शहरी स्थानीय निकायों के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था नहीं है। महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा नगर निकायों के लेखों का अंकेक्षण किया जाता है।

इसके अलावा सर्टीफाईड सनदी लेखाकारों के माध्यम से निकायों के लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य रूप से किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

समिति की सिफारिश

(7) समिति सिफारिश करती है कि अनुच्छेदान्तर्गत सर्टीफाईड सनदी लेखाकारों के माध्यम से निकायों के लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य रूप से शीघ्रताशीघ्र आरंभ किये जाने की कार्यवाही से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

अनुच्छेद संख्या 3.12: वित्तीय मुद्दे

3.12.1 निधियों का स्रोत

शहरी स्थानीय निकायों के मूल संसाधन निजी राजस्व, अभ्यर्पित राजस्व, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण हैं, जिसको नीचे रेखा चित्र में दर्शाया गया है :

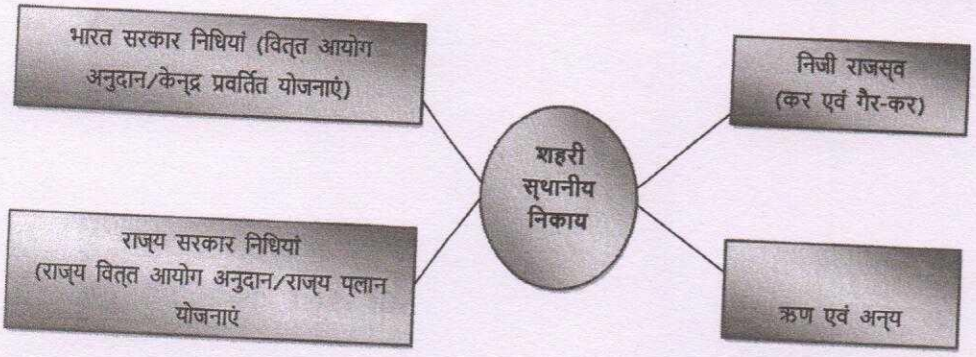

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्तियों की स्थिति नीचे सारणी 3.4 में दी गई है :

सारणी- 3.4

(रूपये करोड़ में)

प्राप्तियों का स्रोत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(क) निजी राजस्व					
(अ) कर राजस्व					
(i) गृह कर	17.59	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) शहरी विकास कर[11]/सम्पत्ति कर	38.94	39.57	46.88	45.31	32.61
(iii) चुंगी एवं मार्गस्थ शुल्क	25.51	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) वाहन कर	0.20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v) यात्री कर	3.52	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi) सीमान्त कर	0.08	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii) अन्य कर[12]	21.26	81.10	205.41	169.94	178.39
(viii) आऊटसोर्सिंग	44.33	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11. 24 फरवरी 2007 से गृह कर समाप्त करने पर 29 अगस्त 2007 से शहरी विकास कर प्रारम्भ किया गया था
12. भूमि राजस्व से आय, विज्ञापन पर कर, तीर्थ कर, अन्य आय इत्यादि

कुल कर राजस्व (अ)	151.43 (7.38)	120.67 (5.29)	252.29 (7.04)	215.25 (5.55)	211.00 (6.02)

(ब) गैर-कर राजस्व					
(i) उपनिधियों से राजस्व[13]	99.39	157.25	416.83	474.33	263.88
(ii) सम्पत्तियों से राजस्व	26.75	26.69	36.08	31.74	22.65
(iii) अधिनियमों से राजस्व	49.05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iV) शास्तियों से राजस्व	11.73	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V) जल कार्यों से राजस्व	0.32	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(Vi) विनियोगो पर ब्याज	22.13	24.80	26.30	42.42	49.07
(Vii) विविध गैर-कर राजस्व[14]	56.29	297.95	477.90	606.72	462.73
(Viii) भूमि विक्रय[15]	305.34	110.38	199.30	139.54	121.04
कुल गैर-कर राजस्व (ब)	571.00 (27.83)	617.07 (27.06)	1,156.41 (32.27)	1,294.75 (33.37)	919.37 (26.24)
कुल निजी राजस्व (क)	722.43 (35.21)	737.74 (32.35)	1,408.70 (39.31)	1,510.00 (38.91)	1,130.37 (32.26)
(ख) अभ्यर्पित राजस्व/मनोरंजन कर	7.21 (0.35)	7.38 (0.32)	0.01 (0.00)	0.00	0.00
(ग) अनुदान एवं ऋण					
(i) सामान्य एवं विशेष अनुदान	40.87	642.78	1,162.55	1,308.41	1,205.06
(ii) चुंगी की एवज में अनुदान	754.09	877.81	965.60	1,062.15	1,168.36
(iii) विशेष सहायता एवं अनुदान	351.67	14.81	47.07	शून्य	शून्य

13. जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र से आय, विज्ञापन संकेत पटल शुल्क, निविदा फार्म शुल्क, विवाह पंजीकरण शुल्क, भवन अनुज्ञा शुल्क, होटल उपविधियों की लाइसेंस शुल्क इत्यादि
14. सीवरेज कर से आय, मेला शुल्क, आवेदन शुल्क, बकरा मण्डी के अनुबन्ध से आय, मवेशी घर से आय, पट्टे से आय इत्यादि
15. जनता, सरकार और अन्य वाणिज्यिक संगठन को भूमि विक्रय से प्राप्ति

कुल अनुदान एवं ऋण (ग)	1,146.63 (55.90)	1,535.40 (67.33)	2,175.22 (60.69)	2,370.56 (61.09)	2,373.42 (67.74)
(घ) विविध अनावर्ती आय[16]	175.11 (8.54)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महायोग (क से घ)	2,051.38	2,280.52	3,583.93	3,880.56	3,503.79

स्रोत : निदेशालय, स्थानीय निकाय, राजस्थान द्वारा उपलब्ध (दिसम्बर 2015) करवाए गए आंकड़ों के अनुसार

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें कुल प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाते हैं

उपरोक्त आंकड़ें केवल 184 शहरी स्थानीय निकायों के हैं चार शहरी स्थानीय निकाय कार्यरत नहीं थी

उपरोक्त सारणी निम्नलिखित इंगित करती है :

- वर्ष 2014-15 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की कुल प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में रुपये 376.77 करोड़ (9.71 प्रतिशत की गिरावट) की कमी हुई।

- वर्ष 2014-15 के दौरान कुल राजस्व में केवल 6.02 प्रतिशत कर राजस्व शामिल थे। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 1.97 प्रतिशत की गिरावट हुई। कर राजस्व में प्रमुख कमी शहरी विकास कर के अन्तर्गत थी, जिसमें 28.03 प्रतिशत(रुपये 12.70 करोड़) की कमी हुई।

- वर्ष 2014-15 के दौरान कुल राजस्व में 26.24 प्रतिशत गैर-कर राजस्व शामिल थे। विनियोगों पर ब्याज में रुपये 6.65 करोड़ की वृद्धि के बावजूद भी, वर्ष 2014-15 के दौरान यह कमी गत वर्ष की तुलना में 28.99 प्रतिशत की हुई। गैर-कर राजस्व में कमी विभिन्न मदों के अन्तर्गत जैसे उपविधियों से राजस्व[17] रुपये 210.45 करोड़ (44.37 प्रतिशत), सम्पत्तियों से राजस्व रुपये 9.09 करोड़ (28.64 प्रतिशत), विविध गैर-कर राजस्व रुपये 143.99 करोड़ (23.73 प्रतिशत) और भूमि विक्रय रुपये 18.50 करोड़ (13.26 प्रतिशत) से हुई थी।

- शहरी स्थानीय निकायों ने 'सामान्य एवं विशेष अनुदान' में राशि रुपये 103.35 करोड़ की राशि कम प्राप्त की अर्थात् गत वर्ष की तुलना में 7.90 प्रतिशत की गिरावट आई। 'चुंगी की एवज में अनुदान' की राशि में रुपये 106.21 करोड़ की वृद्धि हुई, जो कि गत वर्ष की तुलना मे 10 प्रतिशत बढ़ी।

---

16. इसमें जमा एवं ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली सम्मिलित है
17. नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 340 के अन्तर्गत नगर निकायों को उपविधि बनाने की शक्ति है

- वर्ष 2014-15 के दौरान निजी राजस्व (कर एवं गैर-कर) कुल राजस्व का 32.26 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 में निजी राजस्व कुल राजस्व का 38.91 प्रतिशत था। यह शहरी स्थानीय निकायों की अनुदान एवं ऋण पर निर्भरता को इंगित करता है।

व्यय

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों में व्यय की स्थिति नीचे सारणी 3.5 में दी गई है :

सारणी 3.5

(रुपये करोड़ में)

व्यय की मदें	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(क) आवर्ती व्यय					
सामान्य प्रशासन	519.03 (28.47)	966.84 (33.45)	1,090.10 (31.19)	1,129.71 (28.56)	1,157.04 (33.33)
जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	359.19 (19.70)	637.66 (22.06)	772.28 (22.10)	197.30 (4.99)	228.21 (6.57)
नागरिक सुविधाओं का संधारण	220.89 (12.11)	737.67 (25.52)	898.26 (25.70)	862.68 (21.81)	671.97 (19.36)
आवर्ती व्यय का योग (क)	**1,099.11 (60.28)**	**2,342.17 (81.03)**	**2,760.64 (78.99)**	**2,189.69 (55.36)**	**2,057.22 (59.27)**
(ख) अनावर्ती व्यय					
विकासात्मक कार्यों पर व्यय	408.33 (22.39)	394.56 (13.66)	518.72 (14.84)	1,401.32 (35.43)	1,150.42 (33.14)
नवीन परिसम्पत्तियों का क्रय	24.03 (1.32)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य
ऋणों का पुनर्भुगतान	85.08 (4.67)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	24.22 (0.61)	31.79 (0.92)
विविध अनावर्ती व्यय[18]	206.78 (11.34)	153.62 (5.31)	215.66 (6.17)	339.95 (8.60)	231.79 (6.68)
अनावर्ती व्यय का योग (ख)	**724.22 (39.72)**	**548.18 (18.97)**	**734.38 (21.01)**	**1,765.49 (44.64)**	**1,414.00 (40.73)**
महायोग (क + ख)	**1,823.33**	**2,890.35**	**3,495.02**	**3,955.18**	**3471.22**

स्रोत : निदेशालय, स्थानीय निकाय, राजस्थान द्वारा उपलब्ध (दिसम्बर 2015) करवाए गए आंकड़ों के अनुसार
टिप्पणी : उपरोक्त आंकड़ें केवल 184 शहरी स्थानीय निकायों के हैं, चार शहरी स्थानीय निकाय कार्यरत नहीं थी

उपरोक्त सारणी निम्नलिखित इंगित करती है :

- वर्ष 2014-15 में आवर्ती व्यय गत वर्ष की तुलना में रुपये 132.47 करोड़ (6.05 प्रतिशत) की कमी आई। यह मुख्यत: नागरिक सुविधाओं के संधारण पर रुपये 190.71 करोड़ (22.11 प्रतिशत) के व्यय में कमी की वजह से थी।

- वर्ष 2014-15 में अनावर्ती व्यय गत वर्ष की तुलना में रुपये 351.49 करोड़ (19.91 प्रतिशत) की कमी हुई, यह मुख्यत: विकासात्मक कार्यो, विविध अनावर्ती व्यय में कमी और ऋणों के पुनर्भुगतान में वृद्धि के कारण थी।

[18]. इसमें वापसी या जमा, किए गए विनियोग एवं ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण सम्मिलित है

शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्यय को श्रेणी-वार विभाजन नीचे सारणी 3.6 में दिया गया है :

सारणी 3.6

(रुपये करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी	2013-14		वृद्धि (+)/ कमी (-)	2014-15		वृद्धि (+)/ कमी (-)
	प्राप्तियां	व्यय		प्राप्तियां	व्यय	
(क) नगर निगम						
(i) अजमेर	96.83	90.72	(+) 6.11	103.23	86.01	(+) 17.22
(ii) बीकानेर	67.89	72.25	(-) 4.36	61.66	65.94	(-) 4.28
(iii) जयपुर	662.49	715.15	(-) 52.66	667.23	478.18	(+) 189.05
(iv) जोधपुर	165.28	290.01	(-) 124.73	184.79	227.04	(-) 42.25
(v) कोटा	174.44	146.48	(+) 27.96	186.09	181.55	(+) 4.54
(vi) उदयपुर	124.24	132.68	(-) 8.44	147.32	175.63	(-) 28.31
(vii) भरतपुर[19]	-	-	-	45.90	40.06	(+) 5.84
योग (क)	1,291.17	1,447.29	(-) 156.12	1,396.22	1,254.41	(+) 141.81
(ख) नगर परिषद	1,272.17	1,241.52	(+) 30.65	1,002.57	988.71	(+) 13.86
(ग) नगर पालिका मंडल	1,317.22	1,266.37	(+) 50.85	1,105.00	1,228.10	(-) 123.10
महायोग (क+ख+ग)	3,880.56	3,955.18	(-) 74.62	3,503.79	3,471.22	(+) 32.57

स्रोत : निदेशालय, स्थानीय निकाय, राजस्थान द्वारा उपलब्ध (फरवरी 2016) करवाए गए आंकड़ों के अनुसार

उपरोक्त सारणी निम्नलिखित इंगित करती है :

- वर्ष 2014-15 के दौरान, नगर निगम, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर द्वारा प्राप्तियों से अधिक व्यय किए गए।

- वर्ष 2014-15 के दौरान, नगर निगम, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर में अधिशेष था।

---

19. भरतपुर नगर परिषद था, जो कि जून 2014 में नगर निगम में क्रमोन्नत हुआ

- वर्ष 2014-15 के दौरान, रुपये 32.57 करोड़ (0.93 प्रतिशत) का समग्र अधिशेष था।

गत पांच वर्षों के प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सीधे/राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त निधियां और वास्तविक व्यय की सूचना चाही गई (दिसम्बर 2015) और जिसे विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई (फरवरी 2016) गई।

विभागीय अनुपालना

विभागीय स्तर पर नगरीय निकायों की स्वयं के स्त्रोतों से निजी आय की बढोतरी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु समय समय पर नगरीय विकास कर की अधिकतम वसूली हेतु गत वर्षो के बकाया नगरीय विकास कर की एक मुश्त राशि जमा कराये जाने पर ब्याज एवं शास्ती की शत प्रतिशत छूट राज्य सरकार के माध्यम से प्रदान की जा रही है एवं कुछ निकायों जैसे जयपुर नगर निगम आदि में नगरीय विकास कर एवं अन्य राजस्वों की आउटसोरसिंग के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति की जा रही हैं।

नगरीय विकास कर डीएलसी दरे एवं मार्केट रेट के अनुसार होता है तथा भूमि के क्षेत्रफल का आंकलन करके निर्धारित किया जाता है एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जाकर निकायो की आय बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

यूडी टैक्स एवं अन्य करों के Assessment एवं जमा कराने की व्यवस्था ऑनलाइन Digitalised कर दी गयी हैं। नगरीय निकायो की स्वंय की स्त्रोंतो से आय का गत पांच वर्षो का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इसके अलावा नगरीय निकायो द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 339 सहपठित धारा 105 के अन्तर्गत नियम 5 कोचिंग संस्थान/पुस्तकालय/वाचनालय पंजीयन एवं अनुमति शुल्क, हॉस्टल/पीजी, (पेइंग गेस्ट), निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम/ डाइग्नोस्टिक सेन्टर/ क्लिनिक/पैथ लेब, तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क अधिरोपित किया जाकर नगरीय निकायो की निजी आय को बढाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा यूजर चार्जेज की वसूली हेतु 2019 में अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। ताकि निकायो की निजी आय में बढोत्तरी हो सके।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

- शहरी स्थानीय निकायों को भारत सरकार और राज्य सरकार के अनुदानों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व के संग्रहण को केन्द्रित कर अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाये गये प्रभावी कदमों से समिति को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- निकायों के निजी राजस्व बढ़ाने के नये स्त्रोत के संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण/ निर्देशित किया गया, समिति को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- निकायों का व्यय सामान्य प्रशासन मद की तुलना में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर तथा नागरिक सुविधाओं पर काफी कम था। निकायों को नागरिक सुविधाओं/ विकासात्मक कार्यों पर व्यय की प्रतिशतता में वृद्धि हेतु प्रयास किये जाने अपेक्षित है।

- *निकायों द्वारा प्राप्तियों /अनुदानों का उपयोग निर्दिष्ट उद्धेश्यों के लिये पूर्ण रूप से किया जाये इसका* प्रभावी नियंत्रण / पर्यवेक्षण *निदेशालय स्तर पर सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।*

- जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं का संधारण पर व्यय विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2014-15 में कम व्यय किया गया है जबकि सामान्य प्रशासन के व्यय में विगत वर्षों की तुलना में अधिक व्यय किया गया जो शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख उद्धेश्य के विपरीत है। इस पर टिप्पणी से समिति को अवगत करावें।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

विभागीय स्तर पर नगरीय निकायों की स्वयं के स्त्रोतों से निजी आय की बढोतरी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु समय समय पर नगरीय विकास कर की अधिकतम वसूली हेतु गत वर्षो के बकाया नगरीय विकास कर की एक मुश्त राशि जमा कराये जाने पर ब्याज एवं शास्ती की शत प्रतिशत छूट राज्य सरकार के माध्यम से प्रदान की जा रही है एवं कुछ निकायों जैसे जयपुर नगर निगम आदि में नगरीय विकास कर एवं अन्य राजस्वों की आउटसोरसिंग के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति की जा रही हैं।

नगरीय विकास कर डीएलसी दरे एवं मार्केट रेट के अनुसार होता है तथा भूमि के क्षेत्रफल का आंकलन करके निर्धारित किया जाता है एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जाकर निकायो की आय बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

यूडी टैक्स एवं अन्य करों के Assesstement एवं जमा कराने की व्यवस्था ऑनलाइन Digtalised कर दी गयी हैं। नगरीय निकायो की स्वंय की स्त्रोंतो से आय का गत पांच वर्षो का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इसके अलावा नगरीय निकायो द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 339 सहपठित धारा 105 के अन्तर्गत नियम 5 कोचिंग संस्थान/पुस्तकालय/वाचनालय पंजीयन एवं अनुमति शुल्क, हॉस्टल/पीजी, (पेइंग

गेस्ट), निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम/ डाइग्नोस्टिक सेन्टर/ क्लिनिक/पैथ लेब, तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क अधिरोपित किया जाकर नगरीय निकायो की निजी आय को बढाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा यूजर चार्जेज की वसूली हेतु 2019 में अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। ताकि निकायो की निजी आय में बढोत्तरी हो सके।

समिति का अभिमत

समिति अपेक्षा करती है कि विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अपनी निर्भरता को कम करने के लिए स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व के संग्रहण को केन्द्रित कर अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने के साथ साथ निकायों के निजी राजस्व बढ़ाने के लिए नये स्त्रोतों का यथोचित सर्वेक्षण/निर्देशन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

अनुच्छेद संख्या 3.12.2: राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें

11 अप्रैल 2011 को गठित चतुर्थ राज्य वित्त आयोग तेरहवें वित्त आयोग का समवर्ती है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने अनन्तिम आधार पर राज्य की शुद्ध निजी कर राजस्व (भूमि राजस्व और 25 प्रतिशत प्रवेश कर को छोड़कर) का पांच प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को 75.10 : 24.90 के अनुपात के आधार पर स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने की अनुशंसा की और विभाज्य पूल निर्धारण के लिए बजट आंकड़े अपनाए जाने थे।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अनुदान एवं उपयोग की स्थिति नीचे सारणी 3.7 में दी गई है :

सारणी 3.7

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अनुदान	वित्त विभाग द्वारा निदेशक, स्थानीय निकायों का जारी अनुदान	निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदान	जारी अनुदान में कमी (-)/ वृद्धि (+)	शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		शहरी स्थानीय निकायों से लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
					राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता

2010-11	134.87	132.12	45.00	(-) 87.12	29.91	66.47	15.09	33.53
2011-12	147.95	150.70	237.53	(+) 86.83	106.77	44.95	130.76	55.05
2012-13	325.37	325.37	325.66	(+) 0.29	153.24	47.06	172.42	52.94
2013-14	325.08	325.08	325.08	शून्य	126.06	38.78	199.02	61.22
2014-15	692.23	692.23	692.23	शून्य	351.37	50.76	340.86	49.24
योग	1,625.50	1,625.50	1,625.50	शून्य	767.35	47.21	858.15	52.79

स्रोत : निदेशालय, स्थानीय निकाय, राजस्थान द्वारा उपलब्ध (जनवरी 2016) करवाए गए आंकड़ों के अनुसार

माह जनवरी 2016 तक, केवल 47.21 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए थे और 52.79 प्रतिशत अभी भी लम्बित थे।

विभागीय अनुपालना

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के तहत वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक आवंटित कुल राशि 1620.55 करोड़ के विरुद्ध लगभग पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के तहत जारी अनुदान के विरूद्ध 52.79 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र चतुर्थ वित्त आयोग की अवधि समाप्ति के पश्चात् भी (जनवरी 2016 तक) लम्बित थे। जो निकायों द्वारा अनुदानों के धीमें उपयोग एवं निदेशालय स्तर पर कमी को इंगित करता है। शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों एवं उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समयावधि में प्रेषित किये जाने हेतु निदेशालय स्तर पर ठोस कार्ययोजना/ प्रयास किये जाने अपेक्षित है।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के तहत वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक आवंटित कुल राशि 1620.55 करोड़ के विरुद्ध लगभग पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

समिति का अभिमत : कोई टिप्पणी नहीं है।

अनुच्छेद संख्या 3.12.3: केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार और अग्रेतर राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उसके उपयोग की स्थिति नीचे **सारणी 3.8** में दी गई है :

सारणी 3.8

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला अनुदान	भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से जारी अनुदान	राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदान	शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
				राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
2010-11	111.36	111.36	111.36	60.49	54.32	50.87	45.68
2011-12	173.30	209.49	187.56	98.64	52.59	88.92	47.41
2012-13	254.49	252.06	273.99	95.62	34.90	178.37	65.10
2013-14	361.81	361.81	361.81	218.81	60.48	143.00	39.52
2014-15	355.96	333.15	200.26[20]	200.26	100.00	शून्य	शून्य
योग	1,256.92	1,267.87	1,134.98	673.82	59.37	461.16	40.63

स्रोत : निदेशालय, स्थानीय निकाय, राजस्थान द्वारा उपलब्ध (जनवरी 2016) करवाए गए आंकड़ों के अनुसार

माह जनवरी 2016 तक, राशि रुपये 461.16 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लम्बित थे। यह शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुदानों के धीमें उपयोग और निदेशालय स्तर पर निगरानी की कमी को इंगित करता है।

विभागीय अनुपालना

13वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक आवंटित कुल राशि रु0 1267.86 के विरुद्ध रुपये 1160.99 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं (91.57 प्रतिशत) ।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों एवं उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समयावधि में प्रेषित किये जाने हेतु निदेशालय स्तर पर ठोस कार्ययोजना/ प्रयास किये जाने अपेक्षित है।

---

[20]. सामान्य मूल अनुदान : रुपये 199.64 करोड़, सामान्य निष्पादन अनुदान : रुपये शून्य, विशेष क्षेत्र मूल अनुदान : रुपये 0.18 करोड़ और विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान : रुपये 0.44 करोड़

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

13वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक आवंटित कुल राशि रुपये 1267.86 के विरुद्ध रुपये 1160.99 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं (91.57 प्रतिशत) ।

समिति का अभिमत

समिति अपेक्षा करती है कि विभाग द्वारा आक्षेपानुसार शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु किये जाने एवं उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा ।

अनुच्छेद संख्या 3.12.4: वार्षिक वित्तीय विवरण

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 92 (1) के अनुसार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर एक वित्तीय विवरण, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए नगरपालिका के लेखाओं कें संबंध में आय और व्यय का लेखा तथा प्राप्तियों और संदाय के लेखों का एक तुलन-पत्र तैयार करवाएगा।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग ने सूचित (जनवरी 2016) किया कि लेखों की बहियां और रिपोर्ट/विवरणियां शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर संधारित की जा रही है। निदेशालय स्तर पर रिपोर्ट/विवरणियां प्राप्त नहीं की जा रही हैं।

विभागीय अनुपालना

सभी निकायों के द्वारा वित्तीय वर्ष का आय व्यय का प्रस्ताव संबंधित बोर्ड से अनुमोदित कराया जाता है। निकायों द्वारा अपने लेखें दोहरी लेखांकन प्रक्रिया से संधारित किए जा रहे हैं एवं विभाग की विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के पोर्टल पर भी लेखों को प्रदर्शित किया जाता है।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 92 (1) के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर नगरपालिका के लेखाओं के संबंध में आय और व्यय के लेखों तथा प्राप्तियों और संदाय के लेखों का एक तुलना पत्र तैयार किया जाना विभागीय स्तर पर सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किये जा रहे हैं।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा ऐसा कोई अभिलेख संधारित नहीं था, जो परिचायक है कि कैसे स्थानीय निकायों ने अपने वार्षिक लेखे निर्धारित समय में तैयार किए। इस पर टिप्पणी से समिति को अवगत करावें

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

सभी निकायों के द्वारा वित्तीय वर्ष का आय व्यय का प्रस्ताव संबंधित बोर्ड से अनुमोदित कराया जाता है। निकायों द्वारा अपने लेखें दोहरी लेखांकन प्रक्रिया से संधारित किए जा रहे हैं एवं विभाग की विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के पोर्टल पर भी लेखों को प्रदर्शित किया जाता है।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 92 (1) के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर नगरपालिका के लेखाओं के संबंध में आय और व्यय के लेखों तथा प्राप्तियों और संदाय के लेखों का एक तुलना पत्र तैयार किया जाना विभागीय स्तर पर सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किये जा रहे हैं।

समिति का अभिमत

कोई टिप्पणी नहीं है।

अनुच्छेद संख्या 3.12.5: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखों का संधारण

• राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, 1955 के नियम 25(Xi) के अनुसार, वार्षिक लेखों की सत्यता का प्रमाण-पत्र निदेशक के प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने अवगत कराया (मई 2015) कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए 30 शहरी स्थानीय निकायों[21] के लेखों को स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया है और शेष शहरी स्थानीय निकायों के लेखों का प्रमाणीकरण वार्षिक लेखों और खातों का निर्धारित प्रारूप में संधारण के अभाव में नहीं किया जा सका। इस प्रकार, सभी 188 शहरी स्थानीय निकायों के लेखों को प्रति वर्ष प्रमाणित किया जाना वांछनीय है, जबकि, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा 2009-14 के बीच केवल 30 शहरी स्थानीय निकायों के लेखों को प्रमाणित किया गया है।

• शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए विकसित राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा मैन्युअल फरवरी 2005 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा मैन्युअल की तर्ज पर राजस्थान नगर पालिका लेखांकन मैन्युअल तैयार किया

---

21. 2009-10: एक, 2010-11: सात, 2011-12: सात, 2012-13: 11 और 2013-14: चार

गया था। तद्नुसार, स्वायत्त शासन विभाग ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को 1 अप्रैल 2010 से उपार्जन आधारित (दोहरी प्रविष्टि) लेखांकन पद्धति पर लेखा संधारण हेतु निर्देशित किया (दिसम्बर 2009)।

तथापि, निदेशालय, स्थानीय निकाय ने अवगत कराया (जनवरी 2016) कि उपार्जन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखांकन पद्धति एक विशेषीकृत कार्य है और इस कार्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों के पास उपयुक्त मानव-शक्ति उपलब्ध नहीं है। यह भी अवगत कराया गया कि इस कार्य के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के पैनल के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है।

विभागीय अनुपालना

निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को लगातार निर्देशित किया जा रहा है।

निकायों द्वारा अपने लेखें दोहरी लेखांकन प्रक्रिया से संधारित किए जा रहे हैं एवं विभाग की विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के पोर्टल पर भी लेखों को प्रदर्शित किया जाता है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

- वर्ष 2009-14 के दौरान केवल 20 शहरी स्थानीय निकायों के लेखों को ही स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया। जो निदेशालय स्तर पर अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है। इस पर टिप्पणी से समिति को अवगत करावें।

- 1 अप्रैल 2010 से उपार्जन आधारित (दोहरी प्रविष्टि) लेखांकन पद्धति पर लेखा संधारण हेतु निर्देशित (दिसम्बर 2009) किये जाने के उपरान्त वर्तमान उक्त पद्धति पर लेखों का संधारण करने वाले निकायों के विवरण मय साक्ष्यों से समिति को अवगत करावें।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को लगातार निर्देशित किया जा रहा है।

निकायों द्वारा अपने लेखें दोहरी लेखांकन प्रक्रिया से संधारित किए जा रहे हैं एवं विभाग की विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के पोर्टल पर भी लेखों को प्रदर्शित किया जाता है।

समिति का अभिमत

कोई टिप्पणी नहीं है।

अनुच्छेद संख्या 3.12.6: शहरी स्थानीयों निकायों द्वारा वित्तीय डाटाबेस के प्रारूपों का संधारण

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाए जाने वाले डाटाबेस के सात प्रारूप जारी किए (अप्रैल 2010)। निदेशालय, स्थानीय निकाय ने अवगत कराया (जून 2015) कि निर्धारित डाटाबेस प्रारूप राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों को अग्रेषित कर दिए गए हैं और इसके अपनाए जाने से संबंधित सूचना संग्रहित की जा रही थी।

विभागीय अनुपालना

राज्य की सभी निकायों में उपार्जन आधारित दोहरा लेखा पद्धति से लेखों के संधारण एवं अंकेक्षण के कार्य हेतु जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनसिप एण्ड डेमोक्रेसी बैंगलोर (विभाग एवं जनाग्रह संस्था के मध्य उक्त र्का को गति प्रदान किये जाने हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित है, का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

निकायों द्वारा अपने लेखें दोहरी लेखांकन प्रक्रिया से संधारित किए जा रहे हैं एवं विभाग की विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के पोर्टल पर भी लेखों को प्रदर्शित किया जाता है।

12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
सभी 29 अमृत शहरी निकाय	185(कुल निकाय 187)	185 (कुल निकाय 187)	184 (कुल निकाय 191)	158 (कुल निकाय 191)	53 (कुल निकाय 191)

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाए जाने वाले डाटा-बेस के सात प्रारूपों के संधारण करने वाले निकायों के विवरण मय साक्ष्यों से समिति को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

महालेखाकार की संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

राज्य की सभी निकायों में उपार्जन आधारित दोहरा लेखा पद्धति से लेखों के संधारण एवं अंकेक्षण के कार्य हेतु जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनसिप एण्ड डेमोक्रेसी बैंगलोर (विभाग एवं जनाग्रह संस्था के मध्य उक्त र्का को गति प्रदान किये जाने हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित है, का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

निकायों द्वारा अपने लेखें दोहरी लेखांकन प्रक्रिया से संधारित किए जा रहे हैं एवं विभाग की विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के पोर्टल पर भी लेखों को प्रदर्शित किया जाता है।

12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
सभी 29 अमृत शहरी निकाय	185(कुल निकाय 187)	185 (कुल निकाय 187)	184(कुल निकाय 191)	158 (कुल निकाय 191)	53 (कुल निकाय 191)

समिति का अभिमत

कोई टिप्पणी नहीं है।

4.1 नगर निगमों में गैर-कर प्राप्तियां

प्रस्तावना

नगर निगमों के संसाधन में निजी राजस्व शामिल है जिसमें कर राजस्व एवं गैर-कर राजस्व, भारत सरकार और राजस्थान सरकार से प्राप्त अनुदान सम्मिलित हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। स्वायत्त शासन विभाग नगर निगमों के कार्य के संबंध में प्रशासनिक विभाग है।

नमूना जांच किए गए सभी छः नगर निगमों[22] के वार्षिक लेखों के अनुसार, यह पाया गया कि गैर-कर राजस्व उनकी निजी राजस्व प्राप्तियों का औसतन 38 प्रतिशत था।

---

[22]. नगर निगम – अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर

संगठनात्मक ढांचा

आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम का कार्यकारी प्रमुख है तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करता है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका के प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं को तैयार एवं संधारण करता है। नगर निगम का राजस्व अधिकारी गैर-कर राजस्व को सम्मिलित करते हुए समस्त राजस्व का निर्धारण एवं संकलन के प्रति उत्तरदायी है।

गैर-कर राजस्व के घटक

गैर-कर राजस्व के अन्तर्गत उपविधियों से अर्जित आय जैसे पंजीकरण शुल्क से आय तथा विवाह स्थलों से उपयोग शुल्क, मोबाइल टॉवरों से शुल्क, विज्ञापन एवं होटल/रेस्त्रां से पंजीकरण शुल्क इत्यादि सम्मिलित हैं। इनमें सम्पत्तियों से राजस्व, अधिनियमों और नियमों एवं गैर-कर अनावर्ती आय[23] जैसे भूमि विक्रय से आय, पट्टा राशि, भू-उपयोग रूपान्तरण शुल्क इत्यादि भी सम्मिलित है।

सात[24] में से छः[25] नगर निगमों के अभिलेखों की नमूना जांच (मई-सितम्बर 2015) यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी की क्या अवधि 2010-11 से 2014-15 के दौरान नगर निगमों में गैर-कर राजस्व का सही निर्धारण, त्वरित मांग एवं संग्रहण की प्रभावी एवं उचित प्रणाली मौजूद थी।

विभागीय अनुपालना

अनुपालना अपेक्षित नही।

महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी

कोई टिप्पणी नही।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

अनुपालना अपेक्षित नही।

समिति का अभिमत

---

23. गैर-कर अनावर्ती आय उस आय का प्रतिनिधित्व करती है जो एक नियमित आय नहीं है
24. भरतपुर नगर परिषद था, जो कि जून 2014 में नगर निगम में क्रमोन्नत हुआ था
25. नगर निगम – अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर

कोई टिप्पणी नही है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.1.1गैर-कर राजस्व की स्थिति

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 का अध्याय-VII नगर निगमों को अपने आंतरिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए करों को लगाने का अधिकार देता है और उनके वसूलने की प्रणाली निर्धारित करता है। अग्रेतर, अध्याय-XVI नगर निगमों को इस संबंध में नियमों एवं उपविधियां बनाने का अधिकार देता है।

छः नगर निगमों के वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की गैर-कर राजस्व के लक्ष्य एवं उपलब्धियों की वर्ष-वार स्थिति नीचे सारणी 4.1 में दी गई है :

सारणी 4.1

(रूपये करोड़ में)

नगर निगम	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ	ल	उ
अजमेर	26.83	7.80 (29.07)	28.64	16.88 (58.94)	30.09	26.29 (87.37)	29.41	20.71 (70.42)	42.55	29.97 (70.43)
बीकानेर	23.05	14.19 (61.56)	65.48	62.31 (95.16)	34.42	33.71 (97.94)	38.16	14.54 (38.10)	39.18	20.83 (53.16)
जयपुर	198.07	148.88 (75.16)	372.82	153.59 (41.20)	305.32	156.44 (51.24)	402.86	243.74 (60.50)	417.81	197.15 (47.19)
जोधपुर	164.09	37.94 (23.12)	121.10	27.88 (23.02)	186.70	97.45 (52.20)	172.48	39.39 (22.84)	182.74	33.02 (18.07)
कोटा	23.92	11.39 (47.	28.36	10.11 (35.65)	49.00	12.50 (25.51)	58.40	17.66 (30.24)	72.40	11.42 (15.77)

		62)								
उदयपुर	22.58	12.63 (55.93)	18.60	21.27 (114.35)	21.74	27.61 (127.00)	22.31	28.44 (127.48)	26.73	33.16 (124.05)
योग	**458.54**	**232.83**	**635.00**	**292.04**	**627.27**	**354.00**	**723.62**	**364.48**	**781.41**	**325.55**

ल : लक्ष्य और उ : उपलब्धि

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें लक्षित राजस्व से प्रतिशतता दर्शाते हैं

(स्रोत : नगर निगमों द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार)

उपरोक्त सारणी निम्नलिखित इंगित करती है :

- नगर निगम, उदयपुर जिसने 2010-15 के दौरान लक्षित रूपये 111.96 करोड़ के विरूद्ध रूपये 123.11 करोड़ (109.96 प्रतिशत) गैर-कर राजस्व वसूली किए, के अतिरिक्त अन्य नगर निगम अपने लक्ष्य को लगातार एक बड़े अन्तर से प्राप्त नहीं कर सके।

वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान शेष पांच नगर निगमों के लक्ष्यों की प्राप्ति 15.77 प्रतिशत और 97.94 प्रतिशत के मध्य विस्तारित रही।

- वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान छः नगर निगमों के कुल गैर-कर राजस्व में 39.82 प्रतिशत (रूपये 232.83 करोड़ से रूपये 325.55 करोड़) की वृद्धि हुई। गैर-कर राजस्व में वृद्धि का कारण मुख्यतः उपविधियों से आय में 115.96 प्रतिशत की वृद्धि (रूपये 52.63 करोड़ से रूपये 113.66 करोड़)[26] और विविध आय के अन्तर्गत 119.22 प्रतिशत की वृद्धि (रूपये 23.10 करोड़ से रूपये 50.64 करोड़) [27] होना है।

नगर निगम, बीकानेर ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (जून 2015) कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गए। नगर निगम, अजमेर ने लक्ष्यों की कम प्राप्ति के कारणों को निर्दिष्ट नहीं किया, जबकि नगर निगम, जयपुर ने लेखापरीक्षा

---

[26]. नगर निगम – अजमेर (2010-11: 0.42 करोड़ से 2014-15: 0.54करोड़), बीकानेर (2010-11: ` 0.44 करोड़ से 2014-15: ` 1.09 करोड़), जयपुर (2010-11: ` 36.87 करोड़ से 2014-15: `89.32 करोड़), जोधपुर (2010-11: 8.27 करोड़ से 2014-15: 13.96 करोड़), कोटा (2010-11: ` 3.50 करोड़ से 2014-15: `4.08 करोड़) और उदयपुर (2010-11: ` 3.13 करोड़ से 2014-15: ` 4.67 करोड़)

[27]. नगर निगम – अजमेर (2010-11: ` 4.94 करोड़ से 2014-15: ` 21.88 करोड़), बीकानेर (2010-11: ` 2.32 करोड़ से 2014-15: ` 17.13 करोड़), जयपुर (2010-11: ` 11.99 करोड़ से 2014-15: ` 3.62 करोड़), जोधपुर (2010-11: ` 3.39 करोड़ से 2014-15: ` 4.13 करोड़), कोटा (2010-11: ` 0.25 करोड़ से 2014-15: ` 1.25 करोड़) और उदयपुर (2010-11: ` 0.21 करोड़ से 2014-15: ` 2.63 करोड़)

के बार-बार जोधपुर करने के पश्चात् भी लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के कारण प्रस्तुत नहीं किए। नगर निगम, जोधुपर (जून 2015) और कोटा (जुलाई 2015) ने अवगत कराया कि कर्मचारियों की कमी के कारण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। प्रत्युत्तर युक्तियुक्त नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2010-15 के दौरान लक्ष्य प्राप्ति की प्रवृत्ति स्थिर नहीं थी, कमी के कारणों की पहचान करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए थे।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम जोधपुर- वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक राजस्व प्राप्ति लक्ष्यों के विरुद्ध 18 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक रही हैं। 2015-16 में राजस्व प्राप्ति लक्ष्य 75 प्रतिशत तथा 2016-17 में 36 प्रतिशत रहा हैं। इस प्रकार गैर कर राजस्व मद वृद्धि हुई हैं। वसूली में उच्चावचन आया हैं। वर्तमान में गैर कर राजस्व वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

नगर निगम अजमेर- गैर कर राजस्व में उत्तरोतर वृद्धि हुई है जो कि लक्ष्य का 70.43 प्रतिशत है। पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण लक्ष्य से कुछ कम राजस्व प्राप्ति हुई है। आगामी वित्तीय वर्षो में ठोस योजना बनाकर शत प्रतिशत राजस्व प्राप्ति का प्रयास किया गया है।

नगर निगम जयपुर- इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि तालिका 4.1 में उल्लेखित गैर कर राजस्व में नगर निगम जयपुर का वर्ष 2010-11 में 75.16 प्रतिशत वर्ष 2011-12 में 41.20 प्रतिशत वर्ष 2012-13 में 51.24 प्रतिशत, वर्ष 2013-14 में 60.50 प्रतिशत तथा वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 417.81 करोड़ के विरूद्ध राशि रूपये 197.15 करोड़ अर्थात 47.19 प्रतिशत का गैर कर राजस्व अर्जित किया गया। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि नगर निगम जयपुर द्वारा इन मदों में वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 7492.95 लाख की आय अर्जित की गई है। इसका मदवार विवरण इस प्रकार है :-

क्र. सं.	मद	लक्ष्य राशि (लाखों में)	राशि (लाखों में) 31.03.2017 तक
1	वधगृह अनुमति फीस	300.00	205.40
2	ईमारती काम व विकास तामिर	6000.00	1365.47
3	नकले इत्यादी	40.00	47.48
4	साइन विज्ञापन बोर्ड	3500.00	3555.10
5	पशु मेला	600.00	181.84
6	विविध	2000.00	1221.27
7	पशु गृह से आय	35.00	35.92
8	पी.एफ.ए. लाईसेन्स शुल्क आय	35.00	94.12
9	रोड़ कटिंग से आय	500.00	786.35

	योग	13010.00	7492.95

इस प्रकार क्र.सं. 3, 4, 7, 8 व 9 में लक्ष्यों से अधिक राजस्व अर्जित किया गया है तथा कुछ मदों में आम जनता के सहयोग न करने व अन्य कारणों से अपेक्षित लक्ष्य अर्जित नहीं हो पाये। राजस्व वसूली हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है तथा शत् प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिये गये है।

नगर निगम बीकानेर- महालेखाकर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत आय एवं व्यय विवरण वर्ष 2010-2011 से 2014-2015 के आंकडो की छाया प्रति पुन: संलग्न की जा रही है। उससे स्पष्ट है कि सम्भावित ड्राफ्ट पैरे में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के आंकडे सही नही है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

महालेखाकार के आंकडे 2011-2012: अनुमान 65.48 करोड़ वास्तविक वसूली 62.31 करोड़, 2012 – 2013: अनुमान 34.42 करोड़ वास्तविक वसूली 33.71 करोड़।

निगम के आंकड़े : 2011-2012: अनुमान 28.88 करोड़ वास्तविक वसूली 20.03 करोड़, 2012-13 अनुमान 32.96 करोड़ वास्तविक 31.35 करोड़ ।

निगम द्वारा प्रस्तावित बजटो में पंजीयन विभाग से प्रतिवर्ष 2करोड की आय संभावित मानी गयी परन्तु 2010-11 से 2014-15 तक किसी भी वर्ष उक्त राशि प्राप्त नही हुई है जो राज्य सरकार के निर्णय के उपरान्त वसूल हो सकेगी। यदि आय अनुमान में से उक्त राशि को कम कर दिया जावे तो वसूली प्रतिशत बढ जायेगा।

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के आंकडे निगम बीकानेर के रखने पर पांच वर्षो के अनुमान का योग 162.23 करोड़ होगा एवं वास्तविक वसूली का योग 100.94 करोड़ होगा तथा वसूली का प्रतिशत 62.22 होगा।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

1. नगर निगम अजमेर में आगामी वित्तीय वर्षो में गैर कर राजस्व के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई ठोस व्यवस्था के पूर्ण विवरण तथा इसके परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. नगर निगम जयपुर द्वारा तत्समय लेखापरीक्षा को वर्ष 2010-15 के लिए गैर कर राजस्व की कम प्राप्ति के कारणों से अवगत नहीं कराने के क्या कारण थे, अन्तिम क्रियान्विति में उक्त कारणों के पूर्ण विवरण से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

3. नगर निगम जयपुर द्वारा वर्ष 2016-17 में भी कुल गैर कर राजस्व की लक्ष्य से कम प्राप्ति (57.60 प्रतिशत) के स्पष्ट कारणों से अवगत करावें। अनुपालनुसार राजस्व वसूली हेतू चलाये जा रहे विशेष अभियान तथा संबंधित अधिकारियों को जारी निर्देशों के पूर्ण विवरण तथा परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

4. नगर निगम बीकानेर के संबंध में लेखापरीक्षा आक्षेप में सम्मिलित वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 आंकड़े तत्समय नगर निगम बीकानेर द्वारा ही उपलब्ध कराये गये थे। तथापि अनुपालनानुसार ऑकडों को शामिल करने के उपरान्त भी वर्ष 2010-15 में गैर कर राजस्व की लक्ष्यों की कम प्राप्ति के स्पष्ट कारणों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किये गये विभागीय प्रयासों एवं उनके परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

5. नगर निगम बीकानेर में पजियन विभाग से वर्ष 2010-15 के लिए प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली संभावित आय की प्राप्ति की वर्तमान स्थिति/प्रयासों /परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2015 के बाद के वर्षो के लिए उक्त स्थिति से अवगत करावें।

6. नगर निगम कोटा द्वारा लक्ष्यों के अनुरूप गैर कर राजस्व की कम प्राप्ति के स्पष्ट कारणों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

7. नगर निगम जोधपुर में राजस्व लक्ष्य प्राप्ति वर्ष 2010-17 (2012-13 को छोड़कर) के दौरान लगभग 40 प्रतिशत से कम रही है। अनुपालनानुसार गैर कर राजस्व वृद्धि हेतु वर्तमान में किये जा रहे प्रयासों तथा उनके परिणामों के पूर्ण विवरण से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर निगम अजमेर- गैर कर राजस्व में उत्तरोतर वृद्धि हुई है जो कि लक्ष्य का 70.43 प्रतिशत है। पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण लक्ष्य से कुछ कम राजस्व प्राप्ति हुई है। आगामी वित्तीय वर्षो में ठोस योजना बनाकर शत प्रतिशत राजस्व प्राप्ति का प्रयास किया गया है।

नगर निगम जयपुर- इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2010-2015 के दौरान गैर कर राजस्व की इन वर्षों के बजट अनुमान तैयार करते समय आय संग्रहण

का अनुमान मात्र लगाया गया था किन्तु वर्ष की समाप्ति के दौरान लगाये गए आय अनुमान की तुलना में गैर कर राजस्व की प्राप्ति कम हुई, चूंकि गैर कर राजस्व अन्य घटनाओं पर अथवा आय के स्त्रोतों पर निर्भर रहता है। अत: इन वर्षों के बजट अनुमान तैयार करते समय अनुमानों की तुलना में गैर कर राजस्व की कम प्राप्ति हो पाई। वर्तमान में इस सम्बन्ध में माननीय महापौर महोदय के निर्देशानुसार राजस्व अधिकारियों एवं जोन उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए है। इस विषय में गैर कर राजस्व के विभिन्न स्त्रोतों से नगर निगम की आय संवर्धन हेतु सतत् प्रयास किए जा रहे है। कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2016-2017 के दौरान गैर कर राजस्व की इन वर्षों के बजट अनुमान तैयार करते समय आय संग्रहण का राशि रू. 13010.00 लाख का अनुमान लगाया गया था किन्तु वर्ष की समाप्ति के दौरान लगाये गए आय अनुमान की तुलना में राशि रू. 7492.95 लाख की प्राप्ति हुई, इनमें से वधगृह अनुमति फीस इमारती काम व विकास तामिर, पशु मेला, विविध आय आदि मद आम जनता से सम्बन्धित है। इन मदों में जनता द्वारा किए गए आवेदन एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस के आधार पर वास्तविक आय की प्राप्ति निर्भर करती है। चूंकि गैर कर राजस्व अन्य घटनाओं पर अथवा आय के स्त्रोतों पर निर्भर रहता है। अत: इन वर्षों के बजट अनुमान तैयार करते समय अनुमानों की तुलना में गैर कर राजस्व की कम प्राप्ति हो पाई। इसी वित्तीय वर्ष में नकले इत्यादि, साइन विज्ञापन बोर्ड, पशु गृह से आय, पीएफए लाइसेंस शुल्क आय, रोड़ कटिंग से आय क्रमश: 118.70 प्रतिशत, 101.57 प्रतिशत 157.27 प्रतिशत से 268.91 प्रतिशत तक अधिक रही है। अर्थात शत् प्रतिशत से अधिक आय लक्ष्य अर्जित किए गए है।

इस सम्बन्ध में माननीय महापौर महोदय के निर्देशानुसार राजस्व अधिकारियों एवं जोन उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए है। इस विषय में गैर कर राजस्व के विभिन्न स्त्रोतों से नगर निगम की आय संवर्धन हेतु सतत् प्रयास किए जा रहे है। कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

समिति की सिफारिश

(8) समिति सिफारिश करती है कि स्थानीय निकायों द्वारा गैर कर राजस्व के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी कार्ययोजना से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें ।

4.1.2 उपविधियों से आय

उपविधियों से आय में विवाह स्थलों के पंजीकरण शुल्क और उपयोग शुल्क, होटल/रेस्त्रां से पंजीकरण शुल्क, मोबाइल टॉवर से शुल्क और विज्ञापनों से आय इत्यादि सम्मिलित है।

छः नगर निगमों में उपविधियों से आय से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, निम्नलिखित लेखापरीक्षा तथ्य प्रकट हुए :

4.1.2.1 विवाह स्थलों का नियमन

राजस्थान सरकार ने विवाह स्थलों का नियमन करने के लिए मॉडल उपविधि जारी की (फरवरी 2010), जिसे नगर निगम, जोधपुर के अतिरिक्त सभी नमूना जांच किए गए नगर निगमों द्वारा अपनाया गया था।

विवाह स्थल उपविधियां (नगर निगम, अजमेर : 2012, बीकानेर : 2010, जयपुर : 2012, जोधपुर : 2008, कोटा : 2010 और उदयपुर : 2010) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञापत्र के विवाह स्थल संचालित नहीं करेगा। अनुज्ञापत्र/पंजीकरण शुल्क तथा अन्य प्रभार जैसे उपयोग शुल्क, स्वच्छता प्रभार इत्यादि संबंधित नगर निगमों की उपविधियों में निर्धारित दरों से प्रतिवर्ष देय थे।

नगर निगमों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान ध्यान में आई कमियां की चर्चा निम्नानुसार है:

पंजीकरण एवं वार्षिक उपयोग शुल्क

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 उपबन्धित करता है कि कर को प्रभावी करने या संशोधित करने से पूर्व इसे प्रभावी/संशोधित करने का प्रस्ताव नगर निगमों की सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित और राजपत्र में अधिसूचित किया जाना चाहिए।

नगर निगम, बीकानेर के विवाह स्थल उपविधि में, विवाह स्थल का एक मुश्त पंजीकरण शुल्क ` 30,000 उपबन्धित था, जिसे कम करके ` 15,000 (अप्रैल 2013) कर दिया गया। वार्षिक उपयोग शुल्क ` 30 प्रति वर्गमीटर को भी कम कर अ, ब तथा स श्रेणी[28] के विवाह स्थलों के लिए क्रमशः ` 10 प्रति वर्गमीटर, ` सात प्रति वर्गमीटर और ` चार प्रति वर्गमीटर कर दिया गया (अप्रैल 2013) था।

- अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विवाह स्थल स्वामियों के संगठन ने पंजीकरण एवं वार्षिक उपयोग शुल्क में और कमी करने का निवेदन महापौर, नगर निगम, बीकानेर से

---

[28] विवाह स्थल जो कि प्रत्येक बुकिंग के लिए ` एक लाख से अधिक बुकिंग शुल्क लेते हैं (श्रेणी-अ), प्रत्येक बुकिंग के लिए ` 0.50 लाख से ` एक लाख तक बुकिंग शुल्क लेते हैं (श्रेणी-ब) और प्रत्येक बुकिंग के लिए ` 0.50 लाख से कम बुकिंग शुल्क लेते हैं (श्रेणी-स)

किया (फरवरी 2014)। फलस्वरूप, आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर ने पंजीकरण शुल्क ` 5,000 एवं वार्षिक उपयोग शुल्क ` चार प्रति वर्गमीटर कम करने का प्रस्ताव कार्यकारी समिति को प्रस्तुत किया। कार्यकारी समिति ने इन प्रभारों के कमी को अनुमोदित (फरवरी 2014) कर दिया। तदनुसार, पंजीकरण प्रभार और वार्षिक उपयोग शुल्क की दरों में कमी कर दी गई।

वर्ष 2014 में प्रभारों में की गई यह कमी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधान से समर्थित नहीं थी, क्योंकि प्रस्ताव न तो नगर निगम के सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित थे और न ही इसे प्रभावशील करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। पंजीकरण और उपभोग प्रभारों की दरों में कमी के कारण मांगे गए (अक्टूबर 2015), प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2016) था।

- तीन नगर निगमों ने 449 विवाह स्थलों[29] को पंजीकरण के लिए चिन्हित किया। तथापि, इनमें से 341 विवाह स्थल संबंधित नगर निगमों द्वारा पंजीकृत नहीं किए गए और ` 1.02 करोड़ (` 30,000 प्रति विवाह स्थल की दर से) का पंजीकरण प्रभार का भुगतान नहीं किया गया था। तत्पश्चात, इन अपंजीकृत विवाह स्थलों द्वारा उपयोग शुल्क भी जमा नहीं करवाया गया। अग्रेतर, शेष रहे 108 पंजीकृत विवाह स्थलों में से 24 पंजीकृत विवाह स्थलों (नगर निगम, बीकानेर : 22 विवाह स्थल और कोटा : दो विवाह स्थल) द्वारा राशि ` 0.08 करोड़ (नगर निगम, बीकानेर : ` 0.06 करोड़ और कोटा : ` 0.02 करोड़) का उपयोग शुल्क कम जमा करवाया गया। तथापि, उपयोग शुल्क कम जमा कराने के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

विवाह स्थलों के क्षेत्रफल को दर्शाने वाले एवं उपयोग शुल्क की मांग एवं संग्रहण के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए। इनकी अनुपस्थिति में चिन्हित 341 अपंजीकृत विवाह स्थलों से वसूली योग्य उपयोग शुल्क का आंकलन नहीं हो सका। ध्यान में लाए जाने पर, नगर निगम, अजमेर और कोटा द्वारा अवगत कराया गया कि दोषी विवाह स्थलों से बकाया अनुज्ञापत्र/उपयोग शुल्क की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाए जाऐंगे। नगर निगम, बीकानेर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया गया था।

- नगर निगम, जोधपुर की विवाह स्थल उपविधि में उपबंधित था कि विवाह स्थलों से वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क (पंजीकरण शुल्क) की वसूली उनके क्षेत्रफल के आधार पर जिला

---

[29] नगर निगम, अजमेर : 131 विवाह स्थल, बीकानेर : 165 विवाह स्थल और कोटा : 153 विवाह स्थल

स्तरीय समिति[30] द्वारा क्षेत्र के आधार पर अनुमोदित दर से किया जाएगा। नगर निगम, जोधपुर ने पंजीकृत के साथ-साथ वर्तमान में मौजूद विवाह स्थलों की कुल संख्या से संबंधित अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई और 11 विवाह स्थलों से संबंधित पत्रावलियां उपलब्ध करवाई। इन प्रकरणों की संवीक्षा में पाया गया कि विवाह स्थलों से राशि ` 0.62 करोड़ वसूली योग्य थी, इसमें से ` 0.19 करोड़ की वसूली की गई थी और ` 0.43 करोड़ (*परिशिष्ट-XI*) अभी भी बकाया हैं। अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली नहीं होने के कारण मांगे गए (जून 2015), परन्तु प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2016) था।

नगर निगम, उदयपुर और जयपुर ने पंजीकृत/अपंजीकृत विवाह स्थलों से संबंधित अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम अजमेर-विवाह स्थल उपविधियां नगर निगम-अजमेर 2012 साधारण सभा दिनांक 30.05.17 द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। जिसका प्रकाशन राजस्थान गजट में दिनांक 13.09.17 को करवा दिया गया है। तथा उपाविधियों के तहत् परीक्षण उपरांत समारोह के पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम जयपुर- इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत नगर निगम जयपुर द्वारा 2012 में विवाह स्थलों के पंजीयन हेतु विस्तृत नियम प्रकाशित कर दिये गये है। वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र में बिना पंजीयन के कोई भी विवाह स्थल संचालित नहीं हो रहा है। इस हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर निर्धारित अनुज्ञा-शुल्क लेते हुए वांछित प्रक्रियानुसार विवाह स्थलों का पंजीकरण व लाईसेंस जारी करने की नियमानुसार प्रक्रिया नगर निगम द्वारा अपनाई जा रही है। इस प्रकार आक्षेप में वांछित अनुपालना पूर्ण हो चुकी है।

नगर निगम कोटा द्वारा राजस्व के लिये विवाह स्थल पंजीकरण, होटल, मैस, लघु यंत्रालय बायलॉज लागू कर राजस्व संग्रहण में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे है। जिसमें वर्ष 2015-16 तक 44 मैरीज गार्डन का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर 13,20,000/- रू0 राजस्व प्राप्त किया गया है। नगर निगम कोटा द्वारा और अधिक राजस्व संग्रहण में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे है।

---

30. जिला स्तरीय दर को विवाह स्थल के क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) से गुणा कर 500 से भाग देकर गणना की गई

नगर निगम उदयपुर-उपविधि 2010 के अन्तर्गत नगर निगम, उदयपुर द्वारा 38 विवाह स्थलों को अनुज्ञा जारी की गई है। इसके अलावा उदयपुर शहर में अपंजीकृत वाटिकाओं के सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम जोधपुर- आक्षेप मे 11 विवाह स्थलों की बकाया राशि रू.44.82 लाख का उल्लेख किया गया है। बकाया राशि मे से निगम द्वारा निम्नाकिंत विवाह स्थलो से राशि वसूल की गई है :-

1. सिल्वर ऑक नयापुरा मण्डोर राशि रू.1,47,175/- रसीद संख्या 9067/6077 दिनांक 9.8.2016

2. पाश्र्व पैराडाईज विवाह स्थल राशि रू. 87207/- रसीद संख्या 9079/4779 दिनांक 2.3.2017 कुल वसूल की गई राशि रू. 234382/-

आक्षेप मे क्रम संख्या 5 अंकित पारू विवाह स्थल को नगर निगम द्वारा सीज किया जा चुका है।

आक्षेप मे क्रम संख्या 2 पर अंकित मंगलम गार्डन को निगम द्वारा बकाया राशि जमा कराने हेतु जरिये नोटिस दिनांक 16.3.2016 को, क्रम संख्या 4 पर अंकित सरस्वती उद्यान को नोटिस दिनांक 31.3.2016 क्रम संख्या 6 पर अंकित विजय गार्डन को नोटिस दिनांक 7.4.2017, क्रम संख्या 8 पर अंकित मनीष मैरिज गार्डन को नोटिस दिनांक 31.3.2016, आक्षेप मे क्रम संख्या 9 पर अंकित विवाह मेरिज गार्डन को नोटिस दिनांक 16.3.2016 एवं दादु दयाल वाटिका को नोटिस दिनांक 31.3.2016 बकाया राशि जमा कराने हेतु सूचित किया जा चुका है। राशि जमा होते ही प्रगति से अवगत करवा दिया जावेगा। शेष विवाह स्थलो से बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम बीकानेर -बीकानेर नगर निगम की प्रशासनिक कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 06.06.2013 एवं 07.02.2014 के द्वारा जो दरे विवाह स्थल हेतु स्वीकृत/संशोधित की गई है वह उचित है। क्योकि जब बोर्ड की बैठक नही हो रही हो तो बोर्ड की समस्त शाक्तिया कार्यकारी समितियो को प्राप्त होती है।

अत: वसूली की गई राशि सही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

1. नगर निगम अजमेर द्वारा तत्समय चिन्हित 131 विवाह स्थलों का पंजीकरण करने की स्थिति तथा दोषी विवाह स्थलों से बकाया अनुज्ञापत्र/ उपयोग शुल्क की वसूली की वर्तमान स्थिति/ प्रयासों/परिणामों से मय साक्ष्य अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

2. आक्षेपानुसार तत्समय नगर निगम जयपुर तथा उदयपुर में पंजीकृत/ अपंजीकृत विवाह स्थलों एवं उनसे अनुज्ञापत्र/ उपयोग शुल्क की वसूली तथा वर्तमान में पंजीकृत/ अपंजीकृत विवाह स्थलों के पूर्ण विवरण से मय साक्ष्य अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

3. नगर निगम कोटा द्वारा तत्समय चिन्हित 153 विवाह स्थलों का पंजीकरण करने की स्थिति तथा तत्समय 2 पंजीकृत विवाह स्थलों से बकाया अनुज्ञापत्र/उपयोग शुल्क की वसूली की वर्तमान स्थिति / प्रयासों/परिणामों से मय साक्ष्य अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

4. नगर निगम जोधपुर द्वारा राजस्थान द्वारा जारी मॉडल उपविधि 2010 को नहीं अपनाने के क्या कारण रहे, अवगत करावें।

5. नगर निगम जोधपुर में तत्समय पंजीकृत/अपंजीकृत विवाह स्थलों एवं उनसे अनुज्ञापत्र/उपयोग शुल्क की वसूली तथा वर्तमान में पंजीकृत/अपंजीकृत विवाह स्थलों के पूर्ण विवरण से मय साक्ष्य अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

6. नगर निगम जोधपुर में क्रम संख्या 3, 5 तथा 7 पर अंकित विवाह स्थलों से बकाया अनुज्ञा-पत्र शुल्क वसूलने के लिए किये गये प्रयासों से मय दस्तावेज अवगत कराया जाना प्रस्तावित है। शेष आक्षेपित स्थलों से बकाया अनुज्ञा-पत्र शुल्क की पूर्ण वसूली कर अनुपालना से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

7. उन नियमों की प्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है जिसके तहत कर को संशोधित करने में पूर्व इसे प्रभावी/संशोधित करने के प्रस्ताव को कार्यकारी समिति अनुमोदित कर सकती है जब बोर्ड की बैठक नहीं हो रही हो तथा क्या इसे प्रभावी करने हेतु राजपत्र में अधिसूचित करने की आवश्यकता नही है ? स्पष्ट करें ।

8. नगर निगम बीकानेर द्वारा तत्समय पंजीकरण और उपभोग प्रभारों की दरों में कमी करने के कारणों/ आवश्यकताओं से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

9. नगर निगम अजमेर द्वारा तत्समय चिन्हित 165 विवाह स्थलों का पंजीकरण करने की स्थिति तथा तत्समय पंजीकृत 22 विवाह स्थलों से बकाया अनुज्ञापत्र/उपयोग शुल्क की वसूली की वर्तमान स्थिति/प्रयासों/ परिणामों से मय साक्ष्य अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

उक्त आक्षेप की पालना में कार्यालय नगर निगम, उदयपुर में पंजीकृत वाटिकाओं की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

नगर निगम अजमेर- विवाह स्थल उपविधियां नगर निगम-अजमेर **2012** साधारण सभा दिनांक **30.05.17** द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। जिसका प्रकाशन राजस्थान गजट में दिनांक **13.09.17** को करवा दिया गया है। तथा उपाविधियों के तहत् परीक्षण उपरांत समारोह के पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम जयपुर- इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि लेखापरीक्षा अवधि वर्ष **2010-15** तथा वर्ष **2017-18** व **2018-19** के दौरान नगर निगम, जयपुर क्षेत्र में पंजीकृत/अपंजीकृत विवाह स्थलों एवं इनसे अनुज्ञापत्र/उपयोग शुल्क की वसूली तथा वर्तमान में पंजीकृत/अपंजीकृत विवाह स्थलों से वसूल किए गए शुल्क का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

S.N.	*YEAR*	*REGISTRATION OF MARRIAGE GARDEN*
1	*2010-11*	**7839486.00**
2	*2011-12*	**11261772.00**
3	*2012-13*	**4128755.00**
4	*2013-14*	**61845489.00**
5	*2014-15*	**34102665.00**
6	*2015-16*	**60012065.00**
7	*2016-17*	**38676566.00**
8	*2017-18*	**44840228.00**
9	*2018-19*	**44178086.00**
	TOTAL	***306885112.00***

अत: प्रस्तुत विवरण व सूचना के आधार पर कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

नगर निगम बीकानेर:- आक्षेप के संबंध में लेख है कि पैरा संख्या **4.1.2.1** विवाह स्थलों का नियमन में नगर निगम बीकानेर में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक कार्यवाही विवरण **14899-14904** दिनांक **16** जुलाई **2013** के अनुसार कार्यकारी समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष द्वारा विवाह स्थलों की दरों में संशोधन किया गया था। कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है। विवाह स्थल पंजीयन की नयी दरें समिति के निर्णय अनुसार वर्ष **2013** से उच्च अधिकारियों के निर्देश उपरान्त लागू की गई एवं फरवरी **2014** में विवाह स्थल पंजीयन की दरों में आंशिक संशोधन के आदेश आयुक्त नगर निगम बीकानेर द्वारा किये गये जिसकी प्रति संलग्न है संलग्न प्रतिनुसार उक्त दरें वित्तिय वर्ष तक यथावत हैं।

समिति की सिफारिश

(9) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम, बीकानेर द्वारा फरवरी 2014 मे पंजीकरण प्रभार और वार्षिक उपयोग शुल्क की दरों में की गई कमी को प्रभावशील करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

(10) समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित नगर निगमों में उपविधियों के अनुसार पंजीकृत / अपंजीकृत विवाह स्थलों से पंजीकरण/ अनुज्ञापत्र / उपयोग शुल्क की बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर प्रगति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.1.2.2 होटल, रेस्त्रां, बेकरी, मिठाई की दुकानें इत्यादि से व्यापारिक अनुज्ञापत्र शुल्क

सभी नगर निगमों की उपविधियों के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी स्थान को रेस्त्रां, बेकरी, मिठाई की दुकान के रूप में उपयोग करना चाहता है तो वह नगर निगम को व्यापारिक अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करेगा। अनुज्ञापत्र शुल्क ` 100 से ` 50,000 के मध्य (नगर निगम, जोधपुर) और ` 300 से ` 30,000 के मध्य (नगर निगम, कोटा) नगर निगम को व्यावसायिक/व्यापार की श्रेणी के अनुसार निर्धारित दर से प्रतिवर्ष देय है। अग्रेतर, संबंधित नगर निगमों की उपविधियां अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं कराने पर निर्धारित दर से दण्ड लगाने का प्रावधान करती है।

नगर निगम, जोधपुर ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान 13,270 विभिन्न व्यावसायिक अनुज्ञापत्र जारी किए। अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि नगर निगम ने स्वयं निर्धारित किया कि 3,180 अनुज्ञापत्र धारकों ने अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण नहीं करवाया और वसूली

योग्य अनुज्ञापत्र शुल्क[31] ` 2.11 करोड़ वसूल नहीं किए गए थे। नगर निगम के दण्ड संग्रहण के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली न किए जाने के कारण मांगे गए (जून 2015), प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2016) था।

नगर निगम, कोटा ने मात्र पांच अनुज्ञापत्र जारी किए (2012-13 के दौरान चार अनुज्ञापत्र और 2013-14 के दौरान एक अनुज्ञापत्र) और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में अनुज्ञापत्र शुल्क के केवल ` 0.10 लाख वसूल किए थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि नगर निगम, कोटा के पास स्वयं की 952 सम्पत्तियां (दुकाने, खोखें, भूमि) जिन्हें विभिन्न व्यवसायों के लिए किराए पर दी गई थी। इन दुकानों/खोखों के किराएदारों से अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। अग्रेतर, दण्डात्मक कार्यवाही लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। नगर निगम ने अवगत कराया (जुलाई 2015) कि कर्मचारियों की कमी के कारण, अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली के लिए सर्वेक्षण नहीं करवाया था। नगर निगम, कोटा का प्रत्युत्तर युक्तियुक्त नहीं था, क्योंकि उपविधियों के प्रावधानुसार अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थान निवास के लिए उपयुक्त है और मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती है। इस प्रकार, अनुज्ञापत्रों के जारी/नवीनीकरण करने के लिए कार्यवाही नहीं करने के परिणामस्वरूप राजस्व से वंचित रहे। इसके साथ ही आबादी के स्वास्थ्य के पहलुओं की उपेक्षा भी हुई।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 से 2015 की अवधि के दौरान नगर निगम, जोधपुर ने 13,270 अनुज्ञापत्र जारी किए जबकि कोटा के एक संस्थागत क्षेत्र और प्रख्यात शिक्षण केन्द्र होने के बावजूद भी नगर निगम, कोटा ने केवल पांच अनुज्ञापत्र जारी किए।

नगर निगम, जयपुर, अजमेर और उदयपुर ने अनुज्ञापत्र शुल्क की मांग, संग्रहण और बकाया राशि इत्यादि से संबंधित अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम अजमेर- द्वारा अपने स्तर वसूली के प्रयास किये गये किन्तु स्टाफ की कमी के कारण वसूली कम रही। वर्तमान में वर्ष **2017-18** में ठेका पद्वति के द्वारा इन अनुज्ञा पत्र शुल्कों की वसूली के लिए **35.00** लाख वार्षिक का ठेका दिया गया है।

---

[31] होटल, रेस्त्रां तथा अन्य विक्रय स्थल के नियमन, अनुज्ञापत्र शुल्क ` 100 से ` 50,000 के बीच (नगर निगम, जोधपुर) और ` 300 से ` 30,000 के बीच (नगर निगम, कोटा)

नगर निगम जयपुर- इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम **2009** के अन्तर्गत होटल, रेस्त्रा, बेकरी, मिठाई की दुकानों के पंजीयन हेतु विस्तृत नियम प्रकाशित कर दिये गये है। वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र में बिना पंजीयन के कोई भी होटल, रेस्त्रा, बेकरी, मिठाई की दुकाने संचालित नहीं हो रही है। इस हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर निर्धारित अनुज्ञा-शुल्क लेते हुए वांछित प्रक्रियानुसार होटल, रेस्त्रा, बेकरी, मिठाई की दुकानों का पंजीकरण व लाईसेंस जारी करने की नियमानुसार प्रक्रिया नगर निगम द्वारा अपनाई जा रही है। वर्ष **2016-17** में निर्धारित लक्ष्य राशि रूपये **35.00** लाख को विरूद्ध राशि रूपये **94.12** लाख की वसूली की गई हैं जो शत् प्रतिशत से भी अधिक है। इस प्रकार आक्षेप में वांछित अनुपालना पूर्ण हो चुकी है। अत: कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

नगर निगम जोधपुर- वर्ष **2010-11** से **2014-15** जिन **3180** अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण नहीं कराया गया हैं, उन्हे नोटिस जारी किये गये हैं तथा कई अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा व्यापार बन्द कर दिया गया हैं। उनका भी भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा हैं। वसूली होने पर शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा।

महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी

1. तत्समय वर्ष **2010-15** तक तथा वर्तमान में नगर निगम जयपुर, अजमेर, कोटा तथा उदयपुर में अनुज्ञापत्र शुल्क की मांग, संग्रहण और बकाया राशि से संबंधित विवरण मय साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

2. नगर निगम अजमेर में वर्तमान में अनुज्ञापत्र शुल्कों की वसूली के लिए दिये गये ठेके के परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

3. नगर निगम जोधपुर द्वारा आक्षेपानुसार अनुज्ञापत्र शुल्क राशि वसूली कर अवगत कराया जाना अपेक्षित है। तत्समय दण्ड संग्रहण के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करने के कारणों से अवगत करावें।

4. नगर निगम कोटा द्वारा स्वयं की सम्पत्तियों के किरायेदारों से अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं करने तथा अग्रेतर कोई दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए कोई कदम नहीं उठाने के कारणों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

5. क्या वर्तमान में नगर निगम कोटा द्वारा कोटा शहर में संचालित सभी होटल, रेस्त्रां आदि से अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली की जा रही है?

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

वर्ष **2011** से **2019** तक होटल रेस्त्रां बेकरी मिठाई की दुकाने इत्यादि से **2,27,79,938/-** रूपये की राशि अनुज्ञा के रूप में प्राप्त हुई शेष अनुज्ञा राशि जमा समय -समय पर जमा नहीं होने पर कार्यवाही की जा रही है। अत: पैरा निरस्त कराने का श्रम करावें।

नगर निगम अजमेर- द्वारा अपने स्तर वसूली के प्रयास किये गये किन्तु स्टाफ की कमी के कारण वसूली कम रही। वर्तमान में वर्ष 2017-18 में ठेका पद्वति के द्वारा इन अनुज्ञा पत्र शुल्कों की वसूली के लिए 35.00 लाख वार्षिक का ठेका दिया गया है।

नगर निगम कोटा- नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगभग 150 होटल/रेस्टारेन्ट संचालित किए जा रहे है। नगर निगम कोटा में होटल, रेस्टारेन्ट उपविधि 2016 लागू है। जिसके अनुसार पंजीयन शुल्क 5000/- 5 वर्ष के लिए तथा अनुमति शुल्क 15,000/- प्रति वर्ष वसूल की जानी है। इस प्रकार 7,50,000/- 5 वर्ष के लिए तथा 22,50,000/- प्रति वर्ष की मांग है। इसके पेठे नगर नगर निगम कोटा द्वारा पंजीयन शुल्क 80,000/- तथा अनुमति शुल्क 7,04,700/- कुल राशि 7,84,700/- प्राप्त की जा चुकी है। नगर निगम कोटा द्वारा निगम सीमा क्षेत्र में स्थापित/ संचालित होटल, रेस्टारेन्ट का पंजीयन कराने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नगर निगम जयपुर- इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2010-15 तथा वर्ष 2017-18 व 2018-19 के दौरान नगर निगम, जयपुर क्षेत्र में होटल, रेस्त्रां, बेकरी, मिठाई की दुकानें इत्यादि से व्यापारिक अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

S. N.	*YEAR*	*R.M.A. LICENCE FEE*
1	*2010-11*	1547486.00
2	*2011-12*	4795483.00
3	*2012-13*	3571489.00
4	*2013-14*	3418150.00
5	*2014-15*	4280309.00
6	*2015-16*	8210411.00
7	*2016-17*	9439100.00
8	*2017-18*	6567975.00

9	2018-19	6636586.00
	TOTAL	**48466989.00**

अत: प्रस्तुत विवरण व सूचना के आधार पर कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

समिति की सिफारिश

(11) समिति सिफारिश करती है कि वर्ष 2010-15 एवं वर्तमान में नगर निगम जयपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर से सम्बंधित अनुज्ञापत्र शुल्क की मांग, संग्रहण और बकाया राशि से संबंधित विवरण से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

(12) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगमों द्वारा अनुज्ञापत्र प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जाना सुनिश्चित किये जाने के पुख्ता प्रबंधों से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

(13) समिति सिफारिश करती है कि कोटा नगर निगम द्वारा स्वयं की सम्पतियों के किरायेदारों से अनुज्ञापत्र शुल्क की बकाया राशि कि वसूली /नियमानुसार की गई दण्डात्मक कार्यवाही से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.1.2.3 मोबाइल टॉवर/पोल एंटिना से पंजीकरण और वार्षिक शुल्क

स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगर निगमों को अवधि 2010-12 के लिए ` 25,000 प्रति मोबाइल टॉवर एक-मुश्त शुल्क और ` 5,000 प्रति मोबाइल टॉवर वार्षिक शुल्क वसूल करने के लिए निर्देशित (मार्च 2011 और जनवरी 2012) किया। इसी दौरान, राजस्थान सरकार ने 2012 के दौरान मोबाइल टॉवर/पोल एंटीना को लगाने के नियमन के लिए एक मॉडल उपविधि जारी की और प्रति मोबाइल टॉवर ` 30,000 पंजीकरण शुल्क और ` 10,000 वार्षिक प्रभार निर्धारित किए। यह भी विहित किया गया कि नगर निगम टॉवरों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करेगी। यह पाया गया कि राजस्थान सरकार ने नगर निगमों को इस संबंध में बकायादारों से देय प्रभार की वसूली के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अनुमति नहीं दी (मार्च 2011)।

नगर निगमों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

• वर्ष 2010-15 के दौरान चार नगर निगमों (अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा) के क्षेत्राधिकार में 536 मोबाइल टॉवर स्थापित किए गए थे। इन मोबाइल टॉवरों से पंजीकरण और वार्षिक शुल्क के रूप में राशि ` 2.95 करोड़[32] वसूलनीय थे। जबकि, नगर निगमों ने मोबाइल टॉवर कम्पनियों से केवल ` 1.35 करोड़[33] वसूल किए गए थे। इस प्रकार, नगर निगमों ने मोबाइल टॉवर कम्पनियों ` 1.60 करोड़ से वसूल नहीं किए।

ध्यान मे लाए जाने पर (जुलाई 2015) नगर निगम, अजमेर और कोटा ने अवगत कराया कि मोबाइल टॉवर कम्पनियों से अनुज्ञापत्र/पंजीकरण शुल्क की वसूली की जाएगी, जबकि, नगर निगम, बीकानेर और जोधपुर ने प्रत्युत्तर नहीं दिया (जनवरी 2016)। तथ्य यह है कि संबंधित नगर निगम मोबाइल कम्पनियों से पंजीकरण और वार्षिक प्रभार की वसूली नहीं कर सके जिसके परिणामस्वरूप राजस्व हानि हुई।

• नगर निगम, जयपुर मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार शहर में विभिन टेलीकॉम कम्पनियों द्वारा 917 मोबाइल टॉवर स्थापित किए गए थे। जबकि, नगर निगम, जयपुर के सभी आठ जोन कार्यालयों[34] ने कुल 226 मोबाइल टॉवर स्थापित करना सूचित किया, जो मुख्यालय और जोन कार्यालयों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के बीच एक बड़े बेमेल को प्रदर्शित करता है। नगर निगम, जयपुर मुख्यालय और जोन कार्यालयों द्वारा इन मोबाइल टॉवरों के संबंध में विशिष्ट जानकारी जैसे इन मोबाइल टॉवर के स्थापना के वर्ष, वसूलनीय/जमा राशि इत्यादि प्रदान नहीं की, इसके अभाव में इन मोबाइल टॉवरों से वास्तविक वसूली योग्य राशि का आंकलन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। यह नगर निगम मुख्यालय और जोनों में प्रबन्धन की उदासीनता इंगित करता है।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम अजमेर- द्वारा मोबाइल टावरो/पोल एंटिना से पंजीकरण और वार्षिक शुल्क की वसूली नियमित रूप से की जा रही है। नोटिस के माध्यम वसूली के प्रयास किये जा रहे है।

नगर निगम जयपुर- इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मोबाईल टॉवर/पोल एन्टीना मॉडल उपविधियां बनाने हेतु नगर निगम जयपुर को आदेश क्रमांक प.8(ग) ( )नियम/एलएसजी/10/ 110-284

---

32. अजमेर (153 मोबाइल टॉवर): ` 1.07 करोड, बीकानेर (233 मोबाइल टॉवर): ` 1.28 करोड़, जोधपुर (81 मोबाइल टॉवर): `0.32 करोड़ और कोटा (69 मोबाइल टॉवर): `0.28 करोड़
33. अजमेर : `0.45 करोड़, बीकानेर : `0.45 करोड़, जोधपुर : `0.24 करोड़ और कोटा : `0.21 करोड़
34. अजमेर, सिविल लाईन्स, हवा महल (पूर्व), हवा महल (पश्चिम), मानसरोवर, मोती डूंगरी, सांगानेर और विद्याधर नगर

दिनांक 29.03.2010 द्वारा आदेशित किया गया था, जिसकी अनुपालना में नगर निगम जयपुर द्वारा राजस्थान नगर पालिका 2009 की धारा 340 के अधीन जयपुर नगर निगम मोबाईल (टॉवर/पोल एन्टीना) प्रारूप उपविधियॉं 2010 बनाकर नगर निगम की साधारण सभा में पारित होने हेतु भेजा गया एवं आम सूचना दिनांक 24.09.2010 के द्वारा जनता के सम्मुख रखा गया एवं आपत्तियों पर कार्यवाही की गई परन्तु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, जिसके सम्बन्ध में निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग को पत्र क्रमांक एफ.6( )आ.राज.(सा.प्र.)/जननि/10/319 दिनांक 24.09.2010 प्रेषित कर सूचित किया गया, जिसके क्रम में निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया। पुन: उपरोक्त के क्रम में निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग को पत्र क्रमांक एफ.6( )आ.राज.(सा.प्र.)/जननि/11/535 दिनांक 28.03.2011 द्वारा प्रेषित कर मार्गदर्शन चाहा गया। इस बीच निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पुन: मोबाईल टावरों से शुल्क वसूल करने हेतु आदेश क्रमांक प.8 (ग)( )नियम/ डीएलबी/11/12019-12203 दिनांक 24.03.2011 द्वारा आदेशित किया गया। इसके बाद पुन: मोबाईल टॉवर/पोल एन्टीना उपविधियॉं 2011 का प्रारूप तैयार कर दिनांक 20.05.2011 को नगर निगम की साधारण सभा में प्रस्तुत कर दिया गया एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.6( )आ.राज.(सा.प्र)/जननि/2011/224 दिनांक 17.08.2011 एवं सार्वजनिक सूचना दिनांक 31.10.2011 द्वारा आमजन को सूचित किया गया एवं नगर निगम जयपुर मोबाईल टॉवर/पोल एन्टिना उपविधियां 2011 अस्तित्व में आयी परन्तु निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पुन: आदेश क्रमांक प.8 (ग)( )नियम/ एलएसजी/10/पार्ट-II/ 1130-1313 द्वारा मोबाईल टॉवर शुल्क वसूलने हेतु निर्देशित किया गया एवं दिनांक 31.08.2012 को आदेश क्रमांक प.8 (ग)(मोबा.) नियम/डीएलबी/12/351-535 द्वारा मॉडल उपविधियॉं 2012 में दी गई एवं पुरानी निर्मित उपविधियां तुरन्त प्रभाव से निरस्त की गई, जिसके उपरान्त आज दिनांक तक उक्त उपविधियॉं अनुसार नगर निगम जयपुर द्वारा पालन किया जा रहा है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राज्य सरकार ने मॉडल उपविधि तैयार की तथा उसे सभी नगरपालिकाओं को सम्बन्धित नगरपालिका मण्डलों द्वारा अधिग्रहण करने एवं मोबाइल कम्पनियों से मोबाइल टॉवरों पर पंजीयन एवं लाईसेन्स शुल्क की वसूली हेतु शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अग्रेषित (मार्च 2010) किया। मॉडल उपविधि में राज्य सरकार ने सम्बन्धित मोबाइल कम्पनियों से वसूलनीय नए मोबाइल टॉवरों पर राशि रूपये 50,000 तथा विद्यमान मोबाइल टॉवरों पर राशि रूपये 25,000 का पंजीयन शुल्क निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त, मासिक लाईसेन्स शुल्क के रूप में राशि रूपये 10 प्रति वर्गफीट या राशि रूपये 5,000 जो भी अधिक हो, भी वसूलनीय है।

वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक नगर निगम जयपुर में स्थापित 917 मोबाइल टॉवरों के क्रम में आदेश क्रमांक प.8 (ग) ( ) नियम/डीएलबी/11/1203 दिनांक 24.03.2011 के अनुसार :-

क्र.स.	साईटों की संख्या	पंजीयन शुल्क (एकबारीय अदा)	कुल
1	917	25000	2,29,25,000/-

वार्षिक शुल्क दिनांक 24.03.2011 के अधीन :-

वर्ष	साईटों की संख्या	शुल्क (प्रतिवर्ष प्रतिटॉवर)	कुल
2010-11	917	5,000/-	45,85,000/-
2011-12	917	5,000/-	45,85,000/-
		कुल	91,70,000/-

वार्षिक शुल्क दिनांक 31.08.2012 के अधीन :-

वर्ष	साईटों की संख्या	शुल्क (प्रतिवर्ष प्रतिटॉवर)	कुल
2012-13	917	10,000/-	91,70,000/-
2013-14	917	10,000/-	91,70,000/-
2014-15	917	10,000/-	91,70,000/-
		कुल	2,75,10,000/-

अत: कुल 971 मोबाइल टॉवरों की राशि रूपये 5,96,05,000/- चूंकि तत्कालीन आयुक्त राजस्व के कार्यालय द्वारा 2011-12 तक 812 मोबाईल टॉवरों से प्राप्त शुल्क राशि रूपये 2,50,30,000/- है की गणना एवं वसूली की जा चुकी है। अत: वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक शेष बकाया राशि रूपये 3,45,75,000/- है।

इन नियमों की नगर निगम जयपुर द्वारा अनुपालना करते हुए सम्बन्धित कम्पनी से मोबाईल टॉवर का पंजीयन व लाईसेन्स शुल्क की राशि वसूल कर ली गई है। अत: कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

नगर निगम कोटा - मोबाईल टावर/पोल ऐन्टिना वर्ष 2014-15 की अवधि में 71 मोबाईल टावर में पंजीकरण शुल्क एवं वार्षिक शुल्क रू0 7,10,000/- व वर्ष 2015-16 में पंजीकरण शुल्क एवं वार्षिक शुल्क 71 मोबाईल टावर के 57,06,020/- एवं वर्ष 2016-17 में पंजीकरण शुल्क एवं

वार्षिक शुल्क 39 मोबाईल टावर के 1,78,05,179/- सम्बन्धित मोबाईल टावर कम्पनी से निगम कोष में जमा करवाये जा चुके है। नगर निगम कोटा द्वारा और अधिक राजस्व संग्रहण में वृद्वि के प्रयास किये जा रहे है।

नगर निगम जोधपुर क्षेत्र में संचालित विभिन्न कम्पनियों के मोबाईल टॉवरो की बकाया राशि रू. 35,40,000/- की वसूल कर ली गई हैं।

नगर निगम बीकानेर में नगर निगम द्वारा 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक मोबाईल टावर व पोल एंटीना का पंजीयन एवं वार्षिक शुल्क निम्नानुसार वसूल कर नगर निगम कोष में जमा करावें |

क्र. स.	वर्ष	राशि
1.	2012-13	1,75,000/-
2.	2013-14	2,00,000/-
3.	2014-15	43,06,607/-
4.	2015-16	52,59,347/-
5.	2016-17	39,91,110/-
कुल		1,39,32,064/-

उपरोक्त कुल राशि रू 1,39,32,064/- वसूल किये गये थे | भविष्य में भी मोबाइल टावर/ पोल/एंटीना पंजीयन और वार्षिक शुल्क वसूली कार्य निरंतरता से किया जायेगा |

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

1. नगर निगम अजमेर द्वारा आक्षेपानुसार मोबाईल टावरों/पोल एंटिना से पंजीकरण और वार्षिक शुल्क की पूर्ण वसूली कर अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. नगर निगम जयपुर में मोबाईल टावरों से संबंधित शेष बकाया राशि की वसूली कर पूर्ण अनुपालना से मय साक्ष्य अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

3. नगर निगम कोटा द्वारा आक्षेपानुसार वर्ष 2010-15 के मध्य मोबाईल टावरों से संबंधित शेष बकाया राशि की वसूली कर पूर्ण अनुपालना से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

4. नगर निगम जोधपुर से संबंधित अनुपालना से स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त राशि आक्षेप में वर्णित 2010-15 के मध्य 81 मोबाईल टावरों से संबंधित वसूलनीय राशि है। अत: स्पष्ट एवं पूर्ण अनुपालना से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

5. नगर निगम बीकानेर द्वारा आक्षेपानुसार वर्ष 2010-15 के मध्य 233 मोबाईल टावरों से संबंधित शेष बकाया राशि की पूर्ण वसूली कर अनुपालना से अवगत कराया जाना अपेक्षित है |

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर निगम अजमेर- द्वारा मोबाइल टावरो/पोल एंटिना से पंजीकरण और वार्षिक शुल्क की वसूली नियमित रूप से की जा रही है। नोटिस के माध्यम वसूली के प्रयास किये जा रहे है।

नगर निगम जयपुर - इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा मोबाइल टॉवर/पोल एंटिना से पंजीकरण और वार्षिक शुल्क की बकाया राशि वर्ष 2017-18 व 2018-19 के दौरान वसूल कर ली गई है। इस पेटे वसूल की गई राशि का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

S. N.	*YEAR*	*MOBILE TOWER FEE/REGISTRATION (in lakh)*
1	2017-18	347.87
2	2018-19	242.92
3	2019-20 UPTO 18.12.2019	349.56
	TOTAL	**940.35**

नगर निगम बीकानेर द्वारा **2012-2013** से वर्ष **2016-17** तक मोबाईल टावर एवं पोल एंटीना का पंजीयन एवं वार्षिक शुल्क निम्नानुसार वसूल कर नगर निगम कोष में जमा करवाये गये है।

वर्ष	राशि
2012-13	1,75,000
2013-14	2,00,000
2014-15	43,06,607
2015-16	52,59,347
2016-17	39,91,110
2017-18	1,91,84,010
2018-19	24,73,409
2019-20	2,04,85,583
2020-21	41,80,212
योग	60255278

उपरोक्तानुसार कुल राशि **60255278/-** रूपये वसूल किए गये। भविष्य में भी मोबाइल टॉवर/पोल एंटीना पंजीयन और वार्षिक शुल्क वसूली कार्य निरन्तरता में किया जाएगा।

अत: प्रस्तुत विवरण व सूचना के आधार पर कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

समिति की सिफारिश

(14) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम अजमेर द्वारा मोबाइल टोवरों/पोल एंटिना से पंजीकरण और वार्षिक शुल्क की आक्षेपित बकाया राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति से एवं आक्षेपित नगर निगमों में वर्तमान में बकाया की वसूली हेतु किये गये पुख्ता प्रबंधो से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.1.2.4 विज्ञापन उपविधियां

नगर निगम ने भवनों, पुलों, सड़कों, बिजली/टेलीफोन के खम्भों, खोखों, चलित वाहन और इसके क्षेत्राधिकार अधीन खुले स्थान पर विज्ञापन पट्टे के प्रदर्शन को विनियमित करने के लिए विज्ञापन उपविधि अधिनियमित की। विज्ञापन पट्टों में सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित यूनिपोल[35] भी सम्मिलित थे।

यूनिपोल अनुज्ञापत्र शुल्क

नगर निगमों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

- **नगर निगम, जोधपुर** ने यूनिपोल की स्थापना के लिए नीलामी के दिन बोली मूल्य की 25 प्रतिशत राशि तथा शेष 75 प्रतिशत राशि सफल बोलीदाता द्वारा सात दिनों के भीतर जमा करवाए जाने की शर्त पर निविदा आमंत्रित की। अग्रेतर, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञापत्र शुल्क की राशि में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि होनी थी। अनुज्ञापत्र शुल्क राशि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक जमा की जानी थी।

नगर निगम, जोधपुर ने पांच वर्ष की अवधि (2008-13) के लिए 166 यूनिपोल स्थलों के अनुज्ञापत्र पांच कम्पनियों को आवंटित (जुलाई 2008) किए। अनुज्ञापत्र की अवधि को जून 2014 तक बढ़ा दिया गया था।

तथापि, नगर निगम, जोधुपर ने संवेदकों से मांग और आवंटित की गई स्थलों की संख्या का समुचित अभिलेख संधारित नहीं किए। कम्पनियों के साथ पत्राचार की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि नगर निगम, जोधपुर ने वर्ष 2010-15 के लिए इन कम्पनियों के सामने ` 7.44 करोड़ (मूल निविदा राशि पर 15 प्रतिशत की वृद्धि की दर से) की मांग रखी थी, परन्तु उनके द्वारा केवल ` 7.03 करोड़ जमा कराए थे। इस प्रकार, फर्मों से अनुज्ञापत्र शुल्क राशि ` 0.41 करोड़ कम वसूल हुए (***परिशिष्ट–XII***)। कारण मांगे (जून 2015) गए थे, प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2016) था।

- **नगर निगम, कोटा** द्वारा 2010-16 के दौरान तीन फर्मों को अनुज्ञापत्र शुल्क राशि ` 1.17 करोड़ पर यूनीपोल की स्थापना के लिए 46 स्थल आवंटित किए गए थे। तथापि,

---

[35]. यूनिपोल एक एकल स्टील पाइप के आधार पर विज्ञापन पट्ट ढांचा है

फर्मों से केवल ` 0.81 करोड़ वसूल हुए थे। इस प्रकार, फर्मों से अनुज्ञापत्र शुल्क की राशि ` 0.36 करोड़ वसूल नहीं की गई थी (*परिशिष्ट-XIII*)। नगर निगम, कोटा ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2015)।

- **नगर निगम, बीकानेर** के जोन-II के विज्ञापन पट्ट स्थल 2009-12 के लिए ` 0.05 करोड़ वार्षिक शुल्क पर एक फर्म को देने का निर्णय किया, जिसमें 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की जानी थी। फर्म ने 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमश: ` 0.06 करोड़ और

` 0.06 करोड़ जमा करवाए।

इसके पश्चात् वर्ष 2012-13 के लिए निविदा आमंत्रित की गई (जून 2012) एवं फर्म 'अ'[36] ने

` 0.12 करोड़ शुल्क का प्रस्ताव किया जो जोन-II के समान विज्ञापन-पट स्थलों के लिए गत वर्ष से 87 प्रतिशत अधिक थी। फर्म का प्रस्ताव सक्षम समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा फर्म ने निविदा राशि की एक चौथाई राशि जमा करवा दी थी। तत्पश्चात् आयुक्त द्वारा प्रस्ताव को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि निविदा की प्रस्तावित राशि कम थी। निविदा पुन: आमंत्रित कि गई (सितम्बर 2012) तथा फर्म 'ब'[37] ने ` 0.12 करोड़ का प्रस्ताव दिया। इस फर्म का प्रस्ताव भी आयुक्त ने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि निविदा की प्रस्तापित राशि कम थी। बिड़ पुन: आमंत्रित की गई (अक्टूबर 2015) किन्तु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे और वर्ष 2012-13 के लिए निविदा निर्णित नहीं हुई थी।

इसके पश्चात् देखा गया कि फर्म 'स'[38] ने 2013-14 के लिए ` 0.14 करोड़ का प्रस्ताव दिया, जो आयुक्त द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार, 2012-13 के लिए फर्म 'अ' के प्रस्ताव को स्वीकार न करने से नगर निगम, बीकानेर ` 0.12 करोड़ से वंचित रहा, इस तथ्य के बावजूद कि प्रस्ताव विगत निविदा से 87 प्रतिशत अधिक था।

विज्ञापन-पट्ट अनुज्ञापत्र शुल्क

---

36. स्वतंत्र पब्लिसिटी, बीकानेर
37. भवानी एडवरटाइजिंग कम्पनी, बीकानेर
38. गोडावन पब्लिसिटी लिमिटेड

- **नगर निगम, कोटा ने** ` 0.19 करोड़[39] में दो विज्ञापन एजेंसियों को कोटा के निजी भवन/भूमि पर विभिन्न आकार के विज्ञापन-पट्ट लगाने के लिए अनुज्ञापत्र (2013-14) जारी किए।

नगर निगम, कोटा के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि विज्ञापन एजेंसियों ने ` 0.19 करोड़ अनुज्ञापत्र शुल्क के विरूद्ध केवल ` 0.11 करोड़[40] का अनुज्ञापत्र शुल्क जमा करवाया। इस प्रकार, ` 0.08 करोड़[41] विज्ञापन एजेंसियों द्वारा जमा नहीं कराए थे। नगर निगम, कोटा ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2015)।

- नगर निगम, जयपुर ने यथेष्ठ अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम अजमेर- द्वारा यूनिपोल अनुज्ञा पत्र शुल्क की राशि नियमित रूप से वसूली की जा रही है। अत: कोई अनुपालना अपेक्षित नहीं है।

नगर निगम जयपुर- इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) उपविधियां, 2004 की उपविधि 4 के अनुसार विज्ञापन एजेन्सियों को विज्ञापन स्थलों पर प्रदर्शन हेतु अनुज्ञा-पत्र खुली निविदाओं के माध्यम से दिया जाएगा। इसमें यह भी उल्लेखित है कि नगर निगम, जयपुर की एक विज्ञापन समिति यदि उचित समझे तो गत वर्ष के विज्ञापन शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मौजूदा अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण कर सकती है, किन्तु तीन वर्षों में एक बार नीलामी अवश्य होगी।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि नगर निगम द्वारा उक्त निर्देशों की पालना करते हुए वर्ष 2006 के दौरान, नगर निगम ने छ: क्षेत्रों के कियोस्कों तथा 53 यूनिपोल स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु 11 विज्ञापन एजेन्सियों को नीलामी के माध्यम से अनुज्ञा-पत्र (जुलाई 2006 से जून 2007 तक की अवधि के लिए) राशि रूपये 1.98 करोड़ में जारी किए। वर्ष 2007-08 (द्वितीय वर्ष) के लिए, विज्ञापन समिति, नगर निगम, जयपुर ने 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उक्त उल्लेखित अनुज्ञा-पत्रों का जुलाई 2007 से जून 2008 की अवधि के लिए नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार वर्ष 2008-09 में सभी 11 विज्ञापन एजेन्सियों ने तृतीय वर्ष (जुलाई 2008 से जून 2009) के लिए गत वर्ष के विज्ञापन शुल्कों में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उनके अनुज्ञा-पत्रों का नवीनीकरण

---

39. एनएस पब्लिसिटी प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर : ` 0.09 करोड़ और क्विक एडवरटाईजिंग कम्पनी, कोटा : ` 0.10 करोड़
40. एनएस पब्लिसिटी प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर : ` 0.07 करोड़ और क्विक एडवरटाईजिंग कम्पनी, कोटा : ` 0.04 करोड़
41. एनएस पब्लिसिटी प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर : ` 0.02 करोड़ और क्विक एडवरटाइजिंग कम्पनी, कोटा :` 0.06 करोड़

चाहा गया। नगर निगम, जयपुर द्वारा 104 अन्य निकटवर्ती यूनिपोल स्थलों की नीलामी (मई 2008) में 582 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जन को ध्यान में रखते हुए नगर निगम, जयपुर ने उक्त उल्लेखित यूनिपोल स्थलों तथा कियोस्कों के अनुज्ञा-पत्रों की नीलामी का निर्णय लिया। इस प्रकार 26 जून 2008 एवं 30 दिसम्बर 2008 से 2 जनवरी 2009 तक के दौरान हुई खुली नीलामी में, किसी भी विज्ञापन एजेन्सी ने भाग नहीं लिया। नगर निगम, जयपुर द्वारा जिन लाईसेंस धारकों के पास में अनुज्ञा-पत्र नहीं थे उनके विज्ञापन पटट् जनवरी 2009 में हटा दिये गये।

इस संदर्भ में नगर निगम की वित्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर नगर निगम, जयपुर ने जुलाई से दिसम्बर 2008 की अवधि के लिए विज्ञापन शुल्क राशि रूपये 1.89 करोड़ जमा कराने हेतु 11 विज्ञापन एजेन्सियों को नोटिस माह मार्च 2009 तथा स्मरण पत्र माह मई 2009 में जारी किए। इस विषय में राशि रूपये 1.89 करोड़ की वसूली हेतु प्रस्ताव मण्डल की बैठकों माह अक्टूबर 2009, अप्रैल, मई, जुलाई एवं सितम्बर 2010 में राजस्थान लोक माँग वसूली अधिनियम, 1952 अथवा भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के अनुमोदन हेतु पांच बार प्रस्तुत किए गए, किन्तु बैठक में कोई निर्णय नहीं होने के कारण कार्यवाही संभव नहीं हो पाई। इसलिए, विज्ञापन एजेन्सियों को माह दिसम्बर 2010 एवं मार्च 2011 में पुन: माँग नोटिस जारी किए गए। इस हेतु निगम स्तर पर बकाया राजस्व शुल्क की वसूली हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे है। इस सम्बन्ध में नगर निगम स्तर पर नगर निगम की आय-संवर्धन हेतु सतत् प्रयास किये गये, व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया गया, किन्तु उक्त कार्य प्रक्रियात्मक व आम जनता से सम्बन्धित होने के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। इस विषय में नगर निगम द्वारा उपायुक्त-राजस्व को आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समयानुसार किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी इस सम्बन्ध में अब वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2010-11 के राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। वर्ष 2016-17 में निर्धारित लक्ष्य राशि रूपये 3500.00 लाख को विरूद्ध राशि रूपये 3555.10 लाख की वसूली की गई हैं जो लक्ष्य से अधिक है। इस वित्तीय वर्ष में एवं आगामी वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जायेगी। अत: कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

नगर निगम जोधपुर - सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सियों को नोटिस जारी किए गए हैं। श्री रमेशचन्द्र कच्छवाहा द्वारा राशि रू. 1,15,237/- जमा करवा दी गई हैं। शेष फर्मो द्वारा अवगत कराया गया हैं कि इन स्थानों पर फ्लाई ऑवर अथवा आवॅर ब्रिज आ जाने से उनके युनिपोल हटा दिये गए हैं। अत: उनसे वसूली नही बनती हैं। इस कारण वसूली नही की जा सकी।

नगर निगम कोटा - द्वारा विज्ञापन एवं यूनिपोल की मैसर्स क्विक एडवरटाईजर्स एवं एन.एस. पब्लिसिटी इण्डिया प्रा0लि0 से निम्नानुसार वसूली की गई :-

मैसर्स क्विक एडवरटाईजर्स

क्र0सं0	वर्ष	राशि	रसीद नं0/दिनांक
1	2013-14	450000	6644/20.01.2014
2	2014-15	540000	280/12.08.2014
3	2014-15	35684	4767/27.04.2016
4	2015-16	585000	4208/09.02.2016
5	2015-16	90875	4568/27.04.2016
6	2016-17	380000	1757/28.03.2017
7	2016-17	210000	1756/28.03.2017
	कुल योग :-	2291559	

मैसर्स एन.एस. पब्लिसिटी इण्डिया प्रा0लि0

क्र0सं0	वर्ष	राशि	रसीद नं0/दिनांक
1	2013-14	660000	6889/22.01.2014
2	2014-15	580000	5124/23.06.2014
3	2014-15	594530	5924/03.10.2014
4	2014-15	200000	5609/09.12.2015
5	2015-16	873983	7055/21.05.2015
6	2015-16	578220	7734/21.08.2015
7	2015-16	289110	7334/21.08.2015
8	2015-16	1127625	7336/21.08.2015
9	2015-16	3382875	298/18.09.2015
10	2015-16	560000	5899/25.02.2016
11	2015-16	239687	268/16.06.2016
12	2016-17	5412600	6080/22.06.2016
13	2016-17	600000	1669/28.03.2017
	कुल योग :-	15098630	

कोई अनुपालना अपेक्षित नहीं है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

1. आक्षेपानुसार नगर निगम जयपुर द्वारा लेखापरीक्षा को यथेष्ठ अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के कारणों से अवगत करावें तथा अनुपालनानुसार विज्ञापन राशि रू. 1.89 करोड़ वसूली के लिए किये जा रहे प्रयासो/परिणामों से अवगत करावें। वसूली समय से नहीं करने के स्पष्ट कारणों से अवगत करावें।

2. नगर निगम जोधपुर द्वारा संवेदकों की मांग और आवंटित की गई स्थलों की संख्या का समुचित अभिलेख संधारित नहीं करने के कारणों से अवगत करावें। आक्षेपानुसार समय पर पूर्ण वसूली नहीं किये जाने के कारणों से अवगत करावें।

3. नगर निगम कोटा से संबंधित प्रेषित अनुपालना आक्षेपानुसार नहीं है। आक्षेपानुसार मैसर्स एडवांस एडवर्टाइजिंग, मैसर्स आदित्य इंजीनियरिंग तथा मैसर्स इनफिलियन एडवर्टाइजिंग से रू. 0.36 करोड़ तथा रू. 0.08 करोड़ की वसूली से अवगत कराना अपेक्षित हैं।

4. नगर निगम बीकानेर से संबंधित आक्षेपानुसार अनुपालना से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर निगम अजमेर - द्वारा यूनिपोल अनुज्ञा पत्र शुल्क की राशि नियमित रूप से वसूली की जा रही है। अत: कोई अनुपालना अपेक्षित नहीं है।

नगर निगम कोटा - मैसर्स आदित्य इंजीनियरिंग से राशि 5,00,292/- वसूली हेतु फर्म को धारा 130 का नोटिस क्रमांक 335 दिनांक 10.05.2012 दिया गया है उक्त राशि की वसूली हेतु नोटिस क्रमांक 1382 दिनांक 21.08.2015 एवं नोटिस क्रमांक 9246 दिनांक 31.03.2018 दिया गया है तथा मैसर्स एडवांस एडवरटाईजिंग को राशि 20,50,40/- वसूली हेतु फर्म को धारा 130 का नोटिस क्रमांक 334 दिनांक 02.05.2013 उक्त राशि की वसूली हेतु नोटिस क्रमांक 1383 दिनांक 21.08.2015 एवं नोटिस क्रमांक 9245 दिनांक 31.03.2018 दिया गया है। मैसर्स इनफिलियन एडवरटाईजिंग फर्म द्वारा वर्ष 2011-12 को दो माह की यूनिपोल उपयोग में लिए जाने के कारण वर्ष 2011-12 की कुल राशि की दो माह की अनुपातिक राशि 93,317/- +जीएसटी 18 प्रतिशत को वसूली हेतु नोटिस क्रमांक 1384 दिनांक 21.08.2015 एवं नोटिस क्रमांक 9244 दिनांक 31.03.2018 दिया गया है। जिसके संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नगर निगम जयपुर :- इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि ऑडिट के दौरान वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। चूंकि विज्ञापन/अनुज्ञा शुल्क से सम्बन्धित कुछ पत्रावलियां जोन कार्यालयों में भी रहती है। संभवतया: किसी जोन विशेष द्वारा कुछ अभिलेख/वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई होगी। भविष्य में इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा कि लेखापरीक्षक को अंकेक्षण हेतु वांछित समस्त रिकार्ड उपलब्ध करा दिया

जायेगा। वर्तमान में नगर निगम, जयपुर द्वारा पैरा में वर्णित राशि की वसूली की जा रही है। इसका वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

YEAR	SIGN BOARD/ ADVERTISEMENT FEES/ NEON/GLOW SIGN LICENCE FEE
2010-11	191564945.00
2011-12	193710265.00
2012-13	203703216.00
2013-14	263997510.00
2014-15	319383336.00
2015-16	209352859.00
2016-17	354589996.00
2017-18	541645309.00
2018-19	471908672.00
TOTAL	**2749856108.00**

अत: प्रस्तुत विवरण व सूचना के आधार पर कृपया आक्षेप निरस्त करावें ।

समिति की सिफारिश

(15) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम कोटा द्वारा आक्षेपनुसार वसूली कि कार्यवाही की प्रगति से एवं नगर निगम बीकानेर की आक्षेपनुसार अनुपालना से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.1.3 राजस्थान भवन विनियमन

स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान भवन विनियमन मॉडल उपविधि, 2010 जारी (जून 2011) की जो सभी शहरों के प्राचीर शहर क्षेत्रों और सम्पूर्ण जयपुर शहर के अलावा राज्य के शहरी क्षेत्रों पर लागू होती है। नगर निगमों ने मॉडल उपविधि को अपनाते हुए अपने भवन उपनियम प्रवर्तित किए। राजस्थान भवन विनियमन मॉडल उपविधि भवन निर्माण के लिए 1.33 फ्लोर एरिया अनुपात[42] प्रावधित करता है, जो बेहतरी प्रभार के भुगतान के बाद 3.75 तक बढ़ाया जा सकता है।

बेहतरी कर के आंकलन एवं संग्रहण में निम्न कमियां पाई गई, जिनकी चर्चा निम्नानुसार है :

---

[42]. फ्लोर एरिया अनुपात एक भवन के कुल फ्लोर क्षेत्रफल तथा भूमि का आकार जिस पर भवन निर्मित है का अनुपात है

4.1.3.1 बेहतरी प्रभार (बैटरमेंट लेवी)

• नगर निगम, अजमेर में भवन उपविधि, 2013 के अन्तर्गत 1.33 फ्लोर एरिया अनुपात 1,000 वर्गमीटर और 2,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के बीच व्यावसायिक भवन के निर्माण के लिए अनुमत्य था। 1.33 से अधिक फ्लोर एरिया अनुपात के वाणिज्यिक सम्पत्तियों के लिए बेहतरी प्रभार आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिक फ्लोर एरिया अनुपात के लिए ` 200 प्रति वर्ग फीट, जो भी अधिक हो वसूली योग्य था।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि एक निर्माणकर्ता ने 1,341.99 वर्गमीटर माप के एक भू-खण्ड पर 1.78 फ्लोर एरिया अनुपात के साथ एक व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया। परन्तु निर्माणकर्ता से ` 35.11 लाख[43] का बेहतरी प्रभार वसूल नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, एक अन्य निर्माणकर्ता ने 1.81 फ्लोर एरिया अनुपात के साथ 1,618.29 वर्गमीटर की एक भूमि पर व्यावसायिक भवन के निर्माण के लिए आवेदन (मई 2013) किया। परन्तु न तो 60 दिनों के नियत समय के भीतर अनुमति प्रदान की गई और न ही ` 45.16 लाख[44] का बेहतरी प्रभार वसूल किया गया। प्रकरण आयुक्त, नगर निगम, अजमेर को संदर्भित किया गया (जुलाई 2015), प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2016) था।

• नगर निगम, बीकानेर के भवन उपविधि, 2007 में अधिकतम भवन निर्माण के लिये अनुमत्य फ्लोर एरिया अनुपात 1.75 प्रावधित था, जिसे संशोधित भवन उपविधि, 2010 में 2.25 तक बढ़ा दिया गया। बेहतरी प्रभार 1.33 से अधिक फ्लोर एरिया अनुपात के वाणिज्यिक सम्पत्तियों के लिए आरक्षित मूल्यों का 25 प्रतिशत अथवा अधिक फ्लोर एरिया अनुपात के लिए ` 200 प्रति वर्ग फीट जो भी अधिक हो वसूली योग्य होगा।

नगर निगम, बीकानेर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि एक व्यक्ति[45] को 920 वर्गमीटर के एक भू-खण्ड पर 1.75 के फ्लोर एरिया अनुपात के साथ व्यावसायिक भवन के निर्माण के लिए अनुमति दी गई थी (अक्टूबर 2008)। भवन मालिक ने फ्लोर एरिया अनुपात को 2.10 तक वृद्धि करने के लिए फिर से आवेदन प्रस्तुत (सितम्बर 2011) किया। आवेदन बेहतरी प्रभार के भुगतान पर भवन निर्माण समिति द्वारा स्वीकार (नवम्बर 2011)

---

43. 603.90 वर्गमीटर अधिक फ्लोर एरिया अनुपात के लिए ` 35,10,924 (0.45 X 1,341.99 वर्गमीटर) ` 5,813.75 वर्गमीटर पर (वाणिज्यिक आरक्षित दर ` 23,255 प्रति वर्गमीटर का 25 प्रतिशत)
44. 776.78 वर्गमीटर अधिक फ्लोर एरिया अनुपात के लिए ` 45,16,005 (0.48 X 1,618.29 वर्गमीटर) ` 5,813.75 वर्गमीटर पर (वाणिज्यिक आरक्षित दर ` 23,255 प्रति वर्गमीटर का 25 प्रतिशत)
45. नरेन्द्र जैन सुरेन्द्र जैन

कर लिया गया था, लेकिन आयुक्त ने अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात के लिए आदेश जारी नहीं किए थे। इस प्रकार, भूमि के मालिक ने ` 18.23 लाख[46] का बेहतरी प्रभार जमा कराए बिना अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया।

महापौर ने प्रकरण को पार्षदों की समझौता समिति को संदर्भित (जून 2014) किया, जिसने अनाधिकृत निर्माण को लागू बेहतरी प्रभार के साथ दंड के रूप में पांच प्रतिशत राशि के भुगतान पर नियमित करने का फैसला किया। समझौता समिति ने अपनी पूर्व के फैसले की समीक्षा (सितम्बर 2014) की और ` 0.18 करोड़ रुपये के बेहतरी प्रभार की वसूली की बजाय ` 0.06 करोड़ समझौता राशि के भुगतान पर निर्माण को नियमित करने का निर्णय लिया।

- एक होटल फर्म[47] ने 4,274.81 वर्गमीटर क्षेत्रफल के प्लाट पर अनुमत 1.33 फ्लोर एरिया अनुपात से ऊपर अतिरिक्त 0.52 फ्लोर एरिया अनुपात के लिए नगर निगम, बीकानेर को आवेदन (जनवरी 2012) किया। अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि आयुक्त ने अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात की अनुमति ` 47.84 लाख[48] बेहतरी प्रभार को वसूल किए बिना प्रदान कर दी।

इस प्रकार, भवन के निर्माण की अनुमति देते समय बेहतरी प्रभार की वसूली के अभाव में, नगर निगम अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात के लिए ` 0.48 करोड़ के बेहतरी प्रभार से वंचित रहा।

- जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर क्षेत्र भवन) उपविधि, 2010 और 2012 (संशोधित) जयपुर शहर में भवन निर्माण के लिए लागू थी। अधिकतम अनुमत फ्लोर एरिया अनुपात 2.25 (उपविधि 2010) था जिसे बाद में 3.75 तक बढ़ाया (उपविधि 2012) गया था। अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात बेहतरी प्रभार के भुगतान पश्चात् अनुमत्य था।

नगर निगम, जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि दो प्रकरणों में, कुल ` 2.33 करोड़ बेहतरी प्रभार वसूली योग्य थे। तथापि, केवल ` 2.19 करोड़ वसूल किए गए

---

46. 708.40 वर्गमीटर अधिक फ्लोर एरिया अनुपात के लिए ` 18,22,904 (0.77 x 920 वर्गमीटर) ` 2,573.27 वर्गमीटर पर (वाणिज्यिक आरक्षित दर ` 10,293.10 प्रति वर्गमीटर का 25 प्रतिशत)
47. चिरागदीन होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
48. 2,222.90 वर्गमीटर अधिक फ्लोर एरिया अनुपात के लिए ` 47,83,681 (0.52 x 4,274.81 वर्गमीटर) ` 2,152 वर्गमीटर पर (` 200 प्रति वर्ग फीट अर्थात 2,152 प्रति वर्गमीटर)

थे। इस प्रकार, नगर निगम, जयपुर द्वारा ` 0.14 करोड़[49] बेहतरी प्रभार की कम वसूली की गई थी।

अग्रेतर यह ज्ञात हुआ कि नगर निगम, जयपुर ने 365 से अधिक प्रकरणों में आठ मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों के निर्माण के लिए अनुमति जारी की थी, किन्तु बार-बार स्मरण-पत्र और अनुसरण के बावजूद भी नगर निगम, जयपुर ने 20-25 पत्रावलियां उपलब्ध करवाई। नगर निगम, कोटा ने भी बहु-मंजिला भवन निर्माण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए।

- नगर निगम, उदयपुर के भवन उपविधि 2010, में मानक फ्लोर एरिया अनुपात 1.33 प्रावधित था और 1.33 से अधिक फ्लोर एरिया अनुपात के वाणिज्यिक सम्पत्तियों के लिए बेहतरी प्रभार आरक्षित मूल्यों का 25 प्रतिशत अथवा अधिक फ्लोर एरिया अनुपात के लिए ` 200 प्रति वर्ग फीट जो भी अधिक हो वसूली योग्य होगा।

नगर निगम, उदयुपर ने एक फर्म[50] को 942.56 वर्गमीटर क्षेत्रफल प्लाट पर 1.65 फ्लोर एरिया अनुपात पर होटल भवन निर्माण के लिए अनुमति (दिसम्बर 2014) जारी की। नगर निगम ने मानक फ्लोर एरिया अनुपात के ऊपर अतिरिक्त 0.32 फ्लोर एरिया अनुपात (3,313 वर्गमीटर) का बेहतरी प्रभार शुल्क राशि ` 6.49 लाख[51] की वसूली सुनिश्चित किए बिना आदेश जारी किए। नगर निगम ने तथ्यों को स्वीकार (अगस्त 2015) किया ।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम अजमेर - आक्षेपों में वर्णित अनुसार संबधित पक्ष को नोटिस आदि की कार्यवाही की जाकर वसूली के प्रयास शीध्र ही किये जावेगें।

नगर निगम बीकानेर- आंक्षेप में **2** प्रकरण नगर निगम बीकानेर से सम्बंधित बतलाये गये है। जिनका तथ्यात्मक विवरण एवं अनुपालना निम्न प्रकार से है :-

1 <u>नरेन्द्र जैन सुरेन्द्र जैन</u>- प्रकरण में मौका देखा गया। मौका रिपोर्ट अनुसार निगम द्वारा की स्वीकृति दी गई थी, मौके पर **G+7** का निमार्ण हो चुका है भवन निमार्ण एंव संक्रर्म समिति के

---

49. सिद्धार्थ कंसल, जयपुर : `0.01 करोड़ (वसूली योग्य : `0.60 करोड़ – वसूल किए : `0.59 करोड़) और अजित सिंह बाफना : `0.13 करोड़ (वसूली योग्य : `1.73 करोड़ – वसूल किए : `1.60 करोड़)
50. उदय रीजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
51. 301.62 वर्गमीटर अधिक फ्लोर एरिया अनुपात के लिए ` 6,49,086 (0.32 x 943.56 वर्गमीटर) ` 2,152 वर्गमीटर पर (` 200 प्रति वर्ग फीट अर्थात 2,152 प्रति वर्गमीटर)

दिनांक 17.11.2011 के निर्णय के परिपेक्ष में प्रकरण की समीक्षा की गई, परिसर का स्वीकृत निर्माण F.A.R क्षेत्रफल 1475.40 वर्ग मीटर एवं 1.60 F.A.R के परिपेक्ष में परिसर के समस्त वर्तमान निर्माण एवं F.A.R की पुन: गणना की गई। संलग्न मौका नक्शा एवं वर्तमान F.A.R क्षेत्रफल की गणना निम्न प्रकार से है।

मौके पर वर्तमान में गणना के अनुसार 4195.63 वर्ग मीटर का निर्माण कार्य किया हुआ है जिसमें भवन विनियम 2010 (संलग्न प्रतिलिपि) के अनुसार F.A.R छूट यथा कोरिडोर, सार्वजनिक सुविधाएं, रेम्प फायर एग्जिक्ट, पार्किगं, सीढ़ियाँ, पानी की टंकी, लिफ्ट आदि के पेटे 2319.842 वर्गमीटर क्षेत्रफल की F.A.R छूट अनुज्ञेय बनती है इस प्रकार परिसर का कुल अनुज्ञेय F.A.R निर्माण क्षेत्रफल की गणना कुल निर्भित क्षेत्रफल 4195.63 वर्गमीटर मे से अनुज्ञेय छूट क्षेत्रफल 2319.842 को घटा देने पर (4195.63-2319.842 = 1875.79 वर्ग मी.) कुल F.A.R क्षेत्रफल इस प्रकार 1875.79 वर्ग मी. ही बनता है। पूर्व में स्वीकृत F.A.R क्षेत्रफल 1470.40 को वर्तमान के निमित F.A.R क्षेत्रफल 1875.79 में से कम करने पर वास्तविक अतिरिक्त निर्माण क्षेत्रफल व बेटरमेन्ट लेवी योग्य क्षेत्रफल 405.39 वर्ग मी. (1875.79-1470.40=405.39 वर्ग मी.) रहता है।

उप पंजियक बीकानेर द्वारा अपने पत्रांक SP/1 दिनांक 18.04.2016 द्वारा परिसर के समीप क्षेत्र की D.L.C वर्ष 2010 में दर 600/- प्रति वर्ग फुट बतलाई है निगम के परिपत्र भु.वि /08 दिनांक 01.08.2008 के द्वारा आरक्षित दर D.L.C की 40 प्रतिशत तथा व्यवसायिक आरक्षित दर का इस रिहायशी आरक्षित दर का 3 गुणा होगी। इस प्रकार परिसर की व्यवसायिक आरक्षित दर (600×40/100×3)=720/-रूपये प्रति वर्ग फुट हुई। इस व्यवसायिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत (720×25/100)=180/- रूपये प्रति वर्ग फुट हुई जिसे वर्ग मीटर में बदलने पर यह राशि 1936.80 वर्ग मीटर बनती है जो कि बेटरमेन्ट लेवी के रूप में अतिरिक्त F.A.R निर्माण क्षेत्र पर ली जानी है ।

इस प्रकार कुल देय बेटरमेन्ट लेवी 1936.80×405.39=7,85,159.35 रूपये बनती है भवन विनिमय 2010 के अनुसार (प्रति संलग्न है) बेटरमेन्ट लेवी व्यवसायिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत अथवा 200 रूपये प्रति वर्ग फुट या 2152 प्रति वर्ग मीटर में से जो भी अधिक होगी देय होगी। इस प्रकार यह बेटरमेन्ट लेवी 405.39×2152=8,72,399 रूपये बनती है महालेखाकार के आक्षेप में 18.23 लाख की वसूली बतलाई गई है जबकि उक्त विवरण के अनुसार रू. 8,72,399 ही बनती है जिसकी वसूली दिनांक 27.04.2016 को कर ली गई है अत: आक्षेप निरस्त करावें।

2. चिराग होटल:- उक्त निर्माण कार्य का मौका निरीक्षण किया गया। चिराग होटल बल्लभ गार्डन के लिए नगर निगम बीकानेर द्वारा G+4 की निर्माण स्वीकृति दी गई थी उक्त स्थन के मौके पर G+3 का ही निर्माण कार्य किया गया है, भवन की ऊँचाई माप की गयी यह प्लीथ लेवल से पैरापटि तक 49'-0''(14.94 मीटर) है भवन की ऊँचाई एवं निर्माण इजाजत तामीर स्वीकृति से मौके पर निर्माण कम पाया गया । प्रार्थी द्वारा निर्माण स्वीकृति के अतिरिक्त F.A.R का उपभोग नहीं किया गया है। मूल स्वीकृति 1.33 F.A.R से अधिक F.A.R का उपयोग नहीं करने स्थिति में किसी प्रकार के बेटरमेन्ट लेवी प्रार्थी के स्तर पर देय नहीं बनती है ।

आक्षेप में 47.84 लाख बेटरमेन्ट लेवी बतलाई गई है जबकि निगम द्वारा किया गया मौका मुआयना के अनुसार ऊँचाई 15 मीटर से कम होने के कारण बेटरमेन्ट लेवी नहीं बनती है आक्षेप निरस्त करावें।

नगर निगम जयपुर - इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि नगर निगम जयपुर द्वारा भवन के निर्माण की अनुमति देते समय बेहतरी प्रभार की वसूली के संदर्भ में नियमानुसार भूखण्ड की जांच करते हुए एवं अनुमति देते समय बेहतरी प्रभार की नियमानुसार वसूली की जा रही है। पैरा में वर्णित दो प्रकरण सिद्धार्थ कन्सल. से बेहतरी प्रभार राशि रूपये 59.00 करोड़ एवं श्री अजित सिंह बापना से बेहतरी प्रभार राशि रूपये 1.60 करोड़ वसूल किये गये है। इसके अतिरिक्त 365 से अधिक प्रकरणों में 8 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों की निर्माण की अनुमति नियमानुसार जारी की गई है। इस विषयक उक्त पैरा में कोई आक्षेप नहीं लिया गया है तथापि नगर निगम, जयपुर द्वारा वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 1365.47 लाख की वसूली की गई हैं।

नगर निगम उदयपुर - मैसर्स उदय रिजेन्सी प्रा. लि. जरिये निदेशक नरेश बुला पुत्र श्री कैलाश चन्द्र बुला ने भूखण्ड संख्या 3 ए, मुधबन चौगान योजना, उदयपुर दिनांक 2.9.2013 को भूखण्ड क्षैत्रफल 10142 वर्ग फीट पर जी + चार मंजिल होटल निर्माण की अनुमति चाही। जिसे निगम के पत्रांक 96/13-14 दिनांक 13.12.2013 के द्वारा प्रथम चरण में बेसमेन्ट + भूतल + दो मंजिल तक होटल निर्माण की अनुमति दी गयी। द्वितीय चरण में दिनांक 12.6.2014 को तृतीय व चतुर्थ मंजिल की अनुमति दी गयी। निदेशक उदय रिजेन्सी प्रा. लि. ने अपने पत्र दिनांक 13.10.2014 के द्वारा स्वीकृति विपरीत निर्माण का नियमन चाहा गया। आवेदक द्वारा पांचवी मंजिल का निर्माण स्वीकृति के विरूद्ध कर लिया। जिसकी शास्ती जमा कराकर निर्माण नियमित किया गया। उक्त प्रकरण में पांचवी मंजिल का निर्माण करने से एफ.ए.आर 1.65 (16799/10140) हो गयी जो कि मानग एफ.ए.आर 1.33 से अधिक पर बेटरमेन्ट लेवी देय थी। अतिरिक्त एफ.ए.आर 3313 वर्ग फीट (16799-13486 वर्ग फीट) पर रू 200 प्रतिवर्ग फीट की दर से राशि रू 662600/-

(3313×200) की बेटरमेन्ट लेवी की वसूली का अभाव पाया गया। उपरोक्त राशि 6,62,600/- रू जमा कराने हेतु प्रार्थी को सूचित किया गया।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

1. नगर निगम अजमेर से संबंधित प्राप्त अनुपालना अन्तरिम है। आक्षेपानुसार पूर्ण अनुपालना से अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. नगर निगम बीकानेर के प्रथम नरेन्द्र जैन एवं सुरेन्द्र के प्रकरण में बीकानेर नगर निगम भवन विनियम 2011 के पैरा 19.4 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पूर्व में किए अनुमोदित निर्माण पर नया तल बनाना चाहता है तो प्रार्थी का (सकल निर्माण का एफ.ए.आर.) इन विनियमों के अनुज्ञेय एफ.ए.आर से अधिक नही होगा। इन विनियम में बहुमंजिल भवन के लिए अनुज्ञेय मानक एफ.ए.आर 1.33 निर्धारित किया है। चूंकि आवेदक को सातवी एवं आठवी मंजिल पर निर्माण के लिए अनुमति इन्ही विनियम के तहत दी है, अत: प्रकरण में लेखापरीक्षा आपेक्षानुसार 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. के लिए बेहतरी प्रभार वसूल कर अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

3. नगर निगम बीकानेर के द्वितीय प्रकरण चिरागदीन होटल्स के संबंध में प्रेषित अनुपालना अन्तरिम है क्या अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात की अनुमति बेहतरी प्रभार की राशि वसूल किए बिना ही प्रदान की जा सकती है। साक्ष्य सहित अवगत करावें तथा अनुपालनानुसार मौका मुआवजा रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

4. नगर निगम जयपुर से संबंधित क्रियान्विति अन्तरिम है। आक्षेपानुसार रू. 0.14 करोड़ की वसूली के प्रयासों/परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

5. तत्समय नगर निगम जयपुर द्वारा भवनों के निर्माण के लिए जारी की गयी अनुमति से संबंधित पत्रावलियां लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारणों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

6. क्या तत्समय नगर निगम जयपुर द्वारा आंठ मीटर से अधिक उंचाई के भवनों के निर्माण के जारी सभी अनुमतियों से बैटरमेंट लेवी की गणना सही प्रकार से की गई है तथा उक्त राशि की पूर्ण वसूली कर ली गई है अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

7. तत्समय नगर निगम कोटा द्वारा भवनों के निर्माण के लिए जारी की गयी अनुमति से संबंधित पत्रावलियों लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारणों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

8. क्या तत्समय नगर निगम कोटा द्वारा बहु मंजिला भवनों के निर्माण के जारी सभी अनुमतियों में बैटरमेंट लेवी की गणना सही प्रकार से की गई है तथा उक्त राशि की पूर्ण वसूली कर ली गई है अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

9. नगर निगम अजमेर से संबंधित प्राप्त अनुपालना अन्तरिम है। आक्षेपानुसार पूर्ण अनुपालना से अन्तिम क्रियान्विति में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

10. नगर निगम उदयपुर के संबंध में प्रेषित अनुपालना अन्तरिम है। प्रकरण में बकाया बेहतर प्रभार राशि की वसूली कर अवगत कराया जाना प्रस्तावित है।

सवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

मैसर्स उदय रिजेन्सी प्रा. लि. जरिये निदेशक नरेश बुला ने भूखण्ड संख्या 3 ए, मधुबन, चौगान योजना उदयपुर ने दिनांक **2.09.2013** को भूखण्ड का क्षेत्रफल **10142** वर्ग फीट पर भूतल+चार मंजिल होटल निर्माण की अनुमति चाही। जिसे निगम के पत्रांक **96/ 13-14** दिनांक **13.12.13** के द्वारा प्रथम चरण में बेसमेन्ट+भूतल+दो मंजिल तक होटल निर्माण की अनुमति जारी की गई। द्वितीय चरण में दिनांक **12.06.2014** को तृतीय व चतुर्थ मंजिल की की अनुमति दी गई। निदेशक उदय एजेन्सी प्रा.लि. द्वारा अपने पत्र दिनांक **13.10.2014** के द्वारा स्वीकृति विपरीत निर्माण का नियमन चाहा गया। आवेदक द्वारा पांचवी मंजिल का निर्माण स्वीकृति के विरूद्ध कर लिया गया जिसकी शास्ती जमा कराकर निर्माण नियमित किया गया। उक्त प्रकरण में पाचवीं मंजिल का निर्माण करने से एफ.ए.आर **1.65(16799/10140)** हो गई। जो कि मानक एफ.ए.आर **1.33** से अधिक पर बेटरमेंन्ट लेवी देयी थी अतिरिक्त एफ.ए.आर **3313** वर्ग फीट **(16799-13486** वर्ग फीट) पर रू. **200** प्रति वर्ग फीट की दर से राशि **6,62,600/- (3313 x 200)** की बेटरमेंट लेवी की वसूली का अभाव पाया गया। उक्त प्रकरण में बेटरमेन्ट लेवी राशि की वसूली होने से संबंधित भवन मालिक को राशि वसूली करने हेतु नोटिस जारी किये गये है। संबंधित भवन मालिक द्वारा राशि प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित भवन मालिक के विरूद्ध पी.डी.आर.एक्ट के तहत् मुकदमा दर्ज करा कर राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। अत: आक्षेप निरस्त फरमावे।

नगर निगम अजमेर-आक्षेपों में वर्णित अनुसार संबधित पक्ष को नोटिस आदि की कार्यवाही की जाकर वसूली के प्रयास शीध्र ही किये जावेगें।

नगर निगम जयपुर-इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि नगर निगम जयपुर द्वारा भवन के निर्माण की अनुमति देते समय बेहतरी प्रभार की वसूली के संदर्भ में नियमानुसार भूखण्ड की जांच करते हुए एवं अनुमति देते समय बेहतरी प्रभार की नियमानुसार वसूली की जा रही है। पैरा में वर्णित दो प्रकरण सिद्धार्थ कन्सल. से बेहतरी प्रभार राशि रूपये 1.00 लाख एवं श्री अजित सिंह बापना से बेहतरी प्रभार राशि रूपये 13.00 लाख की वसूली हेतु प्रकरण की पुन: जांच करवाते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अत: कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि नगर निगम जयपुर द्वारा भवन के निर्माण की अनुमति देते समय बेहतरी प्रभार की वसूली के संदर्भ में नियमानुसार भूखण्ड की जांच करते हुए बेहतरी प्रभार की वसूली की जाती है। पैरा में वर्णित 365 प्रकरणों में से 20-25 फाइलें ऑडिट को उपलब्ध करवा दी गई थी। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान भवन निर्माण नक्शा शुल्क की वसूली का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

S.N.	YEAR	MAP VERIFICATION FEE
1	2010-11	29660330
2	2011-12	91647533
3	2012-13	161380882
4	2013-14	366509862
5	2014-15	177776942
6	2015-16	96278232
7	2016-17	44013714
8	2017-18	28318124
9	2018-19	13121825
	TOTAL	1008707444

वर्तमान में महालेखाकार कार्यालय का अंकेक्षण दल निगम लेखों की लेखापरीक्षा कार्य कर रहा है। इस संदर्भ में अंकेक्षण दल द्वारा इस विषयक चाहा गया अभिलेख/पत्रावलियां उपलब्ध करवा दी जायेगी। अत: कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि नगर निगम जयपुर द्वारा भवन के निर्माण की अनुमति देते समय बेहतरी प्रभार की वसूली के संदर्भ में नियमानुसार भूखण्ड की जांच करते हुए बेहतरी

प्रभार की वसूली की जाती है। इस विषय में निगम की आयोजना शाखा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की निर्धारित प्रक्रियानुसार जांच की जाती है। जांच पश्चात् योग्य पाये जाने पर निगम की लाइसेंस शाखा/आयोजना शाखा द्वारा वांछित एवं निर्धारित आवश्यक कार्यवाही करते हुए सक्षम स्वीकृति के माध्यम से बेहतरी प्रभार की वसूली करते हुए जारी की जाती है। बेहतरी प्रभार हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल/निर्माण के संदर्भ में माप करने के पश्चात् निर्धारित दर से गणना की जाती है एवं आवेदक को आवश्यक राशि जमा कराने हेतु डिमाण्ड नोटिस जारी किया जाता है। इस संदर्भ में यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा भूखण्ड क्षेत्रफल/निर्माण क्षेत्रफल में कोई विवाद हो तो इसका पुन: परीक्षण करवाया जाकर स्वीकृति जारी की जाती है। इस संदर्भ में राज्य सरकार एवं निगम बोर्ड द्वारा निर्देशित एवं निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जाता है। अत: कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

समिति की सिफारिश

(16) समिति सिफारिश करती है कि बकाया बेहतरी प्रभार की वसूली पूर्ण कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

(17) नगर निगम बीकानेर के द्वितीय प्रकरण चिरागदीन होटल्स के संबंध में अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात की अनुमति बेहतरी प्रभार की राशि वसूल किए बिना ही प्रदान किये जाने के कारणों एवं मौका मुआवजा रिपोर्ट की प्रति साक्ष्य सहित समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.1.3.2 अधिभोग/पूर्णता प्रमाण-पत्र शुल्क

राजस्थान भवन विनियम, 2010 (संशोधित 2013) जयपुर शहर को छोड़कर राज्य के शहरी क्षेत्रों पर लागू थे। जयपुर शहर के लिए लागू जयपुर विकास प्राधिकरण भवन उपविधि, 2010 (2012 के दौरान संशोधित) प्रावधित करता है कि भवन मालिक 15 मीटर ऊंचाई से अधिक के आवासीय/वाणिज्यिक/संस्थागत भवनों के निर्माण को पूरा करने के बाद नगर निगम से निर्धारित शुल्क[52] के भुगतान के बाद अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।

---

52. नगर निगम, बीकानेर में `10/` 20 प्रति वर्गमीटर की दर पर आवासीय/वाणिज्यिक भवनो के लिए और नगर निगम, जयपुर में `15/` 30 प्रति वर्गमीटर की दर पर आवासीय/वाणिज्यिक भवनो के लिए

- नगर निगम (जयपुर और बीकानेर) के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2010-15 के दौरान 13 भवनों के लिए पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए थे। इस प्रकार, नगर निगम शुल्क की राशि ` 0.13 करोड़[53] से वंचित रहे।

- नगर निगम द्वारा पूर्ण निर्मित भवन के कार्य का निरीक्षण यह जांच करने के लिए अपेक्षित था कि क्या निर्माण कार्य अनुमोदित नक्शे के अनुसार निष्पादित किया गया था और उसके पश्चात् पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना था। तथापि, नगर निगम, जोधपुर ने निर्माण के लिए अनुमति जारी करते समय ही पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए थे।

नगर निगम, अजमेर और कोटा ने अपेक्षित अभिलेख/सूचनाएं मांगने पर भी उपलब्ध नहीं करवाई।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम जयपुर-इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि पैरा में उल्लेखित अवधि 2010-2015 के दौरान 13 भवनों के लिए पूर्णता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित भवन निर्माताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज एवं निगम शुल्क की राशि जमा न कराने के कारण जारी नहीं किए गए। वर्तमान में नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं निर्धारित शुल्क वसूल करते हुए अधिभोग/पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

1. आक्षेपानुसार नगर निगम जयपुर तथा बीकानेर द्वारा 13 भवनों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने तथा निगम शुल्क की राशि वसूलने के प्रयासों/ परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. नगर निगम जोधपुर द्वारा भवन निर्माण के लिए अनुमति जारी करते समय ही पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के औचित्य/कारणों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

---

[53]. नगर निगम, जयपुर (10 प्रकरण) – अजित सिंह बाफना : ` 1.37 लाख, केश देव शर्मा : ` 1.35 लाख, प्रेम कार्गो मूवर्स: ` 0.54 लाख, सुरेन्द्र कुमार वैद्य : ` 0.45 लाख, सुनीता जगतानी : ` 0.94 लाख, सिद्धार्थ कंसल : ` 0.78 लाख, एस.के. बाकलीवाल : ` 0.42 लाख, अतुल मल्होत्रा : ` 0.60 लाख, आर.यू. ओसवाल : ` 0.82 लाख और मैंगो पिपुल : ` 2.12 लाख
नगर निगम, बीकानेर (तीन प्रकरण) – मैसर्स चिरागदीन होटल्स : ` 2.65 लाख, मैसर्स के.ए. प्रोजेक्टस : ` 0.26 लाख और काशी देवी : ` 0.36 लाख

3. नगर निगम अजमेर तथा कोटा द्वारा अधिभोग/पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क से संबंधित अभिलेख /सूचनाये लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराने के कारणों का समावेश अन्तिम अनुपालना में अपेक्षित है।

सवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर निगम जयपुर-इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि नगर निगम जयपुर द्वारा लेखापरीक्षा अवधि 2010-15 के मध्य 15 मीटर से ऊँचे भवन निर्माण हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की जांच की जाती है। इस विषय में राज्य सरकार/नगर निगम, जयपुर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं निर्धारित प्रपत्र संलग्न करने के पश्चात् अधिभोग/पूर्णता प्रमाण-पत्र शुल्क की गणना करवाई जाती है। आवेदक द्वारा उक्त शुल्क की राशि निगम कोष में जमा करवाने के पश्चात् अधिभोग/पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है। यदि किसी आवेदन में प्रपत्रों सम्बन्धी/वांछित सूचना सम्बन्धी विवरण पूर्ण नहीं हो तो अथवा अधिभोग/पूर्णता प्रमाण-पत्र शुल्क जमा नहीं करवाया गया हो तो उक्त प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। पैरा में वर्णित प्रकरणों में भी उक्त सूचना/विवरण प्रस्तुत न करने के कारण ही उक्त प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो पाया। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें ।

समिति की सिफारिश

(18) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम जयपुर एवं बीकानेर के आक्षेपित प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही/वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

(19) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम अजमेर तथा कोटा द्वारा अधिभोग/पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क से संबंधित अभिलेख /सूचनाये लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारणों से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.1.3.3 अग्नि अनापति प्रमाण-पत्र प्रभार

नगर निगम, जोधपुर ने अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अग्नि शुल्क आवासीय भवन के लिए निर्मित क्षेत्र पर ` एक प्रति वर्ग फीट और 12 मीटर ऊंचाई तक के वाणिज्यिक भवन के लिए ` 1.50 प्रति वर्ग फीट और 12 मीटर से अधिक ऊंचाई के वाणिज्यिक भवन के लिए ` दो प्रति वर्ग फीट की निर्धारित दर से वसूली हेतु आदेश जारी

(सितम्बर 2010) किए। अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क निर्धारित दरों का 50 प्रतिशत था।

यह पाया गया कि नगर निगम ने आठ भवनों (आवासीय : 4,69,481 वर्ग फीट और वाणिज्यिक : 44,411 वर्ग फीट) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क राशि ` 0.06 करोड़ वसूल नहीं किए। अग्रेतर, इन आठ भवनों से वार्षिक नवीनीकरण शुल्क राशि ` 0.03 करोड़ की भी वसूली नहीं की गई थी। इस प्रकार, राशि ` 0.09 करोड़ बकाया थी *(परिशिष्ट-XIV)*।

विभागीय अनुपालना

अनुपालना अपेक्षित नही।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

आक्षेपानुसार पूर्ण क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर निगम जयपुर इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि नगर निगम जयपुर द्वारा लेखापरीक्षा अवधि 2010-15 के मध्य 15 मीटर से ऊँचे भवन निर्माण हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की जांच की जाती है। इस विषय में राज्य सरकार/नगर निगम, जयपुर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं निर्धारित प्रपत्र संलग्न करने के पश्चात् अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क की गणना करवाई जाती है। आवेदक द्वारा उक्त शुल्क की राशि निगम कोष में जमा करवाने के पश्चात् अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है। यदि किसी आवेदन में प्रपत्रों सम्बन्धी/वांछित सूचना सम्बन्धी विवरण पूर्ण नहीं हो तो अथवा अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क जमा नहीं करवाया गया हो तो उक्त प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा अवधि अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क के पेटे वसूल की गई राशि का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

S.N.	*YEAR*	*NOC FEE*
1	*2010-11*	20172403.00
2	*2011-12*	36230997.00
3	*2012-13*	38265103.00
4	*2013-14*	71005342.00
5	*2014-15*	63832934.00

6	2015-16	440222501.00
7	2016-17	73069743.00
8	2017-18	54369965.00
9	2018-19	35928927.00
	TOTAL	***833097915.00***

अत: प्रस्तुत विवरण व सूचना के आधार पर कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

(20) समिति की सिफारिश

समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम जोधपुर द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क एवं वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं करने के कारणों से एवं बकाया राशि की वसूली शीघ्रताशीघ्र कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.1.3.4 अग्नि उपकर

आग बुझाने की सुविधा उपलब्ध कराने और अग्नि शमन के उत्थान के लिए, राजस्थान सरकार ने निर्धारित दरों[54] पर अग्नि उपकर की वसूली के लिए आदेश जारी (अक्टूबर 2013) किए।

- यह पाया गया कि उदयपुर शहर में पांच भवनों से ` 0.17 करोड़ वसूल किए जाने थे लेकिन नगर निगम ने केवल ` 0.12 करोड़ इन भवनों से वसूल किए। इस प्रकार ` 0.05 करोड़ बकाया थे (***परिशिष्ट- XV***)। ध्यान में लाए जाने पर अवगत (अगस्त 2015) कराया कि अग्नि उपकर की बकाया राशि वसूल कर ली जाएगी।

- नगर निगम, जयपुर ने निर्धारित दरों से अग्नि उपकर वसूल किया था जबकि नगर निगम, अजमेर और कोटा ने अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम उदयपुर-भवन विनियम 2013 के बिन्दु संख्या 14.13 व 14.14 अनुसार भूखण्ड के आकार को आधार मानते हुए बहुमंजिला भवनों में एन.बी.सी प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान वर्षा जलसंग्रहण राशि नियमानुसार ग्रीनरी एवं प्लान्टेशन की उपलब्धता एवं

---

54. 15 मीटर से 40 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों के लिए फ्लोर एरिया अनुपात क्षेत्रफल का ` 100 प्रति वर्गमीटर की दर से और 40 मीटर से 60 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों के लिए फ्लोर एरिया अनुपात क्षेत्र का ` 150 प्रति वर्गमीटर की दर से

भवन विनियमों के प्रावधानो के अनुसार पार्किंग का प्रावधानों की राशि 14.14 अनुसार ली जाती है।

आक्षेप में वर्णित बिन्दु संख्या मेसर्स आर्ची दी ऑरबिट, ऋशभ भाणावत, हिरण मगरी, उदयपुर से 70,000/- रू नकद जमा, बिन्दु संख्या 2 श्रीमति गीता अग्रवाल, भट्ट जी की बाडी, उदयपुरसे 5.00 लाख, बिन्दु संख्या 3 श्री शब्बीर हुसैन पालीवाला, हाथीपोल, उदयपुर से 6.00 लाख, बिन्दु संख्या 4 श्री विनय बापना, सेठ जी की बाडी, मधुवन, उदयपुर से 6.00 लाख एवं बिन्दु संख्या 5 मेसर्स उदय रिजेन्सी प्रा. लि. चौगान स्कीम, उदयपुर से 1.00 लाख रू की बैंक गारण्टी ली गई है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

1. नगर निगम जयपुर में आक्षेपानुसार रू. 0.05 करोड़ की पूर्ण वसूली कर तथा समय रहते वसूली नहीं करने के स्पष्ट कारणों से अन्तिम अनुपालना से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. नगर निगम उदयपुर द्वारा अग्नि उपकर के बदले में बैंक गारण्टी किन नियमों के अनुसार ली गई है।

3. नगर निगम अजमेर तथा कोटा द्वारा तत्समय अग्नि उपकर से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराने के स्पष्ट कारणों का समावेश अन्तिम अनुपालना में अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर निगम उदयपुर:- प्रस्तुत आक्षेप 4.1.3.4 वर्ष 2014-15 के प्रकरणों में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.06.2015 के अनुसार फायर सेस राशि गणना की गई थी।

उक्त प्रकरणों में फायर सेस राशि की कम वसूली होने से संबंधित 5 भवन मालिकों को नोटिस जारी किये गये है। संबंधित भवन मालिक द्वारा राशि प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित भवन मालिक के विरूद्व पी.डी.आर.एक्ट के तहत् मुकदमा दर्ज करा कर राशि वसूली कार्यवाही की जावेगी। अत: आक्षेप निरस्त फरमावें।

समिति की सिफारिश

(21) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम उदयपुर एवं जयपुर में अग्नि उपकर की बकाया राशि की वसूली शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कर प्रगति से, नगर निगम अजमेर व कोटा द्वारा

अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारणों से एवं इनसे सम्बंधित उक्त कर की स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.1.4 सम्पत्तियों से राजस्व

नगर निगमों की सम्पत्तियों से राजस्व में दुकानों का किराया, सामुदायिक केन्द्रों, डेयरी बूथ, पार्किंग शुल्क इत्यादि सम्मिलित है। सम्पत्तियों से राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण में पाई गई कमियों की चर्चा निम्नानुसार है :

4.1.4.1 दुकानों का किराया

- नगर निगम, अजमेर के पास 1,393 सम्पत्तियां (पट्टे पर दी सम्पत्तियां : 347, दुकानें : 822 और चबूतरे : 224) हैं तथा विभिन्न व्यक्तियों को किराए पर दी गई है। मार्च 2015 तक ` 0.87 करोड़ (पट्टे पर दी गई सम्पत्तियो पर ` 0.42 करोड़, 822 दुकानों पर ` 0.06 करोड़ और 224 चबूतरों पर ` 0.39 करोड़) का किराया बकाया था।

- नगर निगम, जयपुर के हवा महल जोन (पूर्व) में 70 दुकाने विभिन्न व्यक्तियों को किराए पर दी गई थी। लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाई गई 53 पत्रावलियों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मार्च 2015 तक किराएदारों से राशि ` 0.73 करोड़ वसूली हेतु बकाया थे। ये दुकाने वर्ष 1969 के दौरान किराए पर दी गई थी और एक प्रकरण में किराया आवंटन के समय से ही वसूल नहीं किया गया था।

- नगर निगम, कोटा ने 952 सम्पत्तियां (भूमि, दुकाने, चबूतरा और खोखे) विभिन्न व्यक्तियों को किराए पर दी थी। मार्च 2015 तक इन सम्पत्तियों से ` 0.27 करोड़ का किराया बकाया था।

- नगर निगम, जोधपुर द्वारा 789 दुकाने विभिन्न व्यक्तियों को किराए पर दी गई थी। मार्च 2015 तक ` 0.26 करोड़ का किराया बकाया था।

- नगर निगम, उदयपुर द्वारा 75 दुकानें और 99 खोखें विभिन्न व्यक्तियों को किराए पर दिए गए थे। नगर निगम ने 71 दुकानों और 77 खोखों से किराया वसूल किया, जबकि, किराया राशि ` 0.08 करोड़ (चार दुकानों से : ` 0.03 करोड़ और 22 खोखों से : ` 0.05 करोड़) किराएदारों से वसूल नहीं की जा सकी।

किराएदारों से बकाया किराए की गैर-वसूली से संबंधित कारण किसी भी नगर निगम द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम जयपुर - इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि नगर निगम जयपुर द्वारा निगम के हवामहल जोन पूर्व में विभिन्न व्यक्तियों को दी गई दुकानों के किराये की वसूली हेतु निरन्तर वसूली अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 71.85 लाख की वसूली की गई हैं। इस पेटे काफी राशि वसूल कर ली गई है।

नगर निगम कोटा द्वारा भूमि, दुकानें, चबूतरा, खोखो से वर्ष 2015-16 में 13,74,979/- एवं वर्ष 2016-17 में 5,48,975/- रूपये का राजस्व वसूल किया गया है। नगर निगम कोटा द्वारा और अधिक राजस्व संग्रहण में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे है।

नगर निगम जोधपुरः- प्रकरण नगर निगम की मार्केटिंग समिति के पास विचारधीन है। निर्णयानुसार वसूली कर अवगत करवा दिया जायेगा।

नगर निगम उदयपुर-

1- नगर निगम, उदयपुर द्वारा दुकान/कियोस्क धारकों को मासिक अनुज्ञा पर दिये गये है जिनसे प्रतिमाह राशि जमा होती है, किन्तु कुछ दुकान/कियोस्क धारकों द्वारा प्रतिमाह राशि निरन्तर जमा नहीं करने पर एवं जब राशि जमा कराई जाती है तब ब्याज सहित वसूली की जाती है।
2- कियोस्क एवं दुकानों का प्रतिवर्ष नवीनिकरण की कार्यवाही हेतु अनुज्ञा राशि जमा कराई जाती है। किन्तु कुछ दुकान धारियों द्वारा समय पर अनुज्ञा राशि जमा नहीं कराने पर उनकों नोटिस देने की कार्यवाही की जाती है एवं ब्याज सहित राशि वसूलने की कार्यवाही की जाती है।

दुकान/कियोस्क धारकों से कुल बकाया राशि 7.94 लाख में से 5.00 लाख रूपयें राशि वसूल की जा चुकी है एवं शेष राशि वसूली हेतु अनुज्ञा धारकों को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

1. नगर निगम अजमेर द्वारा आक्षेपानुसार बकाया किराये की वसूली नही करने के कारणों तथा वसूली के लिए किये गये प्रयासों/परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. नगर निगम जयपुर एवं कोटा के संबंध में प्रेषित अनुपालना अन्तरिम है। अत: शेष किराया की वसूली के किये गये प्रयासों/परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

3. नगर निगम जोधपुर के संबंध में प्रेषित अनुपालना अन्तरिम है। आक्षेपानुसार वसूली नहीं करने के कारणों तथा मार्केटिंग समिति के निर्णय से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

4. नगर निगम उदयपुर के संबंध में प्रेषित अनुपालना अन्तरिम है। शेष राशि की वसूली कर मय साक्ष्य अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर निगम कोटा- वर्ष 2016 में तत्कालिन आयुक्त द्वारा किराया वसूली मौखिक रूप से बन्द कर दी गई थी जो आज दिनांक तक प्रभावी है। तत्पश्चात् भी वर्तमान में इस प्रक्रिया को आगे बढाने का प्रयास राजस्व अनुभाग स्तर पर किया जा रहा है। प्रास दिशा-निर्देशों के आधार पर वसूली के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नगर निगम जयपुर इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि ऑडिट अवधि के दौरान नगर निगम, जयपुर की विभिन्न जोनों द्वारा किराये पर दी गई दुकानों से वसूल किए गए किराये का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

S.N.	YEAR	RENTAL INCOME SHOP
1	2010-11	709661.00
2	2011-12	3801156.00
3	2012-13	254166.00
4	2013-14	13094603.00
5	2014-15	833044.00
6	2015-16	1820046.00
7	2016-17	1464281.00
8	2017-18	7148544.00

9	2018-19	6079939.00
	TOTAL	35205440.00

अत: इस प्रकार नगर निगम, जयपुर के विभिन्न जोनों द्वारा निगम सम्पतियों को किराये पर दिए जाने के संदर्भ में वसूल की गई किराया राशि के संदर्भ में प्रस्तुत विवरण व सूचना के आधार पर कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

समिति की सिफारिश

(22) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम कोटा के तत्कालीन आयुक्त द्वारा किराया वसूली के स्थगन के कारणो से एवं आक्षेपित नगर निगमों में बकाया किराये की वसूली की लक्षित कार्ययोजना व वसूली से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.1.4.2 डेयरी बूथों का किराया

स्वायत्त शासन विभाग ने शहरी क्षेत्रों में संचालित डेयरी बूथों से मासिक किराए की वसूली हेतु ` 400 से ` 850 प्रति माह की दरे[55] निर्धारित (जून 2005) की।

यह पाया गया कि :

जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की 597 डेयरी बूथ संचालित थी। अवधि 2010-11 से पूर्व की अवधि का बकाया किराया ` 2.82 करोड़ था। नगर निगम ने अवधि 2010-15 के लिए इन डेयरी बूथों से ` 4.63 करोड़ किराए(` 2.87 करोड़ किराए के भुगतान में देरी के लिए देय ब्याज राशि सहित) की मांग जारी की। किराया राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा व्यक्तियों से एकत्रित करने के पश्चात् जमा कराया जाना था। तथापि, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने केवल ` 1.40 करोड़ नगर निगम के पास जमा कराए और शेष किराया राशि ` 6.05 करोड़ मार्च 2015 तक बकाया था।

- हालांकि स्वायत्त शासन विभाग ने शहरी क्षेत्रों में संचालित डेयरी बूथों से किराए की वसूली हेतु दरें निर्धारित की थी (जून 2005), फिर भी, नगर निगम, बीकानेर, जोधुपर, कोटा

---

55. श्रेणी-अ (100 लीटर तक दूध बिक्री): ` 400 प्रति माह, श्रेणी-ब (101 से 300 लीटर दूध बिक्री): ` 600 प्रति माह, श्रेणी-स (301 से 1000 लीटर दूध बिक्री): ` 750 प्रति माह और श्रेणी-द (1000 लीटर से अधिक दूध बिक्री): ` 850 प्रति माह

और उदयपुर ने अलग दरों[56] पर किराए की वसूली की। नगर निगम, जोधपुर और बीकानेर अलग दरों पर किराए की वसूली के कारणों को अग्रेषित नहीं किया। नगर निगम, कोटा और उदयपुर ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई-अगस्त 2015) किया और निर्धारित दरों पर किराया वसूल करने की सहमति दी।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम अजमेर-नगर निगम क्षेत्र में संचालित समस्त डेयरी बूथों की मासिक किराया राशि अजमेर डेयरी द्वारा संकलित की जाकर मासिक रूप से निगम को भिजवाई जा रही है।

नगर निगम जयपुर- इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि जयपुर नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में संचालित 597 जयपुर डेयरी के बूथों से वसूली योग्य किराये की राशि की वसूली हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें डेयरी बूथों की राशि जयपुर डेयरी द्वारा जमा करवाई गई है। इस सम्बन्ध में नगर निगम जयपुर द्वारा बकाया बूथ की राशि शीघ्र जमा कराने हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को वर्ष 2010-2017 की अवधि के बीच किराये की राशि जमा कराने हेतु एवं लेखों के समायोजन व मिलान हेतु परस्पर सहमति हुई है। बूथ किराये की राशि की पूर्व वसूली शीघ्र ही हो जावेगी। कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

नगर निगम उदयपुर-आक्षेप के सम्बंध में निवेदन है कि नगर निगम क्षैत्र में स्थापित सरस बुथो की अनुज्ञा शुल्क की अन्तर राशि वसुली हेतु उक्त आक्षेप की पालना में नगर निगम द्वारा संबंधित डेयरी विभाग को पत्र क्रमांक राजस्व/2016-17/22 दिनांक 18.07.2016 द्वारा सरस डेयरी को पत्र प्रेषित किया गया । इस संबंध में सरस डेयरी द्वारा आक्षेप के प्रत्युतर में लिखा है कि राजस्थान को -ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. जयपुर के अन्य दुग्ध संघो द्वारा भी इसी अनुरूप किराया राशि का भुगतान किया जा रहा है। तथा बकाया अन्तर राशि 64,800/- रूपयें वसूल किये जा चुके है साथ ही राज्य सरकार के आदेश के तहत बूथ वर्गीकृत अनुसार राशि वसूली की जा रही है।

नगर निगम, जोधपुर- क्षेत्र में डेयरी बूथो का किराया रू. 400/- की दर की दुगुनी दर रूपये 800/- लिया जा रहा हैं, जो स्वायत शासन विभाग के निर्देशानुसार बूथ संचालक द्वारा अन्य सामग्री की बिक्री के कारण लिया जा रहा हैं।

---

[56]. नगर निगम, बीकानेर (88 बूथ): ` 500 प्रति माह, जोधपुर (276 बूथ): ` 800 प्रति माह, कोटा (118 बूथ): ` 500 प्रति माह और उदयपुर (25 बूथ): ` 300 प्रति माह और (40 बूथ): ` 600 प्रति माह

महालेखाकार कार्यालय की टिप्पणी

1. नगर निगम जयपुर के संबंध में प्रेषित अनुपालना में स्पष्ट नहीं है कि आक्षेपानुसार कितनी राशि नगर निगम को जमा कराया जा चुकी है एवं कितनी राशि बकाया है तथा बकाया राशि की समय पर वसूली नहीं करने के क्या कारण थे?अत: आक्षेपानुसार पूर्ण राशि की वसूली कर मय साक्ष्य अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दरें निर्धारित करने के बाद भी नगर निगम उदयपुर द्वारा राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. जयपुर के अन्य दुग्ध संघो के अनुरूप किराया लेने के लिए क्या कोई सक्षम स्वीकृति ली गई थी? तथा राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. जयपुर के अन्य दुग्ध संघो द्वारा किराए की दरें निर्धारित करने का आधार क्या था? अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

3. नगर निगम जोधपुर द्वारा प्रेषित अनुपालना अन्तरिम है। अनुपालनानुसार तत्समय स्वायत्तशासन विभाग के बूथ संचालकों द्वारा अन्य सामग्री की बिक्री के लिए दुगुनी दर से किराया वसूलने के निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

4. नगर निगम बीकानेर तथा कोटा के संबंध में आक्षेपानुसार अलग दरों से किराया वसूलने के कारणों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर निगम अजमेर-नगर निगम क्षेत्र में संचालित समस्त डेयरी बूथों की मासिक किराया राशि अजमेर डेयरी द्वारा संकलित की जाकर मासिक रूप से निगम को भिजवाई जा रही है।

नगर निगम कोटा:- 4.1.4.2 () द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.24/2642/ डीएलबी/06/02-105 दिनांक 04.01.2001 के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में 500/- प्रतिमाह प्रति बूथ के हिसाब से किराया जमा किया जा रहा है। अब नगर निगम कोटा द्वारा राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. के पत्र क्रमांक एफ.6(271/271-सी)/ विपणन/ 2019/ 64647-67 दिनांक 18.03.2019 के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थापित सरस डेयरी बूथों का मासिक किराया 1000/- प्रतिमाह एवं 50/-प्रतिमाह प्रति बूथ विज्ञापन शुल्क के हिसाब से किराया वसूलने हेतु पत्र पे्रषित किया जा चुका है। आक्षेप निरस्त करने हेतु प्रस्तुत है।

नगर निगम जयपुर- इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि ऑडिट अवधि के दौरान नगर निगम, जयपुर एवं जयपुर डेयरी के बीच बूथों की संख्या के सम्बन्ध में एवं बूथ के किराया शुल्क के संदर्भ में श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान निर्णय हो गया है कि जयपुर डेयरी भी एक कॉपरेटिव सोसाइटी है तथा इसके बूथों एवं बूथों पर विज्ञापन सम्बन्धी शुल्क का निस्तारण अन्तिम तौर पर इस बैठक में हो चुका है। इस विषय में जयपुर डेयरी द्वारा बकाया राशि निगम कोष में जमा करवा दी गई है। अत: कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

समिति की सिफारिश

(23) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर द्वारा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में संचालित डेयरी बूथों से मासिक किराए हेतु निर्धारित दरो से अलग दरों पर किराए की वसूली किये जाने के कारणों से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.1.5 अन्य राजस्व

अधिनियमों और नियमों से राजस्व में सड़क कटिंग प्रभार, पशुघर से आय और कच्ची बस्ती के नियमन इत्यादि सम्मिलित है। छ: नगर निगमों के अधिनियमों और नियमों से आय से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में निम्न लेखापरीक्षा तथ्य प्रकट हुए :

4.1.5.1 सड़क कटिंग प्रभार

नगर निगमों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और भारती हेक्साकोम द्वारा नगर निगम, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को सड़क कटिंग प्रभार जमा कराए बिना नगर निगम सड़कों में सड़क कटिंग कार्य किया। नगर निगमों ने इन कम्पनियों को सड़क कटिंग प्रभार की राशि ` 5.77 करोड़[57] जमा कराने के लिए मांग पत्र जारी (फरवरी 2013 से मार्च 2015) किए लेकिन यह उपयोगकर्ताओं से वसूल नहीं किया गया।

विभागीय अनुपालना

---

57. नगर निगम, जयपुर : ` 5.22 करोड़ (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग : ` 4.60 करोड़, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड : ` 0.54 करोड़ और भारती हेक्साकोम लिमिटेड : ` 0.08 करोड़), जोधपुर : ` 0.41 करोड़ (जोधपुर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) और उदयपुर : ` 0.14 करोड़ (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)

नगर निगम जयपुर-इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड तथा अन्य दूरभाष कम्पनियों द्वारा केबिल अथवा पाईप लाईन डालने के लिए नगर निगम के जिस क्षेत्र में रोड़ कटिंग की गई है उससे सम्बन्धित राशि जमा कराने हेतु सम्बन्धित विभागों को नोटिस जारी किये गये है। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग व दूरभाष कम्पनियों ने रोड़ कट की राशि नगर निगम में जमा करवा दी है। वर्ष 2016-17 में निर्धारित लक्ष्य राशि रूपये **500.00** लाख के विरूद्ध राशि रूपये **786.35** लाख की वसूली की गई हैं जो लक्ष्य से काफी अधिक है। अत: कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

1. नगर निगम द्वारा प्रेषित अनुपालना अन्तरिम तथा अपूर्ण है। आक्षेपानुसार तत्समय राशि रू. **5.77** करोड़ नहीं वसूलने के कारणों एवं वसूली का स्पष्ट विवरण मय साक्ष्यों तथा शेष वसूली कर पूर्ण अनुपालना से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

2. क्या नगर निगम जयपुर द्वारा सड़क कटिंग प्रभार के लिए जारी किए मांग पत्र की समस्त राशि वसूली की राशि की जा रही है?

3. आक्षेपानुसार नगर निगम उदयपुर तथा जोधपुर के संबंध में क्रियान्विति अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर निगम जयपुर:- इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि ऑडिट अवधि के दौरान नगर निगम, जयपुर के विभिन्न जोनों में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा अन्य दूरभाष कम्पनियों द्वारा पाईप लाईन डालने/केबिल डालने के पेटे की गई रोड़ कटिंग के पेटे रोड़ कटिंग शुल्क की वसूली सतत् रूप से की जा रही हैं। इसका वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

S.N.	YEAR	ROAD CUTTING
1	2010-11	7137889.00
2	2011-12	16642059.00
3	2012-13	30255827.00
4	2013-14	62344522.00
5	2014-15	29963584.00
6	2015-16	41226134.00
7	2016-17	79016483.00

8	2017-18	93542156.00
9	2018-19	14386574.00
	TOTAL	374515228.00

अत: ऑडिट अवधि के दौरान नगर निगम, जयपुर के विभिन्न जोनों में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा अन्य दूरभाष कम्पनियों द्वारा पाईप लाईन डालने/केबिल डालने के पेटे की गई रोड़ कटिंग के पेटे रोड़ कटिंग शुल्क की वसूली सतत् रूप से की जा रही है। रोड़ कटिंग के पेटे वसूल की गई शुल्क राशि के संदर्भ में प्रस्तुत विवरण व सूचना के आधार पर कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि ऑडिट अवधि के दौरान नगर निगम, जयपुर के विभिन्न जोनों में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा अन्य दूरभाष कम्पनियों द्वारा पाईप लाईन डालने/केबिल डालने के पेटे की गई रोड़ कटिंग के पेटे रोड़ कटिंग हेतु तैयार किए गए तकमीने के आधार पर सम्बन्धित विभाग/कम्पनी से तकमीने की पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही रोड़ कटिंग की अनुमति दी जाती है एवं रोड़ कटिंग की शुल्क की वसूली सतत् रूप से की जा रही हैं। कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

समिति की सिफारिश

(24) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम उदयपुर तथा जोधपुर के संबंध में आक्षेपानुसार क्रियान्विति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.1.5.2 भूमि के विक्रय का हिस्सा

राजस्थान सरकार ने निर्देशित किया (अप्रैल 2010) कि राजस्थान आवासन मण्डल, विकास प्राधिकरण[58] और नगर विकास न्यास विक्रय की गई भूमि और भवनों की राशि का 15 प्रतिशत हिस्सा राशि तिमाही आधार पर संबंधित नगर निगम को हस्तान्तरित करेगा। अग्रेतर, राजस्थान आवासन मण्डल, विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास विकास कार्यों पर किए गए व्यय का समायोजन भूमि के विक्रय की हिस्से के विरूद्ध नहीं करेगा।

भूमि और भवनों के विक्रय की हिस्सेदारी के हस्तांतरण में लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियों की चर्चा निम्नानुसार है :

---

58. अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण और जोधपुर विकास प्राधिकरण

• नगर विकास न्यास, कोटा ने 2010-15 के दौरान ` 470.76 करोड़ की भूमि का विक्रय किया। नगर निगम, कोटा अपने हिस्से के रूप में ` 70.61 करोड़ का हकदार था। लेखापरीक्षा द्वारा पुछताछ पर, नगर विकास न्यास, कोटा ने अवगत (जुलाई 2015) कराया कि उसने ` 10 करोड़ नगर निगम, कोटा को हस्तान्तरित (2010-11 : ` पांच करोड़ और 2013-14 : ` पांच करोड़) किए और उसके द्वारा किए गए विकास कार्यों के पेटे ` 103.70 करोड़ समायोजित कर दिए। इस प्रकार, नगर विकास न्यास, कोटा ने राशि ` 60.61 करोड़ नगर निगम, कोटा को प्रेषित नहीं किए और राजस्थान सरकार के निर्देशों के विपरीत विकास कार्यों पर किए गए व्यय ` 103.70 करोड़ अनाधिकृत रूप से समायोजित कर दिया।

नगर निगम, कोटा ने अवगत (जुलाई 2015) कराया कि नगर विकास न्यास ने उन्हें अपने हकदारी हिस्से की राशि के बारे में सूचित नहीं किया। अग्रेतर, नगर विकास न्यास को विकास कार्यों पर किए गए व्यय के समायोजन के लिए कोई सहमति नहीं दी थी।

• नगर विकास न्यास, बीकानेर ने 2010-15 के दौरान राशि ` 111.06 करोड़ की भूमि विक्रय की, इस प्रकार, इस विक्रय कार्यवाही से नगर निगम, बीकानेर अपनी हिस्सा राशि ` 16.66 करोड़ का हकदार था। यह पाया गया कि नगर निगम ने केवल ` 14.67 करोड़ प्राप्त हुए। लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने पर, नगर निगम, बीकानेर ने अवगत कराया कि अपनी हकदारी राशि के हस्तान्तरण के लिए नगर विकास न्यास, बीकानेर से मांग की गई है। इस प्रकार, नगर निगम अपनी हकदारी राशि ` 1.99 करोड़ प्राप्त नहीं कर सका।

विभागीय अनुपालना

अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा निगम को नियमित रूप से 15 प्रतिशत हिस्सा राशि भिजवाई जा रही है। वर्तमान माह फरवरी 2017 तक की राशि प्राप्त हो चुकी है।

नगर निगम जयपुर-इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जयपुर विकास प्राधिकरण व राजस्थान आवासन मण्डल तथा नगर निगम की संयुक्त उच्च स्तरीय बैठक में भूमि के विक्रय की हिस्सा राशि जमा कराये जाने हेतु माननीय मंत्री महोदय ने आवश्यक निर्देश जारी किये है। इस विषय में इन संस्थाओं से लेखों के परस्पर मिलान के पश्चात् देय राशि जमा कराने की सहमति सम्बन्धित आयुक्त द्वारा मंत्री महोदय को बैठक के दौरान दी गई हैं। इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा राशि शीघ्र ही जमा करवाये जाने की सम्बन्धित विभागों से निरन्तर पत्राचार जारी है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

आक्षेपानुसार नगर निगम कोटा तथा बीकानेर के संबंध में पूर्ण क्रियान्विति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर निगम कोटा:- नगर विकास न्याय कोटा द्वारा वर्ष 2005-06 में आवासीय वाणिज्यिक शहरी भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि का 15 प्रतिशत हिस्सा राशि शहरी विकास हेतु नगर निगम कोटा में वर्ष 2016-17 तक राशि 10101.44 लाख नगर निगम को हस्तातंरण होना शेष था। जिसके विरूद्व नगर विकास न्यास द्वारा निम्नानुसार राशि नगर निगम कोटा को हस्तातंरित की गई है। (लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	राशि
1	2010-11	500.00
2	2013-14	500.00
3	2015-16	500.00
4	2017-18	1000.00
कुल राशि		**2500.00**

\उक्त राशि के पेटे **2500.00** लाख प्राप्त की है तथा **7601.44** लाख रूपये शेष है इस हेतु समय समय पर सचिव, नगर विकास न्यास कोटा को दिनांक **02.05.2018, 07.06.2018** एवं **09.10.2018** (प्रति संलग्न) एवं श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के पत्रांक **925-28** दिनांक **07.03.2018** एवं पत्रांक **44-47** दिनांक **25.04.2018** (प्रति संलग्न) से निवेदन किये जाने के उपरान्त भी वर्ष **2017-18** के उपरान्त नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कोई राशि का हस्तातंरण नगर निगम कोटा को नहीं किया गया है।

समिति की सिफारिश

(25) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम बीकानेर के संबंध में आक्षेपानुसार क्रियान्विति से एवं नगर विकास न्यास कोटा द्वारा नगर निगम कोटा को हस्तातंरित कि गयी राशि से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.1.5.3 पार्किंग स्थानों के लिए संविदाएँ

नगर निगम, कोटा ने नयापुरा बस अड्डा पार्किंग स्थल वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए ` 0.08 करोड़ की अनुबंध राशि पर एक सहकारी समिति[59] को सौंपा। अनुबंध राशि 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अनुबंध की अवधि अप्रैल से जून 2014 तक के लिए बढ़ा दी गई थी। तथापि, यह पाया गया कि, की बढ़ाई गई अवधि के लिए ` 0.02 करोड़ की अनुबन्धित राशि वसूल नहीं की गई थी। नगर निगम, कोटा ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2015)।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम कोटा द्वारा वर्ष 2013-14 में जय हिन्द पूर्व सैनिक बहुउद्देशिय समिति को नयापुरा बस अड्डा पार्किंग स्थल सौंपा था। अनुबन्ध राशि 10 प्रतिशत की वृद्वि के साथ अनुबन्ध की अवधि अप्रैल से जून 2014 तक के लिये बढ़ा दी गई थी। बढ़ाई गई अवधि की राशि 01.04.2014 से 30.06.2014 तक 2,80,145/- रू0 रसीद सं0 5208 दिनांक 07.11.2015 को वसूल कर ली गई थी।

नगर निगम जयपुर इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि पैरा में वार्णित तथ्य नगर निगम कोटा से संबंधित है। तथापि नगर निगम जयुपर द्वारा विभिन्न जोनों में पार्किंग स्थलों की नियमानुसार बोली के माध्यम से पार्किंग स्थलों की नीलामी की जा रही है। वर्ष 2016-17 में निर्धारित लक्ष्य राशि रूपये 220.00 लाख को विरूद्ध राशि रूपये 164.03 लाख की वसूली की गई है जो लक्ष्य के लगभग समान है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

आक्षेपानुसार बढाई गई अवधि के लिए राशि समय पर नहीं वसूलने के कारणों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर निगम कोटा:- नयापुरा वाहन स्टेण्ड ठेका अवधि **31.03.2014** को समाप्त होने पर वर्ष **2014-15** की आरक्षित ठेका राशि **8,56,000/-**पर ठेका न होने पर आदेशानुसार पूर्व फर्म को दिनांक **01.04.2014** से **30.06.2014** तक की अवधि बढाई गई। फर्म के 3 माहकी ठेका राशि जमा कराने हेतु बार-बार सूचना पत्र जारी करने के उपरांत संवेदक (फर्म) ने **18** प्रतिशत मय ब्याज **(01.04.2014** से **06.01.2015** तक **585** दिवस) राशि **61,737/-** आयकर **2** प्रतिशत **4280/-** सरचार्ज **3** प्रतिशत **128/-** तीन माह ठेके की मूल राशि **2,14,000/-** इस प्रकार कुल

---

[59]. मैसर्स जय हिन्द पूर्व सैनिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति

राशि **2,80,145/-** रसीद नं. **9001/5208** दिनांक **07.11.2015** से जमा हो चुकी है। फर्म की ओर उक्त संबंधी कोई राशि बकाया नही है।

समिति की सिफारिश : कोई टिप्पणी नहीं ।

4.1.6 अन्य टिप्पणियां

- एक फर्म[60] ने अवधि जून 2014-मार्च 2015 के दौरान पांच मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए ` 0.02 करोड़ (` 30,000 प्रति) नगर निगम, जयपुर के जोन कार्यालय, सांगानेर के पास डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कराए थे। डिमांड ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से तीन माह के लिए वैध थे।

जोन कार्यालय, सांगानेर के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2015) के दौरान प्रकट हुआ कि नगर निगम, जयपुर के बैंक खाते में डिमांड ड्राफ्ट जमा नहीं किए गए थे। इस प्रकार, मोबाइल टॉवर कम्पनी द्वारा जमा कराई गई पंजीकरण शुल्क की राशि वसूल नहीं हुई थी। जोन कार्यालय की फाइलों में अवधि पार डिमांड ड्राफ्ट अभी भी में रखे हुए थे।

- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 प्रावधित करता है कि नगर निगम द्वारा राजस्व वसूली को अविलम्ब बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए। यह पाया गया कि नगर निगम, अजमेर द्वारा एक फर्म[61] से राशि ` 0.65 करोड़ के प्राप्त चैक दो से 10 महीनों की देरी से बैंक खाते जमा किए गए थे। जिसके परिणामस्वरूप राशि ` 0.01 करोड़ के ब्याज (चार प्रतिशत की दर से) से नगर निगम वंचित रहा। नगर निगम, अजमेर ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2015)।

- नगर निगम, अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर ने लेखापरीक्षा द्वारा बारम्बार अनुरोध किए जाने के पश्चात भी अभिलेख[62] प्रस्तुत नहीं किए।

प्रकरण राजस्थान सरकार को प्रेषित (दिसम्बर 2015) किया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2016) रहा।

विभागीय अनुपालना

---

60. व्योम नेटवर्क्स लिमिटेड
61. मैसर्स पायोनियर पब्लिसिटी
62. नगर निगम : अजमेर (भवन निर्माण अनुमति), जयपुर (भवन निर्माण अनुमति, मोबाइल टॉवर, विवाह स्थलों, होटल्स, रेस्त्रां और विज्ञापन), कोटा (विवाह स्थलों, भवन निर्माण अनुमति) और उदयपुर (होटल्स रेस्त्रां)

नगर निगम जयपुर-इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि नगर निगम के सांगानेर जोन में 5 मोबाइल टॉवर लगवाने हेतु 5 डी.डी पंजीकरण शुल्क के पेटे जमा करवाये गये थे। उक्त डी.डी संबंधित कम्पनी के मोबाइल टॉवर स्थल की जांच व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण मोबाइल टॉवर संचालन की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण सांगानेर जोन में रखे गये थे। उक्त अनुमति जारी नहीं किये जाने के कारण उक्त टॉवर संचालन की अनुमति नहीं दी गई है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

1. नगर निगम जयपुर द्वारा फर्म को टॉवर संचालन की अनुमति नहीं दिये जाने के बाद भी डिमांड ड्राफ्ट्स को नहीं लौटाने के कारणों तथा अनुमति नहीं देने के साक्ष्यों से अवगत करावें।

2. आक्षेपानुसार नगर निगम अजमेर द्वारा राशि रू. 0.65 करोड़ के चैको को देरी से जमा कराने के कारणों से अवगत करावें।

3. आक्षेपानुसार नगर निगम अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर द्वारा वांछित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराने के कारणों से अवगत करावें।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर निगम जयपुर:- इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि नगर निगम के सांगानेर जोन में 5 मोबाइल टॉवर लगवाने हेतु 5 डी.डी. पंजीकरण शुल्क के पेटे जमा करवाये गये थे। उक्त डी.डी. सम्बन्धित कम्पनी के मोबाइल टॉवर स्थल की जांच व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण मोबाइल टॉवर संचालन की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण सांगानेर जोन में रखे गये थे। उक्त अनुमति जारी नहीं किये जाने के कारण उक्त टॉवर संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। वर्तमान में उक्त डिमांड ड्राफ्ट सम्बन्धित आवेदक को लौटा दिए गए हैं। अत: कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। चूंकि विज्ञापन/अनुज्ञा शुल्क/मोबाइल टॉवर/भवन निर्माण अनुमति/होटल रेस्त्रा फीस से सम्बन्धित कुछ पत्रावलियां जोन कार्यालयों में भी रहती है। संभवतया: किसी जोन विशेष द्वारा कुछ अभिलेख/वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई होगी। इस संदर्भ में जोन के उपायुक्तों को एवं अनुभाग अधिकारियों को वांछित अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने बाबत लिखित रूप में एवं बैठक के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए है। वर्तमान में महालेखाकार लेखापरीक्षा दल निगम लेखों की वर्ष 2017-18 का अंकेक्षण कर रहा है इस विषय में सम्बन्धित

जोन उपायुक्तों को एवं अनुभाग अधिकारियों को वांछित अभिलेख तत्काल रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। आक्षेप निरस्त फरमावें।

समिति की सिफारिश : कोई टिप्पणी नहीं ।

4.1.7 निष्कर्ष और सिफ़ारिशें

वर्ष 2010-15 के दौरान नगर निगम निरन्तर गैर-कर राजस्व की वसूली के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके और उनकी प्राप्ति एक बड़े अन्तर से पिछड़ रही थी, नगर निगम, उदयपुर ने इस अवधि के दौरान लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रहण किया।

गैर-कर राजस्व के संग्रहण की सम्पूर्ण प्रणाली जैसे राजस्व का निर्धारण, मांग और संग्रहण एक खराब स्थिति में थी जिसके परिणाम में राजस्व का बड़ा भाग बकाया/हानि हुई थी। गैर-कर राजस्व से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख का भी संधारण यथोचित रूप से नहीं किया जा रहा है।

नगर निगम, बीकानेर द्वारा पंजीकरण और वार्षिक उपयोग शुल्क की दरों में कमी कर दी गई, जो कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप नहीं थी। नगर निगम, अजमेर, बीकानेर और कोटा चिन्हित विवाह स्थलों से पंजीकरण और वार्षिक उपयोग शुल्कों की वसूली नहीं कर सके। नगर निगम जोधपुर, उदयपुर और जयपुर ने लेखापरीक्षा को विवाह स्थलों के सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए थे।

नगर निगम, जोधपुर और कोटा मे होटल, रेस्त्रां, बेकरी और मिठाई की दुकानों से अनुज्ञा-पत्र शुल्क की वसूली में कमी थी। नगर निगम, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा ने मोबाइल टॉवर कंपनियों से पंजीकरण और वार्षिक शुल्क की वसूली नहीं की जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई। जोन कार्यालयों और नगर निगम, जयपुर के मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के बीच असंतुलन था। नगर निगम, जोधपुर ने संवेदकों को आंवटित यूनीपोल विज्ञापन पट्टे स्थलों के उचित अभिलेख संधारित नहीं किए तथा नगर निगम, बीकानेर ने यूनिपोलों के लिए निविदा को अन्तिम रूप नहीं दिया जिससे वे राजस्व से वंचित रहे।

सभी नगर निगमों में बेहतरी प्रभार की कम वसूली/वसूली नहीं करने के प्रकरण थे। सभी नगर निगमों में किराएदारों से किराए पर दी गई सम्पत्तियों का किराया वसूल नहीं किया

गया था। नगर निगम, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर ने मोबाइल कम्पनियों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों से सड़क कटिंग प्रभार वसूल नहीं किए।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नगर निगमों की वित्तीय स्थिति में सुधार और राजस्व वसूली की असीम सम्भावनाओं वाला क्षेत्र पूर्णतया उपेक्षित था।

नगर निगमों को प्रावधानों का विधिवत् पालन करते हुए दोषियों से गैर-कर राजस्व वसूली के लिए एक प्रभावी और कुशल तंत्र विकसित करना चाहिए।

नगर निगम राजस्थान आवासन मंडल, विकास प्राधिकरण और नगरीय सुधार न्यास द्वारा विक्रय की गई भूमि और भवनों की तिमाही आधार पर विक्रय राशि के 15 प्रतिशत के हकदार थे। नगर निगम, बीकानेर और कोटा ने संबंधित नगर विकास न्यास से अपना हिस्सा प्राप्त नहीं किया था।

नगर निगमों को भूमि और भवनों की विक्रय पर अन्य प्राधिकरणों से अपने हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम जयपुर-इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि नगर निगम जयपुर द्वारा निरन्तर गैर कर राजस्व की वसूली हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे है। निगम स्तर पर गैर कर राजस्व यथा विवाह स्थलों का पंजीयन, होटल, रेस्त्रा, बेकरी और मिठाई की दुकानों के अनुज्ञा शुल्क, पार्किंग स्थलों की नीलामी, होर्डिंग्स की नीलामी व अन्य मदों में निर्धारित व नियमानुसार प्रकिया अपनाते हुए सतत् प्रयास किये जा रहे है। इस हेतु बकाया शुल्क की वसूली के लिए विशेष वसूली अभियान चलाया जा रहा है। दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए नोटिस भी जारी किये जा रहे है। गैर कर राजस्व वसूली हेतु एक प्रभावी और कुशलतंत्र को विकसित किया जा रहा है। निगम स्तर पर शुल्क जमा कराने की प्रकिया ऑन-लाईन कर दी गई है तथा बकाया राशि की वसूली हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे है। अत: कृपया आक्षेप निरस्त फरमावें।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृति ना हो इसके लिए विभागीय स्तर पर की गई ठोस/पुख्ता व्यवस्था के प्रयासों/ परिणामों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर निगम जयपुर:-इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि पैरा में वर्णित निर्देशों की भावना के अनुरूप इस आक्षेप में वर्णित निर्देशों की पालना हेतु सम्बन्धित जोन उपायुक्तों/अनुभाग अधिकारियों को लिखित रूप से एवं बैठक के माध्यम से निर्देशित कर दिया गया है। ऑडिट के दौरान वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। वर्तमान में महालेखाकार लेखापरीक्षा दल निगम लेखों की वर्ष 2017-18 का अंकेक्षण कर रहा है। अत: सम्बन्धित जोन उपायुक्तों को विज्ञापन/अनुज्ञा शुल्क/मोबाइल टॉवर/भवन निर्माण अनुमति/होटल रेस्त्रा फीस से सम्बन्धित कुछ पत्रावलियां जोन कार्यालयों में भी रहती है। इस विषय में सम्बन्धित जोन उपायुक्तों को एवं अनुभाग अधिकारियों को वांछित अभिलेख तत्काल रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। आक्षेप निरस्त फरमावें।

समिति की सिफारिश : कोई टिप्पणी नहीं ।

4.2 राजस्व की कम वसूली

नगर परिषद, सिरोही द्वारा कृषि भूमि के गैर-कृषि उद्देश्य हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करने पर सम्पूर्ण भूमि के लिए रूपान्तरण शुल्क की वसूली नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप रूपये 0.64 करोड़ राजस्व की कम वसूली

राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी, 2010 का नियम 8 अनुबन्धित करता है कि विकासकर्ता अथवा उसके नामिति को पट्टा जारी करने से पहले रूपान्तरण शुल्क जमा करवाया जाना चाहिए। रूपान्तरण शुल्क, कृषि भूमि के आवासीय एवं गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपान्तरण हेतु उदग्राहित किया जाता है। राजस्थान के प्रत्येक कस्बे के लिए विभिन्न जोन-वार शुल्क तय किए जाते हैं। रूपान्तरण शुल्क के बाद ले-आउट प्लान जारी किया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (सितम्बर 2012) के अनुसार, पट्टे के वास्तविक भूमि क्षेत्र पर रूपान्तरण शुल्क की दरें आवासीय उद्देश्य के लिए 5,000 वर्ग गज या उससे अधिक की भूमि के समूह आवास/फ्लैट के लिए रूपये 60 प्रति वर्ग गज तथा 200 वर्ग गज या उससे अधिक की वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भूमि के लिए रूपये 360 प्रति वर्ग गज थी।

नगर परिषद, सिरोही के वर्ष 2012-14 के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2014) में प्रकट हुआ कि नगर परिषद, सिरोही ने कृषि से गैर-कृषि उद्देश्य के लिए भू-परिवर्तन हेतु दिसम्बर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान नीचे **सारणी 4.2** में दिए नौ प्रकरणों में आदेश जारी किए :

सारणी 4.2

योजना का नाम		कुल क्षेत्र का (वर्ग गज में)			अनुमोदित योजना के कुल क्षेत्र पर वसूली योग्य रूपान्तरण शुल्क (रूपये लाख में)	वसूल किया गया रूपान्तरण शुल्क		रूपान्तरण शुल्क की कम वसूली (कॉलम 6 - कॉलम 8)
		अनुमोदित योजना	प्लाट	सार्वजनिक सुविधाएं		प्लाटों का क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	राशि (रूपये लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अभय नगर-अ	आवासीय	23,322.00	13,991.00	9,331.00	13.99	13,912.00	6.18	7.81

अभय नगर-ब	आवासीय	14,497.46	8,328.71	6,168.75	8.70	6,619.92	2.69	6.01
अभय नगर-स	आवासीय	22,584.11	11,229.25	11,354.86	13.55	9,239.05	3.91	9.64
अहिंसा नगर	आवासीय	8,109.23	4,475.56	3,633.67	4.87	4,919.91	1.88	2.99
	वाणिज्यिक	444.44	444.44		1.60	444.44	1.07	0.53
अहिंसा नगर-अ	आवासीय	6,936.66	4,150.00	2,786.66	4.16	4,174.95	1.67	2.49
अहिंसा नगर-ब	आवासीय	7,056.33	4,227.78	2,828.55	4.23	4,066.64	1.63	2.60
निष्ठा एनक्लेव	आवासीय	22,961.06	13,688.31	9,272.75	13.78	6,697.86	3.11	10.67
शिव वाटिका	आवासीय	11,242.39	6,745.44	4,496.95	6.75	4,455.89	1.78	4.97
बालाजी रेजीडेंसी-आई.ए.	आवासीय	39,827.77	19,338.60	20,489.17	23.90	18,214.61	7.42	16.48
योग		**1,56,981.45**	**86,619.09**	**70,362.36**	**95.53**	**72,745.27**	**31.34**	**64.19**

इस प्रकार, नगर परिषद, सिरोही ने सार्वजनिक सुविधाओं की 70,362.36 वर्ग गज क्षेत्र को छोड़ते हुए 72,745.27 वर्ग गज की भूमि के प्लाटों, जिनके लिए पट्टे जारी किए गए है, के लिए रूपये 0.32 करोड़ के रूपान्तरण शुल्क की वसूली की, जबकि 1,56,981.45 वर्ग गज की अनुमोदित योजना के कुल क्षेत्र के लिए रूपये 0.96 करोड़ का रूपान्तरण शुल्क वसूल किया किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप रूपये 0.64 करोड़ के रूपान्तरण शुल्क की कम वसूली हुई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2015) कि रूपान्तरण शुल्क स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (सितम्बर 2012) के अनुसार आवासीय प्रयोजनों के लिए 5,000 वर्ग गज या अधिक के भू-खण्डों के लिए लागू दरों से पट्टे की वास्तविक भूमि क्षेत्र पर वसूला गया है। अग्रेतर, अवगत कराया कि सार्वजनिक सुविधाओं की भूमि क्षेत्र पर रूपान्तरण शुल्क की वसूली के निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी परिपत्र में शामिल नहीं था। प्रत्युत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि रूपान्तरण शुल्क आवासीय प्रयोजनों

के लिए 5,000 वर्ग गज या अधिक की भूमि के समूह आवास/फ्लैट के लिए कुल भूमि क्षेत्र पर सितम्बर 2012 में जारी अधिसूचना में उल्लेखित दर से वसूलनीय था।

विभागीय अनुपालना

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/ 03/2012 दिनांक 21.09.2012 में धारा 90 के अन्तर्गत कृषि भूमि के रूपान्तरण की प्रीमियम दरे निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार कृषि से गैर-कृषि प्रयोजनार्थ प्रस्तावित प्रीमियम दर प्रति वर्गगज में (भूखण्ड के वास्तविक पट्टा क्षेत्रफल पर) गणना कर राशि वसूल की गई है।

ऑडिट आक्षेपानुसार नगर परिषद सिरोही द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं की भूमि को छोडतें हुए पट्टे की वास्तविक भूमि की राशि वसूल की गई है जबकि अनुमोदित योजना के कुल क्षेत्रफल का रूपान्तरण शुल्क वसूल किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप रू. 0.64 करोड़ के रूपान्तरण शुल्क की कम वसूली होना बताया गया है।

नगरपरिषद सिरोही द्वारा नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.09.2012 में दिये गये स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार ही रूपान्तरण शुल्क वसूल किया गया है सुविधा क्षेत्र का रूपान्तरण शुल्क वसूल करने का प्रावधान नही होने के कारण वसूल नहीं किया गया है। अधिसूचना दिनांक 21.09.2012 की प्रति संलग्न है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

आक्षेप का गठन नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 21.09.2012 के अनुसार ही गठित किया गया है और इस अधिसूचना की तालिका-3 में स्पष्ट उल्लेख है, कि भूखण्ड के वास्तविक पट्टा क्षेत्रफल पर रूपान्तरण शुल्क की वसूली की जानी चाहिए थी।

अतः आक्षेपानुसार नौ प्रकरणों में 1,56,981.45 वर्गगज के वास्तविक क्षेत्रफल पर राशि रू. 0.96 करोड़ का रूपान्तरण शुल्क वसूल किया जाना था, जबकि नगर परिषद द्वारा सार्वजनिक सुविधा के 70,362.36 वर्गगज क्षेत्र को छोडते हुए रूपान्तरण शुल्क प्रभारित किये। इस प्रकार शेष राशि रूपये 0.64 करोड़ के रूपान्तरण शुल्क की वसूली कर समिति को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

आक्षेपानुसार नगरपरिषद सिरोही द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं की भूमि को छोडते हुए पटटे की वास्तविक भूमि की रूपान्तरण राशि वसूल की गई है जबकि अनुमोदित योजना के कुल क्षेत्रफल का रूपान्तरण शुल्क वसूल किया जाना था इसके परिणामस्वरूप रू. 0.64 करोड़ के रूपान्तरण शुल्क की कम वसूली होना बताया गया है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक पं.3(50) नविवि/03/ 2012 दिनांक 21.09.2012 में अंकित स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या के अनुसार कृषि भूमि के रूपान्तरण की प्रीमियम दरे निर्धारित की गई है में कृषि से गैर-कृषि प्रयोजनार्थ प्रस्तावित प्रीमियम दर प्रति वर्गगज में (भूखण्ड के वास्तविक पटटा क्षेत्रफल पर गणना कर राशि वसूल करने का प्रावधान है। तदानुसार ही रूपान्तरण शुल्क की वसूली की गई है। (परिपत्र की छायाप्रति संलग्न है)

अंकेक्षण के दौरान जांच दल को अवगत कराया गया था कि सार्वजनिक सुविधाओं की भूमि क्षेत्र पर रूपान्तरण शुल्क की वसूली के निर्देश सरकार द्वारा जारी नही किये गये है एवं ऐसी वूसली का कोई परिपत्र जारी नही हुआ है परन्तु अंकेक्षण दल द्वारा नही माना जाकर वसूली निकाली यदि इस प्रकार की वसूली का कोई प्रावधान होता तो नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(77)नविवि/03/2010 पार्ट-IV दिनांक 13.02.2015 (छायाप्रति संलग्न है) जारी किया गया है इसमें सुविधा क्षेत्र के विकास हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान किया गया है।

नगरपरिषद सिरोही द्वारा राजकीय परिपत्र अनुसार ही रूपान्तरण शुल्क वसूल किया गया है सुविधा क्षेत्र का रूपान्तरण शुल्क वसूल करने का प्रावधान नहीं होने से वसूल नहीं किया गया

है। नगर परिषद सिरोही द्वारा उक्त स्थानों पर सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र की जमीन वर्तमान खाली पडी है पट्टा धारक द्वारा आवेदन करने के दौरान उक्त सुविधा क्षेत्र का पट्टा दिया जाते समय उक्त सुविधा क्षेत्र का शुल्क वसूल कर लिया जायेगा। अतः राजकीय परिपत्रों के परिपेक्ष में पैरा निरस्त कराना फरमावें।

समिति की सिफारिश

(26) समिति सिफारिश करती है कि सितम्बर 2012 में जारी अधिसूचना अनुसार कुल भूमि (1,56,981.45 वर्गगज) के क्षेत्रफल पर बकाया रूपान्तरण शुल्क राशि रूपये 0.64 करोड़ की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.3नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) को अनियमित रोक कर रखना

नगर निगम, जयपुर द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए समस्त नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) को अनियमित अवरोधन के परिणामस्वरूप रूपये 22.83 करोड़ के सरकारी राजस्व को राज्य की संचित निधि में जमा कराने का अभाव

राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7 (4) यह प्रावधित करता है कि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक नगरपालिका बोर्ड के पास जमा नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) राज्य की संचित निधि में जमा करा दिया जाएगा, बोर्ड द्वारा संगृहित राशि की 10 प्रतिशत राशि नगरीय निर्धारण या भूमि किराये के संग्रहण के सेवा प्रभार के रूप में रखी जा सकती है, बशर्ते की वसूली वर्ष में देय कुल राशि की कम से कम 50 प्रतिशत हो।

सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के भाग-I के नियम 5 व 6 यह प्रावधित करते हैं कि सरकार की बकाया या जमा, प्रेषण या अन्य प्रकार से सरकार द्वारा अथवा उसकी और से प्राप्त की गई समस्त धन राशियां अविलम्ब राज्य की संचित निधि में/या राज्य के लोक लेखा में जमा की जाएगी।

नगर निगम, जयपुर के वर्ष 2012-13 के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि नगर निगम, जयपुर ने वर्ष 2010-14 के दौरान रूपये 25.37 करोड़[63] का भूमि किराया संग्रहित किया। इसमें से, रूपये 2.54 करोड़ (रूपये 25.37 करोड़ का 10 प्रतिशत) सेवा प्रभार के रूप में रखते हुए शेष रूपये 22.83 करोड़[64] की राशि राज्य की संचित निधि में जमा की

---

63. 2010-11: रूपये 4.54 करोड़, 2011-12: रूपये 4.19 करोड़, 2012-13: रूपये 8.20 करोड़ और 2013-14: रूपये 8.44 करोड़

64. 2010-11: रूपये 4.09 करोड़ (रूपये 4.54 करोड़ – रूपये 0.45 करोड़), 2011-12: रूपये 3.77 करोड़ (रूपये 4.19 करोड़ – रूपये 0.42 करोड़), 2012-13: रूपये 7.38 करोड़ (रूपये 8.20 करोड़ – रूपये 0.82 करोड़) और 2013-14: रूपये 7.59 करोड़ (रूपये 8.44 करोड़ – रूपये 0.85 करोड़)

जानी थी। तथापि, नगर निगम, जयपुर ने राज्य की संचित निधि में राशि के जमा किए बिना समस्त भूमि किराये को अपने खातों में रखा।

ध्यान में लाए (अप्रैल 2015) जाने पर आयुक्त (राजस्व), नगर निगम, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत करवाया (अप्रैल 2015) कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण, भूमि किराया राज्य की संचित नहीं में जमा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, नगर निगम, जयपुर द्वारा पूर्वोक्त नियम 7 (4) और सामान्य वित्त एवं लेखा के नियम 5 व 6 का उल्लंघन करते हुए भूमि किराये को अनियमित रखने के परिणामस्वरूप रूपये 22.83 करोड़ के राजस्व को राज्य की संचित निधि में जमा कराने का अभाव रहा।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित (जुलाई 2015) किया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2016) रहा।

विभागीय अनुपालना

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 की धारा 7(4) के तहत नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) का 10 प्रतिशत राशि सेवा प्रभार के रूप में रखते हुए शेष राशि राज्य सरकार की समेकित निधि में जमा कराना अनिवार्य है किन्तु निगम की आर्थिक स्थिति अन्यन्त कमजोर होने के कारण वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि की राशि जमा नहीं करवाई जा सकी। निगम स्तर पर इस विषय में राजस्व बढ़ाने हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे। राजस्व राशि जमा होते ही राज्य सरकार की समेकित निधि में उक्त राशि जमा करवा दी जायेगी।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

नगर निगम, जयपुर द्वारा वर्ष 2010-14 के दौरान रूपये 25.37 करोड़ का भूमि किराया संग्रहित किया। इसमें से रूपये 2.54 करोड़ (रूपये 25.37 करोड़ का 10 प्रतिशत) नियमानुसार सेवा प्रभार के रूप में निगम द्वारा रखते हुए शेष राशि रूपये 22.83 करोड़ राज्य की संचित निधि में जमा करवाकर अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा वर्ष 2010-14 के दौरान संग्रहित भूमि किराया राशि रूपये 25.37 करोड़ में से रूपये 2.54 करोड़ (रूपये 25.37 करोड़ का 10 प्रतिशत) नियमानुसार सेवा प्रभार के रूप में रखते हुए शेष राशि रूपये 22.83 करोड़ राजकोष में जमा करायी जानी थी, किन्तु नगर निगम की आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर होने के कारण जमा नहीं करायी जा सकी। निगम को वर्तमान में अपने चालू दायित्वों का भुगतान करने में अत्यन्त कठिनाई हो रही है। निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होते ही उक्त राशि राज्य की संचित निधि में जमा करवा दी जायेगी।

समिति की सिफारिश

(27) समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा वर्ष 2010-14 के दौरान संग्रहित भूमि किराया राशि रूपये 25.37 करोड़ में से रूपये 2.54 करोड़ (रूपये 25.37 करोड़ का 10 प्रतिशत) नियमानुसार सेवा प्रभार के रूप में रखते हुए शेष राशि रूपये 22.83 करोड़ राजकोष में जमा करवाने की नवीनतम प्रगति से समीति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.4राजस्व की कम वसूली

नगर परिषद, बूंदी ने कृषि से वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के लिए वाणिज्यिक दर के बजाय आवासीय दर से रूपान्तरण शुल्क वसूल करने के परिणामस्वरूप रूपये 0.66 करोड़ राजस्व की कम वसूली

शहरी विकास एवं आवास विभाग, राज्य सरकार ने राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आंवटन) नियम, 2012 अधिसूचित (मई 2012) किए। अधिसूचना के अनुच्छेद 2(iii) के अनुसार, किसी भी भूमि अथवा परिसरों का व्यवसाय या वाणिज्यिक गतिविधि गोदाम सहित, के लिए उपयोग 'वाणिज्यिक उद्देश्यों' के श्रेणी में आता है। अग्रेतर, राज्य सरकार ने कृषि से गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भू-रूपान्तरण के लिए प्रीमियम दरें अधिसूचित (सितम्बर 2012) की। 200 वर्ग गज से अधिक के लिए कृषि भूमि से आवासीय तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भू-रूपान्तरण की प्रीमियम दरें क्रमश: रूपये 90 प्रति वर्ग गज तथा रूपये 360 प्रति वर्ग गज निर्धारित की गई।

नगर परिषद, बूंदी के 2013-14 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2014) में प्रकट हुआ कि दो भू-स्वामियों ने 24,698.55 वर्ग गज की भूमि का कृषि से गैर-कृषि उद्देश्यों (व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए गोदाम) के लिए रूपान्तरण हेतु आवेदन किया (अक्टूबर 2012) तथा नगर परिषद, बूंदी ने रूपये 90 प्रति वर्ग गज (भण्डारण परियोजना के लिए) की दर से रूपये 0.23 करोड़[65] रूपान्तरण शुल्क प्रभारित (नवम्बर 2012 और अप्रैल 2013) किया एवं अक्टूबर 2013 में भू-रूपान्तरण आदेश जारी किए। लागू नियमों के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्यों (निजी व्यावसायिक गोदाम) के लिए भू-रूपान्तरण के लिए रूपान्तरण शुल्क रूपये 360 प्रति वर्ग गज होगा। इस प्रकार, नगर परिषद, बूंदी के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण रूपान्तरण शुल्क रूपये 360 के स्थान पर रूपये 90 से वसूली राज्य सरकार की अधिसूचना (मई एवं सितम्बर 2012) का उल्लंघन था, परिणामस्वरूप राजस्व रूपये 0.66

---

65. श्री बृजराज न्याति : रूपये 0.15 करोड़ और श्री राजेश कुमार न्याति : रूपये 0.08 करोड़ = योग रूपये 0.23 करोड़

करोड़ (वसूली योग्य : रूपये 0.89 करोड़[66] - वसूल किए गए : रूपये 0.23 करोड़) की कम वसूली की गई।

ध्यान में लाए जाने पर (अप्रैल 2015), आयुक्त, नगर परिषद, बूंदी ने अवगत (अप्रैल 2015) कराया कि रूपान्तरण शुल्क की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना (सितम्बर 2012) के अनुसार की गई थी, पांच एकड़ भूमि पर भण्डारण परियोजना के लिए प्रीमियम दर आवासीय उद्देश्य की न्यूनतम प्रीमियम दर (रूपये 90 प्रति वर्ग गज) तथा पांच एकड़ के अतिरिक्त भूमि पर भण्डारण परियोजना के उद्देश्य के लिए रूपान्तरण शुल्क 25 प्रतिशत अतिरिक्त निर्धारित था। प्रत्युत्तर युक्तियुक्त नहीं हैं क्योंकि भण्डारगृह जन सुविधा गतिविधि है, जबकि निजी उपयोग/निजी व्यवसाय के लिए निर्मित गोदाम, भण्डारगृह के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं होते हैं।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित (जुलाई 2015) किया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2016) रहा।

विभागीय अनुपालना

नगर परिषद, बून्दी के कृषि भूमि से अकृषि भू-उपयोग परिवर्तन में कम दर पर नियमन करने के कारण रूपये 66.04 लाख की राजस्व हानि बताई गई है। इस क्रम में निवेदन है कि श्री बृजराज न्याति व राजेश कुमार न्याति की कृषि भूमि का मास्टर प्लान के कारण वेयर हाउस प्रोजेक्ट में नियमन किया गया है। मास्टर प्लान ने भू-उपयोग भण्डारण एवं गोदाम होने के कारण दोनों पत्रावलियों में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की गई है। इसके साथ ही नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(50) नविवि/3/2012 दिनांक 21.09.2012 की तालिका संख्या 3 के क्रम संख्या 9 में वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट का प्रिमियम दर 5 एकड तक न्यूनतम आवासीय दर से राशि की गणना की गई है जो सही है। जबकि जांच दल द्वारा उक्त दोनों पत्रावलियों में व्यावसायिक मानते हुए 360 रू. प्रति वर्गगज के हिसाब से गणना कर उक्त राशि का ऑडिट पैरा प्रस्तावित किया गया है। जो राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार सही नहीं है। क्योंकि दोनों पत्रावलियों में आवेदक द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही कर वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। इस क्रम में दिनांक 09.09.2015 को श्री रोहित कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के साथ मौके पर जाकर सत्यापन किया गया। जिसकी मौका रिपोर्ट साथ में संलग्न है। मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में सभी गोदामों में गेहूं की बोरियां भरी हुई है। जिसका सत्यापन श्री रोहित कुमार सहालेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा किया हुआ है। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर वसूल की गई राशि सही है। तद्नुसार इसमें नगर परिषद को कोई हानि नहीं हुई है।

---

66. श्री बृजराज न्याति (16,324.44 वर्ग गज X रूपये 360 प्रति वर्ग गज) : रूपये 0.59 करोड और श्री राजेश कुमार न्याति (8,374.11 वर्ग गज X रूपये 360 प्रति वर्ग गज): रूपये 0.30 करोड़ (योग रूपये 0.89 करोड़)

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

अनुच्छेद में सम्मिलित नगर परिषद, बूंदी के दो भू-स्वामियों की 24,698.55 वर्गगज की भूमि को कृषि से गैर-कृषि उद्देश्यों (गोदामों) के लिए आवासीय दर से रूपान्तरण शुल्क की वसूली कर भू-रूपान्तरण आदेश जारी किए गए, जबकि शहरी विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार ने राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के अनुच्छेद 2 (III) के अनुसार किसी भी भूमि अथवा परिसरों का गोदाम हेतु उपयोग को वाणिज्यिक गतिविधि मानते हुए वाणिज्यिक श्रेणी में अधिसूचित (31.05.2012) किया गया है। अतः गोदामों को वाणिज्यिक श्रेणी मानते हुए भू-स्वामियों से वाणिज्यिक दर से भू-रूपान्तरण शुल्क की आक्षेपित राशि के वसूली कर समिति को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर परिषद बून्दी के कृषि भूमि से अकृषि भू-उपयोग परिवर्तन कम दर पर नियमन करने के कारण रूपये 66.04 लाख की राजस्व हानि बताई गई है। इस क्रम में निवेदन है कि श्री बृजराज न्याति व राजेश कुमार न्याति की कृषि भूमि का मास्टर प्लान अनुसार राजमार्ग का मार्गाधिकार छोडकर भण्डारण एवं गोदाम में भू-उपयोग दर्शित होने के कारण वेयर हाउस प्रोजेक्ट में नियमन किया गया है। मास्टर प्लान में भू-उपयोग भण्डारण एवं गोदाम होने के कारण दोनों पत्रावलियों में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही नहीं कि गई है। इसके साथ ही नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(50) नविवि/03/2012 दिनांक 21.09.2012 की तालिका संख्या 3 के क्रम संख्या 9 में वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट का प्रिमियम दर 5 एकड तक न्यूनतम आवासीय दर से राशि की गणना की गई है। जो सही है।

जबकि जांच दल द्वारा उक्त दोनों पत्रावलियों में व्यावसायिक मानते हुए 360 रूपये प्रति वर्गगज के हिसाब से गणना कर उक्त राशि का आक्षेप लिया गया है। जो राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार सही नहीं है। क्योकि दोनों पत्रावालियों में आवेदक द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही कर वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। इस क्रम में दिनांक 09.09.2015 को उपरोक्त स्थल का मोका देखा गया। उपरोक्त निरीक्षण के दौरान सभी गोदामों में गेहू की बोरियों का भण्डारण होना पाया गया। तद्नुसार उपरोक्त गोदाम स्वयं के माल को भरने के कार्य हेतु बनवाये गये है। जिसमें स्वयं मालिक की ही गेहूं की बोरियां भरी हुई है। किराये पर देने हेतु गोदामों का निर्माण नहीं करवाया गया है। अतः उपरोक्त गोदाम वाणिज्यिक गतिविधयों में नहीं आते है।

समिति की सिफारिश

(28) समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित गोदामों को वाणिज्यिक श्रेणी मानते हुए भू-स्वामियों से वाणिज्यिक दर से भू-रूपान्तरण शुल्क की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.5 निधियों का अनुपयोगी पड़े रहना

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे के समतुल्य अन्य वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता का संवितरण नहीं होने के परिणामस्वरूप राशि रूपये 2.23 करोड़ का शहरी स्थानीय निकायों के पास अनुपयोगी पड़े रहना

राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे परिवारों तथा गरीबी रेखा से नीचे के समतुल्य अन्य वर्ग के परिवारों के प्रत्येक परिवार को दो साड़ी व एक कम्बल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 1,500 एक-मुश्त भुगतान करने के लिए आदेश जारी किए (जून 2013)। मुख्य
कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद तथा अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) को क्रमश: ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। वित्तीय सहायता 27 जून 2013 से 12 जुलाई 2013 की अवधि के दौरान शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संवितरित किया जाना था।

नगर निगम, बीकानेर (सितम्बर 2014), उदयपुर (जनवरी 2015) और नगर परिषद, हिण्डौनसिटी (जुलाई 2014) के अभिलेखों की नमूना जांच तथा संकलित सूचना (अप्रैल 2015) में प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने इस शहरी स्थानीय निकायों के निजी निक्षेप खातों/बचत खातों में वित्तीय सहायता के संवितरण के लिए रूपये 5.74 करोड़ निर्मुक्त (जून 2013) किए। निर्मुक्त, संवितरित और अव्ययित निधियों की स्थिति नीचे **सारणी** 4.3 में दी गई है :

सारणी 4.3

(रूपये करोड़ में)

स्थानीय निकाय का नाम	राजस्थान सरकार द्वारा निर्मुक्त निधियां	चिन्हित परिवारों की कुल संख्या	संवितरित निधियां		अव्ययित निधियां	
			परिवारों की संख्या	राशि	परविारों की संख्या	राशि
बीकानेर	3.41	22,760	14,161	2.12	8,599	1.29
हिण्डौनसिटी	0.82	5,457	3,636	0.55	1,821	0.27
उदयपुर	1.51	10,290	5,601	0.84	4,689	0.67
योग	5.74	38,507	23,398	3.51	15,109	2.23

उपरोक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि नगरीय निकायों ने गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से नीचे के समतुल्य अन्य वर्ग के 23,398 परिवारों को रूपये 3.51 करोड़ की वित्तीय सहायता संवितरित की। अव्ययित राशि रूपये 2.23 करोड़ संबंधित स्थानीय निकायों के बचत बैंक खातों/निजी निक्षेप खातों में अनुपयोगी रही।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत (अगस्त 2015) कराया कि नगर निगम, उदयपुर में विशेष शिविर आयोजित करते हुए योग्य लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के संवितरण के लिए प्रयास किए गए थे परन्तु लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे। तथापि, आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर और नगर परिषद, हिन्डौनसिटी ने भी शिविर आयोजित किए, लेकिन अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे परिवारों ने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन नहीं किया। इस प्रकार, अव्ययित निधियां नगरीय निकायों के पास अनुपयोगी रही।

संबंधित नगर निगमों को अव्ययित निधियां राज्य सरकार को लौटाई जानी चाहिए थी, ताकि निधियों को अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग किया जा सके।

इस प्रकार, लक्षित लाभार्थियों की पहचान करने में नगर निगमों की विफलता के परिणामस्वरूप गरीबी रेखा से नीचे परिवारों तथा गरीबी रेखा से नीचे के समतुल्य अन्य वर्गों के परिवारों को रूपये 2.23 करोड़ की वित्तीय सहायता का संवितरण नहीं हुआ।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम बीकानेर- निगम के खाते में राशि शेष रहने का मुख्य कारण बीपीएल परिवारों द्वारा प्राप्त चैक बैकों में जमा नहीं कराया जाना एवं संबंधित का बैंक में खाते नहीं होना रहा है। कई परिवारों ने नाम बीपीएल सूची में हटवा दिये एवं कुछ परिवारों के नाम बीपीएल एवं अंत्योदय दोनो सूचियों में शामिल थे इन परिवारों को एक चैक ही देय था। चूंकि बीपीएल परिवारो को आर्थिक सहायता की योजना राज्य सरकार की 60 दिवसीय कार्य योजना थी। इसमें अधिक से अधिक प्रयास कर राशि आवंटित की गई लेकिन उक्त कारणों से चैक वितरण नही किये जा सके और राशि शेष रह गई जो निगम खातें में जमा रही।

अवरुद्ध राशि को राजकीय मदों में जमा नहीं कराये जाने का कारण वित्त विभाग /समाज कल्याण विभाग से उपर्युक्त मद निर्धारित नहीं होना रहा है। नगर निगम स्तर पर प्रयास कर दिनांक 19.02.2016 को वित्त विभाग के द्वारा अवरुद्ध राशि को जमा कराये जाने के संबंध में उपर्युक्त मद निर्धारित कराये जाने पर जरिये चालान नम्बर 319 दिनांक 23.02.2016 को राशि 1.29 करोड़ जमा करायी जा चुकी है।

नगर निगम उदयपुर -वित्तीय वर्ष 2013-14 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे के समतुल्य परिवारो को साड़ी कम्बल वितरण हेतु निगम को कुल राशि रूपये

15055500/- प्राप्त हुई थी। जिसमें से रूपये 81,69,000/-उपयोग करने के बाद शेष राशि रूपये 71,58,720 (मय ब्याज) चालान नम्बर 0010814522 दिनांक 03.05.2016 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भिजवा दी गयी है।

नगर परिषद हिण्डौनसिटी-वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान नगर परिषद हिण्डौन सिटी के पीडी खाते में बीपीएल एवं बीपीएल समतुल्य परिवारो को साडी कम्बल वितरण हेतु सहायता राशि प्राप्त हुई थी जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र सं	प्राप्त राशि	लाभान्वित कुल परिवार	प्रति परिवार वितरित राशि	कुल वितरित राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	81,85,500	4,362	1500/-प्रति परिवार	65,43,000	16,42,500

उक्तानुसार कॉलम संख्या 5 में अंकित राशि रूपये 65,43,000/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भिजवा दिये गये है। कॉलम संख्या 6 में अंकित राशि रूपये 16,42,500/- शेष बच गई थी। जिसको शीघ्र ही राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति भिजवा दी जावेगी।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

- नगर निगम बीकानेर:- नगर निगम बीकानेर को 22,760 बीपीएल परिवारों को दो साड़ी व एक कम्बल खरीदने हेतु वित्तीय सहायता के रूप में राशि रूपये 3.41 करोड़ राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए थे, जिनमें से मात्र 14,161 बीपीएल परिवारों (62 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता संवितरित किए जाने थे।

- वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले बीपीएल परिवारों में से कितने परिवारों के द्वारा अपने चैक को बैक में जमा नहीं कराया गया के विवरण को अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- बीपीएल सूची से हटाए गये परिवारों की संख्या/विवरण को अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- ऐसे बीपीएल परिवारों की संख्या /विवरण जो बीपीएल एवं अन्तोदय दो या अधिक सूचियों में सम्मिलित थे, के विवरण को अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- अवितरित राशि पर प्राप्त ब्याज को किस उपयोग में लिया गया, अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- **नगर निगम उदयपुर**:- नगर निगम उदयपुर को 10,290 बीपीएल परिवारों को दो साड़ी व एक कम्बल खरीदने हेतु वित्तीय सहायता के रूप में राशि रूपये 1.51 करोड़ राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए थे, जिनमें से मात्र 5,601 बीपीएल परिवारों (54 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता संवितरित की गई।

- अवितरित राशि पर प्राप्त ब्याज को किस उपयोग में लिया गया, अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

- **नगर परिषद हिण्डौनसिटी**:- नगर परिषद, हिण्डौन को 5,457 बीपीएल परिवारों को दो साड़ी व एक कम्बल खरीदने हेतु वित्तीय सहायता के रूप में राशि रूपये 1.51 करोड़ राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए थे, जिनमें से मात्र 4,362 बीपीएल परिवारों (80 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता संवतिरित किए गए।

- अवितरित राशि रूपये 16,42,500/- को राजकोष में अभी तक जमा नहीं करवाये जाने तथा प्राप्त ब्याज के उपयोग नहीं किये जाने के क्या कारण रहे, अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

नगर निगम बीकानेर- कुछ प्रकरणों में बी.पी.एल चयनित परिवारों के चैक चयनित सूची में नाम तथा बैक पासबुक्स में नाम में भिन्नता होने के कारण उनका भुगतान नहीं हो सका।

बी.पी.एल सर्वे वर्ष 2003 में किया गया था। उक्त अवधि के मध्य बी.पी.एल परिवार मुखिया की मृत्यु हो जाने पर मुखिया को नाम परिवर्तन की सूचना के अभाव में तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण निश्चित समयावधि के कारण बैकों द्वारा भुगतान नहीं किया जा सका। कुछ परिवार जिले से बाहर चले गये तथा अपनी स्वेच्छा से बी.पी.एल सूची से नाम हटवा लिए थे। बी.पी.एल तथा अन्त्योदय दोनों सूचियों में एक ही परिवार के नाम होने के कारण एक चैक ही प्रदान किया गया अधिसंख्यक अन्त्योदय योजना के लाभार्थी बी.पी.एल चयनित सूची में भी चयनित हो चुके थे। अधिकाधिक प्रयास कर राशि आवंटित की गई लेकिन उक्त कारणों से चैक वितरण नहीं किये जा सके और राशि शेष रह गई। शेष राशि निगम के चालू खाते में जमा रही जिस पर कोई भी ब्याज अर्जित नहीं हुआ है। नगर निगम स्तर पर प्रयास करने के पश्चात् दिनांक 19.02.2016 को वित्त विभाग द्वारा अवरूद्व राशि को जमा कराये जाने के संबंध में मद निर्धारित कराये जाने पर जरिये चालान नम्बर 319 दिनांक 23.02.2016 को राशि 1.29 करोड़ जमा करायी जा चुकी है।

नगर निगम उदयपुर: राज्य सरकार द्वारा साडी कम्बल योजनान्तर्गत आवंटित कुल राशि रूपये 1,50,55,000 में से रूपये 81,69,000 वितरित किये गये, जिस हेतु कैम्प भी लगाये

गये। अवशेष राशि रूपये 68,86,500 व ब्याज की राशि रूपये 2,71,700 कुल 71,58,200 निगम द्वारा चालान संख्या GRN 0010814522 दिनांक 03.05.2016 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को भिजवा दी गई है। चूकि निगम द्वारा अवशेष राशि पर अर्जित ब्याज भी पुनः लौटा दिया गया है अतः निवेदन है कि निगम द्वारा अवितरित राशि के ब्याज का कोई उपयोग नहीं किया गया है।

नगर परिषद हिण्डौनसिटी-वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान नगर परिषद हिण्डौन सिटी के पीडी खाते में बीपीएल एवं बीपीएल समतुल्य परिवारो को साडी कम्बल वितरण हेतु सहायता राशि प्राप्त हुई थी जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(राशि रूपये लाखो में)

क्र स.	प्राप्त राशि	लाभान्वित कुल परिवार	प्रति परिवार वितरित राशि	कुल वितरित राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	81.85	4362	1500/-प्रति परिवार	65.43	16.42

उक्तानुसार कॉलम संख्या 5 में अंकित राशि रूपये 65.43 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भिजवा दिये गये है। कॉलम संख्या 6 में अंकित राशि रूपये 16.42 लाख शेष रही थी। शेष राशि को संबंधित विभाग को लौटाने हेतु आयुक्त नगर परिषद हिण्डौन सिटी को निर्देशित किया गया है। अनुपालना प्राप्त होते ही भिजवा दी जायेगी।

समिति का अभिमत : समिति अपेक्षा करती हे कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे के समतुल्य अन्य वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता कि अवितरित राशि राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4.6निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने से पूर्व कार्यों का अप्राधिकृत निष्पादन

नगर निगम, जयपुर द्वारा निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने से पूर्व ही अप्राधिकृत एवं लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के विपरीत रूपये 0.75 करोड़ के कार्य निष्पादित किया जाना

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 348(अ) प्रावधित करता है कि कोई कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं होगा जब तक कि उचित विस्तृत रूपरेखा एवं प्राक्कलन स्वीकृत, निधियों का आवंटन एवं कार्य प्रारम्भ करने के आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए हो।

राज्य सरकार (स्वायत्त शासन विभाग) ने सभी स्थानीय निकायों के स्तर पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2013 के दौरान बाढ़ एवं भारी वर्षा से होने वाली संभावित क्षति से जन-धन की सुरक्षा एवं आपात स्थिति से निपटने के लिए 25 जून 2013 से पहले बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने तथा नियंत्रण कक्ष में रेत के बैग/खाली बैग तथा अन्य सहायक सामग्री के आवश्यक प्रबन्ध करने के दिशा-निर्देश जारी किए (मई 2013)। तदनुसार, नगर निगम, जयपुर ने बनीपार्क बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर तीन माह की समापन अवधि के साथ रूपये 47.68 लाख की अनुमानित लागत पर श्रमिक एवं बैग आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध के लिए निविदाएं आमंत्रित की (जून 2013)। निविदाएं प्राप्त होने (15 जुलाई 2013) तथा न्यूनतम निविदादाता फर्म 'अ'[67] के साथ समझौता वार्ता (16 अगस्त 2013) करने के पश्चात् नगर निगम, जयपुर ने रूपये 0.54 करोड़ की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (23 सितम्बर 2013) प्रदान की तथा फर्म 'अ' के पक्ष में कार्य प्रारम्भ तथा पूर्ण करने की नियत तिथि क्रमशः 20 जुलाई 2013 एवं 19 जुलाई 2014 के साथ कार्यादेश जारी किया (27 सितम्बर 2013)। फर्म 'अ' ने सितम्बर 2013 तक रूपये 0.75 करोड़ की लागत का कार्य पूर्ण किया।

नगर निगम, जयपुर के वर्ष 2013-14 के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2015) में प्रकट हुआ कि नगर निगम, जयपुर ने निविदा प्रक्रिया के पूर्ण हाने से पूर्व फर्म 'अ' को 20 जुलाई 2013 से 30 सितम्बर 2013 के दौरान श्रमिक, बैग तथा अन्य सहायक सामग्री (पीवीसी पाईप, वायर फैंसिंग, डक बैग इत्यादि) उपलब्ध कराने के लिए ` 0.75 करोड़ का भुगतान (1 नवम्बर 2013) किया। नगर निगम, जयपुर द्वारा निविदा के पूर्ण होने से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने तथा कार्यादेश जारी करने का कृत्य पूर्वोक्त नियम 348(अ) के विरूद्ध था। समझौता वार्ता एवं निविदाओं को पूर्ण करना केवल-मात्र औपचारिकता थी। इसके अतिरिक्त, तुलनात्मक विवरण के अनुसार बाढ़ नियंत्रण के लिए 4,500 श्रमिक का प्रावधान था, जबकि 12,045 श्रमिक नियोजित किए गए। प्रमाणित अभिलेख यथा श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका, श्रमिकों द्वारा किया गया कार्य एवं रेत बैगो का उपयोग लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए।

इस प्रकार, नगर निगम, जयपुर द्वारा निविदा के पूर्ण होने से पूर्व रूपये 0.75 करोड़ का निष्पादित कार्य अप्राधिकृत तथा पूर्वोक्त नियम 348(अ) के प्रावधानों का उल्लंघन में था।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित किया गया (सितम्बर 2015); प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2016) था।

---

[67] मैसर्स छोटे लाल वीरेन्द्र कुमार जैन, जयपुर

विभागीय अनुपालना

नगर निगम जयपुर- राज्य सरकार के आदेशानुसार (मई 2013) प्रत्येक नगर निकाय को मानसून से पूर्व दिनांक 25.06.2013 तक बाढ़ राहत केन्द्र स्थापित किये जाने थे। नगर निगम, जयपुर द्वारा माह जून 2013 में बाढ़ राहत केन्द्र में आवश्यक व्यवस्था किये जाने हेतु श्रमिकों, थेले व अन्य संसाधनों की स्थापना हेतु तीन माह के लिए अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई जो दिनांक 15.07.2013 को खोली गई। इस तकनीकी निविदा के मूल्यांकन में कतिपय तकनीकी कारणों से न्यूनतम दर दाता मैसर्स छोटेलाल वीरेन्द्र कुमार से नेगोशिएशन दिनांक 16.08.2013 को किया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 23.09.2013 को कार्यादेश व कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

चूकि बाढ राहत व आपदा प्रबन्धन कार्य अति-आवश्यक था। इस हेतु निविदा अंतिमिकरण संबंधी प्रक्रिया के पूर्ण होने का इन्तजार किया जाना आपातकालीन परिस्थितियों में संभव नहीं था।

अतः आर.टी.टी.पी एक्ट 2012 की धारा 6(4) (ख) के अन्तर्गत निगम स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि बाढ़ राहत हेतु श्रमिकों व मिट्टी भरने के लिए कट्टों की व्यवस्था करवाई जावें तथा निविदा का निस्तारण उपरान्त उक्त कार्य पर हुए वास्तविक व्यय की राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को सक्षम स्वीकृति लेते हुए करवाया जावें। बाढ़ राहत कार्य एक पूर्व में की जाने वाली व्यवस्था है, जिसके लिए व्यवस्था करना एक श्रम साध्य कार्य है।

अतः जनहित में उक्त निर्णय लिया गया तथा नियमों की एवं प्रक्रिया की अनुपालना अनुसार सक्षम स्वीकृति के द्वारा कार्य निस्तारित किया गया एवं संवेदक को सक्षम स्वीकृति उपरान्त यह भुगतान किया गया।

पैरा में वर्णित लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियम 348 के तहत उल्लेखित प्रावधान निर्माण कार्यो से संबंधित है, जबकि इसी नियम 348 (ख) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी मामले में, चाहे अत्यावश्यकता के आधार पर, किसी अधिकारी के लिए किसी ऐसे कार्य को निष्पादित करना अपेक्षित हो जिसके लिए कोई अनुमान स्वीकृति नहीं किये गये हैं या कोई विनियोजन विद्यमान नहीं है (चाहे अनुमान स्वीकृति किये गये हो या नहीं,) प्रत्यायोजन के अनुसार कार्य प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के आदेश लिखित में दिये जाने चाहिए। बाढ़ राहत कार्य एक पूर्ववर्ती कार्य है, जो कि बाढ़ आने से पूर्व व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। उक्त कार्य श्रमिक नियोजन से संबंधित कार्य जो अत्यावश्यक परिस्थितियों में भी किया जाना अति आवश्यक है। उक्त कार्य में निविदा की प्रक्रिया, स्वीकृति की प्रक्रिया एवं भुगतान की प्रक्रिया में नियमानुसार, अपनाई गई है एवं कार्य के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सक्षम कार्योत्तर स्वीकृति के द्वारा भुगतान किया गया है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में कार्य की अत्यावश्यक परिस्थितियां व लगभग पांच वर्ष पूर्व हुए कार्य के संबंध में कृपया व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आक्षेप निरस्त फरमावें।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

- निविदा पूर्ण होने से पूर्व कराए गए कार्यो के लिए क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति ली गई थी, अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।
- प्रत्येक नगर निकाय को 25 जून से पूर्व बाढ़ राहत केन्द्र स्थापित किए जाने, इसके लिए जून माह से पूर्व ही निविदा आमंत्रित एवं निविदा स्वीकृति मय तकनीकी मूल्यांकन नहीं किये जाने के कारणों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।
- निविदा के अन्तिमिकरण से पूर्व ही निविदादाता द्वारा 20 जुलाई 2013 से श्रमिकों को उपलब्ध कराने के क्या कारण रहे, अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।
- 4500 श्रमिकों के प्रावधान के विरूद्ध 12045 श्रमिक नियोजित करने के क्या कारण रहे अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।
- आर.टी.टी.पी. एक्ट 2012 की धारा 6(4)(ख) एवं लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 348 (ख) का उपयोग केवल आकस्मिक आपदाओं की स्थिति में वांछनीय था न कि पूर्व निर्धारित कार्यप्रणाली/कार्य की अवस्था में, अतएव विभागीय स्तर पर बरती गई शिथिलता के कारणों से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।
- श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका, श्रमिकों द्वारा किए गए कार्यों एवं अन्य सहायक सामग्री (पीवीसी पाईप, वायर फैसिंग, रेत बैगों इत्यादि) हेतु संधारित अभिलेखों के साक्ष्यों से समिति को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार (मई 2013) प्रत्येक नगर पालिका को मानसून से पूर्व दिनांक 25.06.2013 तक बाढ़ राहत केन्द्र स्थापित किये जाने थे। नगर निगम, जयपुर द्वारा माह जून 2013 में बाढ़ राहत केन्द्र में आवश्यक व्यवस्था किये जाने हेतु श्रमिकों, थेले व अन्य संसाधनों की स्थापना हेतु तीन माह के लिए अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई जो दिनांक 15.07.2013 को खोली गई। इस तकनीकी निविदा के मूल्यांकन में कतिपय तकनीकी कारणों से न्यूनतम दरदाता मैसर्स छोटेलाल वीरेन्द्र कुमार से नेगोशिएशन दिनांक 16.08.2013 को किया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 23.09.2013 को कार्यादेश व सक्षम स्तर से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

नगर निगम, जयपुर द्वारा बाढ़ राहत व आपदा प्रबन्धन कार्य अति-आवश्यक था। इस कारण से इस हेतु निविदा अंतिमिकरण सम्बन्धी प्रक्रिया के पूर्ण होने का इन्तजार किया जाना आपातकालीन परिस्थितियों में संभव नहीं था। अतः आर.टी.टी.पी. एक्ट 2012 की धारा 6(4)(ख) के अन्तर्गत निगम स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि बाढ़ राहत हेतु श्रमिकों व मिट्टी भरने के लिए कट्टों की व्यवस्था करवाई जावें तथा निविदा का निस्तारण उपरान्त उक्त कार्य पर हुए वास्तविक व्यय की राशि का भुगतान सम्बन्धित संवेदक से सक्षम स्वीकृति लेते हुए करवाया जावें। बाढ़ राहत कार्य एक पूर्व में की जाने वाली व्यवस्था है, जिसके लिए व्यवस्था करना एक श्रम साध्य कार्य था। इस हेतु सक्षम स्तर से कार्य करवाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को मौखिक आदेश जारी करते हुए आवश्यक व्यवस्था बाढ़ पूर्व सुनिश्चित किए जाने हेतु पाबन्द किया गया था। उक्त कार्य में निविदा की प्रक्रिया, स्वीकृति की प्रक्रिया एवं भुगतान की प्रक्रिया में नियमानुसार अपनाई गई है एवं कार्य के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सक्षम कार्योत्तर स्वीकृति के द्वारा भुगतान किया गया है।

अतः प्रकरण में कार्य की अत्यावश्यक परिस्थितियां के मद्धेनजर कृपया व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आक्षेप निरस्त फरमावें।

राज्य सरकार के आदेशानुसार (मई 2013) प्रत्येक नगर पालिका को मानसून से पूर्व दिनांक 25.06.2013 तक बाढ़ राहत केन्द्र स्थापित किये जाने थे। नगर निगम, जयपुर द्वारा माह जून 2013 में बाढ़ राहत केन्द्र में आवश्यक व्यवस्था किये जाने हेतु श्रमिकों, थेले व अन्य संसाधनों की स्थापना हेतु तीन माह के लिए अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई जो दिनांक 15.07.2013 को खोली गई। इस तकनीकी निविदा के मूल्यांकन में कतिपय तकनीकी कारणों से न्यूनतम दर दाता मैसर्स छोटेलाल वीरेन्द्र कुमार से नेगोशिएशन दिनांक 16.08.2013 को किया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 23.09.2013 को कार्यादेश व सक्षम स्तर से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त अल्पकालीन निविदा दिनांक 15.07.2013 को खोली गई थी, जिसमें इस निविदा के मूल्यांकन के दौरान मैसर्स छोटेलाल वीरेन्द्र कुमार न्यूनतम बोलीदाता आये थे। चूंकि, बाढ़ राहत हेतु मिट्टी के कट्टे भरवाया जाना अतिआवश्यक था और यह कार्य बाढ़ आने से पूर्व ही तैयार करना था। इस हेतु तत्कालीन उच्च अधिकारियों द्वारा निविदादाता को कार्य शुरू करने हेतु मौखिक निर्देश दे दिये गये थे तथा संवेदक ने अपने श्रमिक तथा अन्य सामग्री कार्य स्थल पर पहुंचा दी थी तथा संवेदक ने इस हेतु आवश्यक कार्य भी शुरू कर दिया था।

चूंकि बाढ़ राहत व आपदा प्रबन्धन कार्य अति-आवश्यक था। इस हेतु निविदा अंतिमिकरण सम्बन्धी प्रक्रिया के पूर्ण होने का इन्तजार किया जाना आपातकालीन परिस्थितियों में संभव नहीं था। अतः आर.टी.टी.पी. एक्ट 2012 की धारा 6(4)(ख) के अन्तर्गत निगम स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि बाढ़ राहत हेतु श्रमिकों व मिट्टी भरने के लिए कट्टों की व्यवस्था करवाई जावें तथा निविदा का निस्तारण उपरान्त उक्त कार्य पर हुए वास्तविक व्यय की राशि का

भुगतान सम्बन्धित संवेदक से सक्षम स्वीकृति लेते हुए करवाया जावें। बाढ़ राहत कार्य एक पूर्व में की जाने वाली व्यवस्था है, जिसके लिए व्यवस्था करना एक श्रम साध्य कार्य है।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार (मई 2013) प्रत्येक नगर पालिका को मानसून से पूर्व दिनांक 25.06.2013 तक बाढ़ राहत केन्द्र स्थापित किये जाने थे। नगर निगम, जयपुर द्वारा माह जून 2013 में बाढ़ राहत केन्द्र में आवश्यक व्यवस्था किये जाने हेतु श्रमिकों, थेले व अन्य संसाधनों की स्थापना हेतु तीन माह के लिए अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई जो दिनांक 15.07.2013 को खोली गई। नगर निगम को बाढ़ व आपदा प्रबन्धन कार्य हेतु दिनांक 25.06.2013 से पूर्व बाढ़ राहत केन्द्र स्थापित किए जाने थे किन्तु कतिपय परिस्थितियोंवश उस समय निविदा का मूल्यांकन व कार्यादेश देरी से जारी होने के कारण बाढ़ व आपदा नियंत्रण अत्यावश्यक कार्य त्वरित गति से करने एवं निर्धारित समयानुसार आपदा प्रबन्धन करने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु 4500 श्रमिकों के प्रावधान के विरूद्ध 12045 श्रमिक बाढ़ राहत हेतु मिट्टी भरने के लिए कट्टों की व्यवस्था करवाई जाने के लिए नियोजित किए गए।

बाढ़ राहत कार्य एक पूर्ववर्ती कार्य है, जो कि बाढ़ आने से पूर्व व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। उक्त कार्य श्रमिक नियोजन से सम्बन्धित कार्य जो अत्यावश्यक परिस्थतियों में भी किया जाना अति आवश्यक था। उक्त कार्य में निविदा की प्रक्रिया, स्वीकृति की प्रक्रिया एवं भुगतान की प्रक्रिया में नियमानुसार अपनाई गई है एवं कार्य के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सक्षम कार्योत्तर स्वीकृति के द्वारा भुगतान किया गया है।

पैरा में वर्णित लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियम 348 (ख) के तहत प्रावधान है कि यदि किसी मामले में, चाहे अत्यावश्यकता के आधार पर, किसी अधिकारी के लिए किसी ऐसे कार्य को निष्पादित करना अपेक्षित हो जिसके लिए कोई अनुमान स्वीकृत नहीं किये गये हैं या कोई विनियोजन विद्यमान नहीं है (चाहे अनुमान स्वीकृत किये गये हो या नहीं), प्रत्यायोजन के अनुसार कार्य प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के आदेश लिखित में दिये जाने चाहिए। बाढ़ राहत कार्य एक पूर्ववर्ती कार्य है, जो कि बाढ़ आने से पूर्व व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। उक्त कार्य श्रमिक नियोजन से सम्बन्धित कार्य जो अत्यावश्यक परिस्थतियों में भी किया जाना अति आवश्यक है। उक्त कार्य में निविदा की प्रक्रिया, स्वीकृति की प्रक्रिया एवं भुगतान की प्रक्रिया में नियमानुसार अपनाई गई है एवं कार्य के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सक्षम कार्योत्तर स्वीकृति के द्वारा भुगतान किया गया है।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि बाढ़ राहत व आपदा प्रबन्धन कार्य अति-आवश्यक था। उक्त कार्य में लगाये गये श्रमिकों के उपस्थिति पंजिकाए, कट्टों का स्टॉक रजिस्टर, मिट्टी से भरे हुए कट्टों का रजिस्टर, शिकायत पुस्तिकाए, जनता से प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु निर्देश पत्रावली आदि से सम्बन्धित अभिलेखों का महालेखाकार राजस्थान एवं स्थानीय निधि

अंकेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 की ऑडिट के दौरान अंकेक्षण किया जा चुका है। अत: जनहित में उक्त निर्णय लिया गया तथा नियमों की एवं प्रक्रिया की अनुपालना अनुसार सक्षम स्वीकृति के द्वारा कार्य निस्तारित किया गया एवं संवेदक को सक्षम स्वीकृति उपरान्त भुगतान किया गया।

समिति की सिफारिश : कोई टिप्पणी नहीं

4.7 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

भूमि की उपलब्धता के बिना कार्यों के आवंटन के परिणामस्वरूप कार्यों के निष्पादन पर रूपये 0.29 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 348 प्रावधित करता है कि कोई कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं होना चाहिए जब तक कि उचित विस्तृत रूपरेखा एवं प्राक्कलन स्वीकृत, निधियों का आवंटन एवं इसके आरम्भ करने के आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए हों। नियम 351 भी प्रावधित करता है कि उस भूमि पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं होना चाहिए जो कि जिम्मेदार सिविल अधिकारी के द्वारा विधिवत नामित नहीं की गई हो।

राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत जयपुर शहर में अजमेरी गेट के पुनरूद्धार कार्य के लिए रूपये 3.44 करोड़[68] की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (अक्टूबर 2009)। इसके बाद, नगर निगम, जयपुर ने कार्य के प्रारम्भ तथा पूर्ण होने की नियत तिथि क्रमश: 5 अक्टूबर 2009 एवं 4 अक्टूबर 2010 के साथ संवेदक 'अ' [69] को कार्य आदेश जारी किए (अक्टूबर 2009)।

नगर निगम, जयपुर के वर्ष 2013-14 के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2015) में प्रकट हुआ कि संवेदक कार्य की यथानुपातिक प्रगति नहीं रख सका, क्योंकि संवेदक को रूपये 3.44 करोड़ के कार्य आदेश के विरूद्ध सम्पूर्ण रूपरेखा (ले-आऊट) उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तथापि, संवेदक 'अ' ने मात्र रूपये 0.63 करोड़[70] का कार्य निष्पादित किया जिसके विरूद्ध प्रथम चालू खाता बिल से भुगतान (नवम्बर 2010) कर दिया गया। तदुपरान्त, संवेदक 'अ' ने दो वर्षों से अधिक की अवधि के पश्चात् कार्य अपूर्ण छोड़ दिया। संवेदक 'अ' को शेष रहे कार्य को करने के लिए कहा गया (मार्च 2013) तथा 30 नवम्बर 2013 तक अस्थायी

---

68. सिविल कार्य : रूपये 0.95 करोड़ (जी-अनुसूची से 32 प्रतिशत अधिक पर), सड़क कार्य : रूपये 2.08 करोड़ (जी-अनुसूची से 25 प्रतिशत अधिक पर), धरोहर कार्य : रूपये 0.26 करोड़ (जी-अनुसूची से 25 प्रतिशत अधिक पर) और गैर-बीएसआर मद : रूपये 0.15 करोड़
69. मैसर्स कविराज कन्स्ट्रक्शन
70. सिविल कार्य : रूपये 0.14 करोड़ और सड़क कार्य : रूपये 0.49 करोड़

अतिरिक्त समय भी स्वीकृत किया गया, किन्तु उसने कार्य करने से मना कर दिया (अप्रैल 2013)।

अग्रेतर, यह पाया गया कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन की अवधि मार्च 2014 में समाप्त होने की संभावना थी तथा नगर निगम, जयपुर भारत सरकार से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत प्राप्त निधियों का उपयोग करने की जल्दी में था। तत्पश्चात, कार्य का कुछ भाग (जैसे धरोहर कार्य) अन्य अभिकरण[71] को सौंप दिया गया। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा बचे हुए एवं नए कार्यों के निष्पादन के लिए ` 2 करोड़[72] का संशोधित प्राक्कलन अनुमोदित किए गए (मार्च 2013)।

अंततः लघु अवधि निविदा आमंत्रित करने (मई 2013) के पश्चात् राज्य सरकार ने बचे हुए एवं नए कार्यों[73] के लिए ` 3.98 करोड़ का संशोधित कार्य-प्राक्कलन अनुमोदित (सितम्बर 2013) किया। नगर निगम, जयपुर ने पूर्ववर्ती संवेदक 'अ' के संविदा अनुबन्ध को रद्द किए बिना संशोधित निर्माण कार्यों के प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की नियत तिथि क्रमशः4 अक्टूबर 2013 एवं 3 जून 2014 के साथ रूपये 3.35 करोड़[74] (` 2 करोड़ की जी-अनुसूची से 67.51 प्रतिशत अधिक) में ठेकेदार 'ब' को कार्य आंवटित (अक्टूबर 2013) किया। द्वितीय चालू खाता बिल (नवम्बर 2014) के अनुसार मई 2014 तक ठेकेदार 'ब' ने रूपये 1.37 करोड़[75] के निर्माण कार्यों का निष्पादन किया तथा बचे हुए निर्माण कार्यों का निष्पादन सम्भव नहीं था क्योंकि प्रस्तावित स्थलों पर कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पहले ही करवा दिए गए थे। यह इंगित करता है कि अलग-अलग क्षेत्राधिकार विभाजित नहीं किए थे तथा अभिकरणों यथा जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम में सहयोग का अभाव था।

इस प्रकार, दोनों अवसरों पर कार्य प्रारम्भ करने से पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप न केवल रूपये 2 करोड़ व्यय करने तथा कार्य पूर्ण होने की निर्दिष्ट तिथि से 42 माह व्यतीत होने के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ होना शेष रहा तथा संवेदक के परिवर्तन के परिणामस्वरूप रूपये 0.29 करोड़[76] का अतिरिक्त व्यय हुआ।

---

71. आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण
72. सिविल कार्य : रूपये 60.95 लाख, सड़क कार्य : रूपये 138.90 लाख और गैर-बीएसआर मद : रूपये 0.30 लाख (रूपये 2 करोड़)
73. इन्दिरा बाजार और नेहरू बाजार में सीमेंट कंक्रीट सड़क
74. मैसर्स पदमावती एन्टरप्राईजेज – सिविल कार्य : रूपये 102.10 लाख, सड़क कार्य : रूपये 232.67 लाख और गैर-बीएसआर मद : रूपये 0.45 लाख (रूपये 3.35 करोड़)
75. रूपये 0.82 करोड़ के जी अनुसूची कार्य तथा 67.51 प्रतिशत टेण्डर प्रीमियम (अर्थात रूपये 0.55 करोड़) = रूपये 1.37 करोड़
76. जी अनुसूची के कार्य रूपये 0.82 करोड़ x 35.51 प्रतिशत = रूपये 0.29 करोड़

ध्यान में लाए जाने पर (अप्रैल 2015) नगर निगम, जयपुर के कार्यकारी अभियन्ता ने अवगत कराया (जून 2015) कि निर्माण कार्यों के निष्पादन में विवाद के कारण विलम्ब का पता लगाने के लिए अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियंता और सहायक लेखाधिकारी की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई (अगस्त 2013), जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित (जून 2015) थी। तथापि, तथ्य यह है कि लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार भूमि/स्थल की उपलब्धता की यथोचित अनुपालना के बिना कार्यों के आवंटन अभिकरणों यथा जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम में परस्पर सहयोग के अभाव के परिणामस्वरूप रूपये 0.29 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ तथा पांच वर्षों से अधिक व्यतीत होने के पश्चात भी अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति का अभाव रहा।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित किया गया (अक्टूबर 2015); प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2016) था।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम जयपुर- जयपुर शहर के सौन्दर्यकरण एवं चारदीवारी क्षेत्र के प्रवेश द्वार अजमेरी गेट पर राज्य सरकार के स्तर पर जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत राशि रूपये 3.44 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। निगम स्तर पर माह अक्टूबर 2009 में न्यूनतम दरदाता मैसर्स कविराज कन्स्ट्रक्शन को कार्यादेश जारी किया गया। कार्य शुरू करने की दिनांक 05.10.2009 तथा कार्य की निर्धारित पूर्णता तिथि दिनांक 04.10.2010 थी। संवेदक द्वारा उक्त कार्यादेश के पेटे माह नवम्बर 2010 तक राशि रू. 0.63 करोड़ का कार्य ही पूर्ण किया गया। इसके पश्चात् लगभग 2 वर्ष तक उक्त कार्य दिनांक 30.11.2013 तक अस्थायी समय विस्तार की स्वीकृति के उपरान्त भी संवेदक द्वारा कार्य नहीं किया गया। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन एक समयबद्व कार्यक्रम था, जिसके अन्तर्गत उक्त कार्य कराया जाना अनिवार्य था। अतः उक्त कार्य निगम द्वारा आमेर विकास एवं प्रबन्ध अधिकरण को सौप दिया गया। इसके पश्चात् माह मई 2013 में राज्य सरकार के स्तर पर छोडे गये कार्य की कार्यो यथा इन्द्रा बाजार व नेहरू बाजार में सी.सी. सड़क का निर्माण आदि जोड़ते हुए अल्पकालीन निविदा के माध्यम से न्यूनतम दरदाता फर्म मैसर्स पद्मावती एन्टरप्राइजेज को आंवटित किया गया। मैसर्स पद्मावती एन्टरप्राइजेज द्वारा उक्त कार्यादेश के पेटे राशि रूपये 1.37 करोड़ का कार्य माह मई 2014 तक पूर्ण किया गया। इसी कार्य के संबंध में जयपुर विकाय प्राधिकरण द्वारा भी कुछ कार्य करवा दिये गये।

अतः निगम स्तर पर मैसर्स पद्मावती द्वारा किये गये कार्य राशि रूपये 1.37 करोड़ को पूर्ण मानते हुए शेष कार्य जिसकी आवश्यकता नहीं होने के कारण संवेदक से सक्षम स्वीकृति द्वारा

वापिस ले लिये गये। वर्तमान में उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पेटे किसी प्रकार का न तो कोई भुगतान शेष है और न ही कोई कार्य शेष है।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

(i) प्रकरण में संवेदक एवं नगर निगम के मध्य विवाद होने एवं आपस में विरोधाभास होने के कारण कार्य में देरी के कारणों का निर्धारण करने हेतु गठित (08.08.2013) की गई उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट से समिति को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(ii) प्रथम संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित समयावधि (4 अक्टूबर 2010) तक पूर्ण नहीं करने के क्या कारण रहे, अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(iii) क्या कार्य की अंतरिम समयावधि (30 नवम्बर 2013 तक) संवेदक के अनुरोध पर बढ़ाई गई थी, अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(iv) प्रथम संवेदक द्वारा कार्य करने से मना करने के क्या कारण रहे? तथा अनुबन्ध के प्रावधानानुसार संवेदक पर कोई कार्यवाही की गई अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(v) कुछ कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण/अन्य अभिकरणों द्वारा करा लिए गए थे तो इन कार्यों हेतु कार्यादेश क्यों जारी किए गए, अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(vi) जयपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य अभिकरणों द्वारा इन स्थलों पर निर्माण कब पूर्ण किया गया, अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

(vii) कार्य निष्पादन के दौरान योजना में संशोधित करने के क्या कारण थे, अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(viii) क्या कार्य करवाने से पूर्व जिन स्थलों पर कार्य किया जाना था या उन स्थलों की स्थिति आदि का कोई सर्वेक्षण किया गया था, अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(ix) जी अनुसूची की दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप शेष बचे सिविल कार्यों को उच्च दरों में निष्पादन से हुए अतिरिक्त व्यय के लिए किसी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया, अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि संवेदक एवं नगर निगम के मध्य विवाद होने पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था परन्तु गठित कमेटी द्वारा अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि कार्य के दौरान जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत केबल द्वारा पानी की लाईन व टेलीफोन कम्पनियों द्वारा लाईन का कार्य निर्धारित समयावधि में नहीं करने के कारण कार्य समय पर पूर्ण नही किया जा सका था।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि हाँ, कार्य की अंतरिम समयावधि संवेदक के अनुरोध पर बढ़ाई गई थी।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि संवेदक के कार्य की समयावधि बढ़ाने व संशोधित तकमीना स्वीकृत किया गया परन्तु उस कार्य का Price Escalation अनुबन्ध के अनुसार स्वीकृत नहीं किया गया था इस कारण संवेदक ने कार्य नहीं किया।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में कुछ कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण/आमेर विकास प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा करवाने का निर्णय किया गया । इस उपरान्त शेष रहे आवश्यक कार्यों के लिये कार्य आदेश जारी किए गए।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, आमेर विकास प्रबन्धन प्राधिकरण एजेन्सियों द्वारा कार्य करवाये जाने व शेष कार्य को अन्य स्थानों पर कार्य करवाये जाने के कारण योजना में संशोधन किया गया।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि कार्य किए जाने वाले स्थानों का भौतिक सर्वेक्षण किया गया था।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि पूर्व में कार्य BSR2006 की दरों के अनुसार दिया गया था परन्तु कार्य समय पर नहीं होने एवं बाजार में दरें बढ़ने के कारण पुनः संशोधित तकमीना RUIDP2011 की दरों के तुलनात्मक विवरण बनाकर निविदा आमंत्रित की गई इस कारण शेष रहे कार्य पर व्यय पूर्व में किए गए अनुमानित व्यय से अधिक हुआ है। अतः बाजार दर बढ़ने के कारण किसी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।

समिति की सिफारिश

(29) समिति सिफारिश करती है कि समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण आक्षेपानुसार जी अनुसूची की दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप शेष बचे सिविल कार्यों को उच्च दरों में निष्पादन से हुए अतिरिक्त व्यय के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

4.8अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण पशुचारे की उच्चतर दरों पर प्राप्ति

नगर निगम, जयपुर द्वारा पशुचारे की आपूर्ति के लिए नई निविदाएं आमंत्रित करने के बजाय पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ गैर-भाग लेने वाली फर्म को आपूर्ति आदेश के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप रूपये 0.34 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का नियम 73(2) प्रावधित करता है कि मूल आदेश खुली प्रतिस्पर्धा निविदाओं के आमंत्रित करने के बाद दिया गया हो तो अतिरिक्त मदों की पुनरावृत्ति अथवा अतिरिक्त मात्रा अनुबन्ध में दी गई दरों एवं शर्तों पर रखी जा सकती है, बशर्ते कि यह निविदा दस्तावेजों में दिया गया हो, पुनरावृत्ति आदेश की सीमा (अ) एकल मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत तथा निर्माण कार्यों के मामलों में मूल अनुबन्ध के मूल्य का 50 प्रतिशत और (ब) मूल अनुबन्ध की सामग्री अथवा सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत होगी।

नगर निगम, जयपुर की निविदा आमंत्रण नोटिस के साथ संलग्न 'अनुबन्ध के लिए विशेष शर्तें' का अनुच्छेद 10 विनिर्दिष्ट करता है कि पशुचारा आपूर्ति के लिए किसी एक ही फर्म के साथ अनुबन्ध करने की बजाय तीन या अधिक निविदादाता फर्मों, जो न्यूनतम दरों पर पशुचारा आपूर्ति करने के लिए तैयार हों, का एक पैनल तैयार किया जाना चाहिए।

नगर निगम, जयपुर के हिंगोनिया गौ-शाला से संबंधित वर्ष 2013-14 के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2015) में प्रकट हुआ कि नगर निगम, जयपुर ने वर्ष 2012-13 के लिए पशुचारे की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित (नवम्बर 2011) की। निविदा प्रक्रिया में सात फर्मों ने भाग लिया (29 दिसम्बर 2011)। फर्म 'अ'[77] ने सबसे कम दर उद्धृत की और शेष छः निविदादाता इस दर पर चारा आपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं हुए। इसलिए, नगर निगम, जयपुर ने शेष छह निविदाकर्ताओं को बयाना राशि लौटा दी।

नगर निगम, जयपुर ने फर्म 'अ' के पक्ष में निविदा को अनुमोदित किया और वर्ष 2012-13(7 फरवरी 2012 से 6 फरवरी 2013) के लिए रूपये 497 प्रति क्विन्टल की दर से खाखला एवं रूपये 595 प्रति क्विन्टल की दर से कुट्टी की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किए (7 फरवरी 2012)। फर्म 'अ' ने अवधि 7 फरवरी 2012 से 6 फरवरी 2013 के लिए राशि रूपये 2.90 करोड़ की पशुचारे की आपूर्ति की।

इसी समयावधि के दौरान, नगर निगम, जयपुर ने दूसरी फर्म 'ब'[78] को फर्म 'अ' द्वारा अनुमोदित दरों पर (रूपये 497 प्रति क्विन्टल पर खाखला और रूपये 595 प्रति क्विन्टल पर कुट्टी) पशुचारा आपूर्ति के लिए काउन्टर प्रस्ताव दिया (26 दिसम्बर 2012)। तथ्य यह है

---

[77]. मैसर्स रवि सर्विस, जयपुर

[78]. मैसर्स दीपेन्द्र सैनी

कि नगर निगम, जयपुर ने निविदा अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान फर्म 'ब' द्वारा निविदाओं की प्राप्ति समय-सीमा पश्चात् दिए गए प्रस्ताव को पहले ही अस्वीकृत (29 दिसम्बर 2011) कर दिया था। नगर निगम, जयपुर ने पूर्वोक्त नियम 73 (2) के विरूद्ध नई निविदाएं आमंत्रित करने अथवा फर्म 'अ' के अनुबन्ध अवधि के विस्तार करने के स्थान पर फर्म 'ब' के साथ पूर्वव्यापी अवधि अर्थात 7 फरवरी 2012 से 6 फरवरी 2013 तक प्रभावी तथा आगामी अवधि तक संबंधित पक्षों की सहमति से बढ़ाया जाने वाला अनुबन्ध निष्पादित (22 फरवरी 2013) किया।

फर्म 'ब' के साथ पूर्व में समाप्त समयावधि के लिए अनुबन्ध क्रियान्वित करने का कोई औचित्य नहीं था। अग्रेतर, नगर निगम, जयपुर ने फर्म 'ब' की सहमति प्राप्त किए बिना स्वयं ही अनुबन्ध की अवधि मई 2013 (बाजार में पशुचारे के ऑफ सीजन तक) तक के लिए बढ़ा दी।

लेखापरीक्षा जांच में आगे प्रकट हुआ कि फर्म 'ब' ने 6 फरवरी 2013 से खाखला और कुट्टी की आपूर्ति शुरू की। 26 अप्रैल 2013 तक मूल दरों पर आपूर्ति को निरन्तर रखा। तत्पश्चात्, फर्म 'ब' ने दरों में असामान्य वृद्धि के कारण अनुबन्धित दरों पर खाखला की आपूर्ति करने से मना कर दिया (26 अप्रैल 2013) और रूपये 735 प्रति क्विन्टल की संवर्धित दरों का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए नगर निगम, जयपुर ने खाखला की बाजार दर का सर्वेक्षण कर (27 जून 2013) दरे तय करने के लिए एक समिति का गठन (17 जून 2013) किया। समिति ने खाखला क्रय के लिए रूपये 730 प्रति क्विन्टल दर की सिफारिश की (20 जनवरी 2014)। नगर निगम, जयपुर ने रूपये 730 प्रति क्विन्टल की दर से 14,476.85 क्विन्टल खाखला क्रय (1 जून 2013 से 25 जुलाई 2013 के मध्य) किया और फर्म 'ब' को रूपये 1.06 करोड़ का भुगतान (सितम्बर 2014 तक) किया, जो सही नहीं था क्योंकि अनुबन्धित दर रूपये 497 प्रति क्विन्टल थी। इसके परिणामस्वरूप नई निविदा आमंत्रित किए बिना पशुचारे के क्रय पर रूपये 0.34 करोड़ (रूपये 730 प्रति क्विन्टल और रूपये 497 प्रति क्विन्टल का अन्तर अर्थात् रूपये 233 प्रति क्विन्टल दर से गणना) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

नगर निगम, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अवगत (अप्रैल 2015) कराया कि वर्ष 2013-14 के लिए निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण समय पर नई निविदाएं आमंत्रित नहीं की जा सकी और इसलिए, आपूर्ति आदेश फर्म 'ब' को दिया गया था।

प्रत्युत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि नगर निगम, जयपुर ने न तो वर्ष 2013-14 के लिए पशुचारे के क्रय के लिए नई निविदाएं आमंत्रित करने के लिए समय पर कार्यवाही शुरू की

और न ही फर्म 'अ' के मौजूदा अनुबन्ध को बढ़ाया। अग्रेतर, फर्म 'ब' के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया, जिसका प्रस्ताव शुरू में अस्वीकृत कर दिया गया था और बाद में आपूर्ति उच्च दरों पर ली गई, जो नियमानुकूल नहीं थी।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित किया गया (अक्टूबर 2015); प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2016) था।

विभागीय अनुपालना

नगर निगम जयपुर-हिंगोनिया गौशाला में पशुओं के लिए चारा आपूर्ति हेतु माह नवम्बर 2011 में वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु निविदा आमंत्रित की गई। निविदा में 7 फर्मों ने भाग लिया, इनमें से मैसर्स रवि सर्विसेज जयपुर की दरें न्यूनतम रही उक्त न्यूनतम दरों को स्वीकृत करते हुए निगम द्वारा चारा आपूर्ति में निरन्तरता बनाये रखने हेतु पैनल बनाये जाने हेतु निविदा में भाग लेने वाले अन्य दरदाताओं से भी प्रस्ताव आमंत्रित किये गये किन्तु अन्य सभी 6 निविदादाताओं ने उक्त न्यूनतम दर पर चारा आपूर्ति किये जाने हेतु मना कर दिया गया। इन सभी 6 निविदादाताओं द्वारा अमानत राशि की मांग किये जाने पर अमानत राशि लौटा दी गई। न्यूनतम दरदाता फर्म को दिनांक 07 फरवरी 2012 को एक वर्ष के लिए खाखला राशि रू. 497 प्रति क्विन्टल तथा कुट्टी रूपये 595 प्रति क्विन्टल की दर से राशि रूपये 2.90 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया। उक्त कार्यादेश की अवधि दिनांक 07 फरवरी 2012 से 06 फरवरी 2013 थी। इसी दौरान गौशाला में चारे की मांग बढ़ जाने के कारण एक अन्य फर्म मैसर्स दीपेन्द्र सैनी को भी पूर्व में अनुमोदित दर खाखला राशि रूपये 497 प्रति क्विन्टल तथा कुट्टी राशि रूपये 595 प्रति क्विन्टल की दर से आपूर्ति आदेश दिया गया।

गौशाला में गायों हेतु चारा में आपूर्ति निरन्तरता बनाये रखने हेतु एवं नवीन निविदा अनुमोदित न होने के कारण उक्त फर्म से चारा आपूर्ति करवाई गई। वर्ष 2013-14 में भी मानसून की कमी के कारण चारा आपूर्ति में कमी आई तथा संवेदकों द्वारा अधिक दर पर निविदा प्रस्तुत किये जाने के कारण से निविदा अनुमोदित नहीं हो पाई।

गौशाला में गायों के लिए चारा आपूर्ति करना अति आवश्यक था तथा निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत दर व पूर्व अनुमोदित दरों में अधिक अन्तर होने के कारण निगम स्तर पर एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.01.2014 को प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट में खांखला की दर राशि रू. 730 प्रति क्विन्टल उचित दर मानी गई एवं इस दर पर खांखला क्रय किया गया।

निगम के पास में वर्ष 2013-14 के लिए कोई दर संविदा ना होने और न ही संवेदकों द्वारा उचित दर पर चारा आपूर्ति किये जाने के कारण आर.टी.पी.पी एक्ट 2012 की धारा 6(4)(ख) के अन्तर्गत वांछित प्रक्रिया अपनाते हुए एवं पशु जीवन संरक्षित करने के कारण तथा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण चारा आपूर्ति करवाई गई। इस प्रकार अपरिहार्य परिस्थितियों में किये गये क्रय को उचित मानते हुए पैरा निरस्त फरमावें।

महालेखाकार की संवीक्षा टिप्पणी

नगर निगम जयपुर : (i) नगर निगम जयपुर ने फर्म 'अ' (मैसर्स रवि सर्विसेज जयपुर) से किए गए अनुबन्ध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 73(2) के अनुसार क्या अतिरिक्त मात्रा की पुनरावृत्ति की शर्त रखी थी, समिति को अवगत करावें।

(ii) फर्म 'अ' (मैसर्स रवि सर्विसेज जयपुर) जिसे 7 फरवरी 2012 से 6 फरवरी 2013 तक की अवधि हेतु कार्यादेश दिया गया था, उसके अनुबन्ध अवधि के विस्तार नहीं किये जाने के क्या कारण रहे, अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

(iii) फर्म 'ब' (मैसर्स दीपेन्द्र सैनी) की निविदा निर्धारित समय-सीमा (29 दिसम्बर 2011 को 3.00 बजे तक) के पश्चात प्राप्त होने के कारण अस्वीकृत करने के पश्चात भी काउन्टर प्रस्ताव (26 दिसम्बर 2012) को दिये जाने के क्या कारण रहे, अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(iv) फर्म 'ब' (मैसर्स दीपेन्द्र सैनी) से प्रथम कार्यादेश से दिनांक 06.02.2013 तक पशुचारे की आपूर्ति हेतु अनुबन्ध आपूर्ति की समय-सीमा के पश्चात् दिनाक 22.02.2013 को किए जाने के क्या कारण रहे, अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(v) क्या काउन्टर प्रस्ताव अन्य फर्मो को भी दिये गये थे, अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(vi) फर्म 'ब' (मैसर्स दीपेन्द्र सैनी) से अनुबन्ध अवधि समाप्ति के पश्चात् भी उचित दरों से पशुचारे के आपूर्ति जारी रखने के क्या कारण रहे, अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(vii) वर्ष 2013-14 के लिए पशुचारे के क्रय हेतु नई निविदांए समय पर आमंत्रित न किए जाने के कारणों से अन्तिम अनुपालना में अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संवीक्षा उपरान्त विभागीय अनुपालना

(i) इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73(2) का उपयोग आवश्यक होने पर ही किया जा सकता है। इस प्रावधान को अनुबन्ध में शामिल किया जाना आवश्यक नही होता है अपितु उक्त प्रावधान किए जाने वाली निविदा पर स्वतः ही लागू होता है परन्तु अति आवश्यक परिस्थितियों में नियमानुसार इस प्रावधान के तहत सक्षम स्वीकृति लेते हुए अतिरिक्त मात्रा की पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। अतः पालना के आधार पर आक्षेप निरस्त करावें।

(ii) इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि मैसर्स रवि सर्विसेज द्वारा मांग अनुसार समय पर सप्लाई नहीं की जा रही थी। अतः पशु जीवन संरक्षित करने के कारण ही अनुबन्ध में अवधि विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया गया। अतः पालना के आधार पर आक्षेप निरस्त करावें।

(iii) इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि गौशाला में चारे की मांग अधिक हो जाने के कारण ही मैसर्स दीपेन्द्र सैनी को पूर्व में आवश्यकता होने के कारण ही बाजार दरों पर सप्लाई ली गई, जिसके कारण राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हुई है। अतः पालना के आधार पर आक्षेप निरस्त करावें।

(iv) इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि निगम के पास वर्ष 2013-14 के लिए दर संविदा नहीं होने के कारण वांछित प्रक्रिया अपनाते हुए पशु जीवन संरक्षित करने के कारण गठित कमेटी द्वारा बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए वास्तवित दरें अनुमोदित की गई थी एवं कमेटी द्वारा अनुमोदित दर पर सप्लाई ली गई। अतः पालना के आधार पर आक्षेप निरस्त फरमावें।

(v) इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि गौशाला में चारे की मांग अधिक हो जाने के कारण ही मैसर्स दीपेन्द्र सैनी को पूर्व में आवश्यकता होने के कारण ही बाजार दरों पर सप्लाई ली गई, जिसके कारण राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हुई है। अतः पालना के आधार पर आक्षेप निरस्त करावें।

(vi) इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि निगम के पास वर्ष 2013-14 के लिए कोई दर संविदा नहीं होने के कारण वांछित प्रक्रिया अपनाते हुए पशु जीवन संरक्षित करने के कारण गठित कमेटी द्वारा अनुमोदित दर पर सप्लाई की गई। अतः पालना के आधार पर आक्षेप निरस्त करावें।

(vii) इस आक्षेप के संबंध में निवेदन है कि निगम के पास वर्ष 2013-14 के लिए कोई दर संविदा नहीं होने के कारण वांछित प्रक्रिया अपनाते हुए पशु जीवन संरक्षित करने के कारण गठित कमेटी द्वारा बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए वास्तवित दरें अनुमोदित की गई थी एवं

कमेटी द्वारा अनुमोदित दर पर सप्लाई ली गई। अतः पालना के आधार पर आक्षेप निरस्त करावें।

समिति की सिफारिश

(30) समिति सिफारिश करती है कि प्रकरणान्तर्गत मैसर्स दीपेन्द्र सैनी की निविदा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त होने एवं अस्वीकृत करने के उपरांत भी काउन्टर प्रस्ताव दिये जाने के कारणों से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

विधान सभा भवन
जयपुर
दिनांक: 2022

(डॉ. राजकुमार शर्मा)
सभापति
स्थानीय निकायो और पंचायती राज
संस्थाओ संबंधी समिति वर्ष 2022-23

परिशिष्ट –एक

सिफारिशो का सार

क्र. सं.	अनुच्छेद संख्या	सिफारिश संख्या	पृष्ट संख्या	सिफारिश का विवरण
1	3.5.1	1	9	समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपानुसार 188 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 43 इकाइयों की ही लेखापरीक्षा आवृत किये जाने के कारणों से एवं वर्ष 2022-23 में लेखापरीक्षा के लिये लक्षित इकाईयों/योजना से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें ।
2	3.5.2	2	10	समिति सिफारिश करती है कि वर्ष 2004-05 से 2012-13 तक में समाविष्ट अनुच्छेदों (जिन पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जिम्मेदारी महालेखाकार कार्यालय पर छोड़ दी गई है), पर विभाग की अद्यतन अनुपालना महालेखाकार कार्यालय को शीघ्रताशीघ्र प्रेषित करावें।
3	3.6	3	13	समिति सिफारिश करती है कि अनुच्छेदान्तर्गत निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्रेषित करने के संबंध में एवं लेखापरीक्षा में इंगित अनियिमितताओं को ठीक करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु किये गए प्रयासो से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
4	3.7	4	14	समिति सिफारिश करती है कि लोकायुक्त के गठन की स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
5	3.8	5	15	समिति सिफारिश करती है कि राज्य स्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड गठन उपरांत आयोजित बैठकों, कार्यकाल एवं सम्पादित कार्यों के विवरण से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
6	3.9	6	16	समिति सिफारिश करती है कि तेरहवें वित्त आयोग अनुदान द्वारा निर्देश जारी किये जाने के 12 वर्ष के उपरान्त भी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों (जोधपुर एवं कोटा) में अग्नि जोखिम प्रतिक्रिया और शमन योजना को

				स्थापित नहीं किये जाने के कारणों से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें ।
	3.11	7	18	समिति सिफारिश करती है कि अनुच्छेदान्तर्गत सर्टीफाईड सनदी लेखाकारों के माध्यम से निकायों के लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य रूप से शीघ्रताशीघ्र आरंभ किये जाने की कार्यवाही से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

	4.1.1	8	40	समिति सिफारिश करती है कि स्थानीय निकायों द्वारा गैर कर राजस्व के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी कार्ययोजना से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें ।
	4.1.2.1	9	46	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम, बीकानेर द्वारा फरवरी 2014 मे पंजीकरण प्रभार और वार्षिक उपयोग शुल्क की दरों में की गई कमी को प्रभावशील करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.1.2.1	10	46	समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित नगर निगमों में उपविधियों के अनुसार पंजीकृत / अपंजीकृत विवाह स्थलों से पंजीकरण/ अनुज्ञापत्र / उपयोग शुल्क की बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर प्रगति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.1.2.2	11	50	समिति सिफारिश करती है कि वर्ष 2010-15 एवं वर्तमान में नगर निगम जयपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर से सम्बंधित अनुज्ञापत्र शुल्क की मांग, संग्रहण और बकाया राशि से संबंधित विवरण से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.1.2.2	12	50	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगमों द्वारा अनुज्ञापत्र प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जाना सुनिश्चित किये जाने के पुख्ता प्रबंधों से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.1.2.2	13	50	समिति सिफारिश करती है कि कोटा नगर निगम द्वारा स्वयं की सम्पत्तियों के किरायेदारों से अनुज्ञापत्र शुल्क की बकाया राशि कि वसूली /नियमानुसार की गई दण्डात्मक कार्यवाही से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

	4.1.2.3	14	55	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम अजमेर द्वारा मोबाइल टोवरों/पोल एंटिना से पंजीकरण और वार्षिक शुल्क की आक्षेपित बकाया राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति से एवं आक्षेपित नगर निगमों में वर्तमान में बकाया की वसूली हेतु किये गये पुख्ता प्रबंधो से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.1.2.4	15	61	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम कोटा द्वारा आक्षेपनुसार वसूली कि कार्यवाही की प्रगति से एवं नगर निगम बीकानेर की आक्षेपनुसार अनुपालना से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.1.3.1	16	70	समिति सिफारिश करती है कि बकाया बेहतरी प्रभार की वसूली पूर्ण कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

	4.1.3.1	17	70	नगर निगम बीकानेर के द्वितीय प्रकरण चिरागदीन होटल्स के संबंध में अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात की अनुमति बेहतरी प्रभार की राशि वसूल किए बिना ही प्रदान किये जाने के कारणों एवं मौका मुआवजा रिपोर्ट की प्रति साक्ष्य सहित समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.1.3.2	18	72	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम जयपुर एवं बीकानेर के आक्षेपित प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही/वसूली की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.1.3.2	19	72	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम अजमेर तथा कोटा द्वारा अधिभोग/पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क से संबंधित अभिलेख /सूचनाये लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारणों से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.1.3.3	20	73	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम जोधपुर द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क एवं वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं करने के कारणों से एवं बकाया राशि की वसूली शीघ्रताशीघ्र कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.1.3.4	21	75	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम उदयपुर एवं जयपुर में अग्नि उपकर की बकाया राशि की वसूली शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कर प्रगति से, नगर निगम अजमेर व कोटा द्वारा अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारणों से एवं

				इनसे सम्बंधित उक्त कर की स्थिति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.1.4.1	22	78	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम कोटा के तत्कालीन आयुक्त द्वारा किराया वसूली के स्थगन के कारणो से एवं आक्षेपित नगर निगमों में बकाया किराये की वसूली की लक्षित कार्ययोजना व वसूली से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.1.4.2	23	81	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर द्वारा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में संचालित डेयरी बूथों से मासिक किराए हेतु निर्धारित दरो से अलग दरों पर किराए की वसूली किये जाने के कारणों से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.1.5.1	24	83	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम उदयपुर तथा जोधपुर के संबंध में आक्षेपानुसार क्रियान्विति से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.1.5.2	25	85	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम बीकानेर के संबंध में आक्षेपानुसार क्रियान्विति से एवं नगर विकास न्यास कोटा द्वारा नगर निगम कोटा को हस्तातंरित कि गयी राशि से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.2	26	94	समिति सिफारिश करती है कि सितम्बर 2012 में जारी अधिसूचना अनुसार कुल भूमि (1,56,981.45 वर्गगज) के क्षेत्रफल पर बकाया रूपान्तरण शुल्क राशि रूपये 0.64 करोड़ की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.3	27	95	समिति सिफारिश करती है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा वर्ष 2010-14 के दौरान संग्रहित भूमि किराया राशि रूपये 25.37 करोड़ में से रूपये 2.54 करोड़ (रूपये 25.37 करोड़ का 10 प्रतिशत) नियमानुसार सेवा प्रभार के रूप में रखते हुए शेष राशि रूपये 22.83 करोड़ राजकोष में जमा करवाने की नवीनतम प्रगति से समीति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.4	28	98	समिति सिफारिश करती है कि आक्षेपित गोदामों को वाणिज्यिक श्रेणी मानते हुए भू-स्वामियों से वाणिज्यिक दर से भू-रूपान्तरण शुल्क की वसूली कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.7	29	113	समिति सिफारिश करती है कि समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण जी अनुसूची की दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप शेष बचे सिविल कार्यों को उच्च दरों में निष्पादन से हुए अतिरिक्त व्यय के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण से समिति एवं

				महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।
	4.8	30	118	समिति सिफारिश करती है कि प्रकरणान्तर्गत मैसर्स दीपेन्द्र सैनी की निविदा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त होने एवं अस्वीकृत करने के उपरांत भी काउन्टर प्रस्ताव दिये जाने के कारणों से समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014–15 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित अनुच्छेदों पर 15 वीं विधानसभा की स्थानीय निकायों और पंचायती राज. संस्थाओं संबंधी समिति, वर्ष 2022–23 के 20वें प्रतिवेदन से संबंधित नगरीय निकायों की सूची

क.स.	अनुच्छेद संख्या	अनुच्छेद का विवरण	नगरीय निकाय	
1	3.5.1	प्राथमिक लेखापरीक्षक	DLB level	
2	3.5.2	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा	DLB level	
3	3.6	लेखापरीक्षा आक्षेपों के प्रत्युत्तर	DLB level	
4	3.7	लोकायुक्त	DLB level	
5	3.8	सम्पति कर बोर्ड	DLB level	
6	3.9	अग्नि जोखिम प्रतिक्रिया	DLB level	
7	3.11	शहरी स्थानीय निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	DLB level	
8	4.1.1	गैर कर राजस्व की स्थिति	जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर	Page 46 DL
9	4.1.2.1 ✓	विवाह स्थलों का नियमन	अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर	53
10	4.1.2.2 ✓	होटल, रेस्त्रां, बेकरी, मिठाई की दुकानें इत्यादि से व्यापारिक अनुज्ञापन शुल्क	अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर	57
11	4.1.2.3 ✓	मोबाईल टॉवर/पोल एंटिना से पंजीकरण और वार्षिक शुल्क	अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर	64
12	4.1.2.4 ✓	विज्ञापन उपविधियां	कोटा, बीकानेर	71 ✓
13	4.1.3.1 ✓	बेहतरी प्रभार (बैटरमेंट लेवी)	बीकानेर	80 ✓
14	4.1.3.2 ✓	अधिभोग/पूर्णता प्रमाण–पत्र शुल्क	जयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा	82 ✓
15	4.1.3.3 ✓	अग्नि अनापति प्रमाण–पत्र प्रभार	जोधपुर	84 ✓
16	4.1.3.4 ✓	अग्नि उपकर	उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा	85 ✓
17	4.1.4.1 ✓	दुकानों का किराया	अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर	89 ✓
18	4.1.4.2 ✓	डेयरी बूथों का किराया	बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर	92 ✓
19	4.1.5.1 ✓	सड़क कटिंग प्रभार	उदयपुर, जोधपुर	94 ✓
20	4.1.5.2 ✓	भूमि के विक्रय का हिस्सा	बीकानेर, कोटा	96 ✓
21	4.2 ✓	राजस्व की कम वसूली	सिरोही	107 ✓
22	4.3 ✓	नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) को अनियमित रोक कर रखना	जयपुर	109 ✓
23	4.4 ✓	राजस्व की कम वसूली	बूंदी	112 ✓
24	4.7 ✓	परिहार्य अतिरिक्त व्यय	जयपुर	126 ✓
25	4.8	अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण पशुचारे की उच्चतर दरों पर प्राप्ति	जयपुर	132